स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मांनचित्र, अक्षांश, प्रजाति विवरण सहित)।

आवेदक संस्थान साउथ इर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड, कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला कोरबा (छ.ग.) के कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार परियोजना (कोयला उत्पादन क्षमता 50 मिलियन टन (नोर्मेटिव) एवं 62.50 मिलियन टन (पीक) प्रति वर्ष) द्वारा कटघोरा वनमण्डल के कटघोरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 43.942 हे. राजस्व वन भूमि के क्षतिपूर्ति हेतु बिगड़े वन के दो गुने क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए छत्तीसगढ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा **चयनित खैरागढ़ वनमण्डल, ज़िला खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (छ.ग.) में उपलब्ध 47.884 हे. बिगड़े वनभूमि एवं कर्वधा वनमण्डल, ज़िला कर्वधा (छ.ग.) में उपलब्ध 40.00 हे. बिगड़े वनभूमि** का विस्तृत ब्यौरा सहित शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मांनचित्र, अक्षांश, प्रजाति विवरण सहित सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न है।

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वन मण्डल, कटघोरा

कार्यालय वनमंडल अधिकारी, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)

E_Mail :- khairagarhdfo@yahoo.com, Phone & Fax - (07820) 234278

क्रमांक / तक.अधि. / न.क्र. क्ष.रो. 22–18 / 2280 खैरागढ़, दिनांक 21/06 / 2023

प्रति,

वनमंडल अधिकारी,
कटघोरा वनमंडल कटघोरा

विषय :– **ओपन कास्ट कोयला खदान हेतु कटघोरा वनमंडल की प्रभावित हो रही वनभूमि / राजस्व वनभूमि के विरूद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिए दोगुनी बिगड़े वनभूमि की उपलब्धता के संबंध में उपयुक्तता बाबत्।**
(पंजीयन क्रमांक– FP/CG/MIN/41604/2019 दिनांक 18.10.2019)

संदर्भ :– आपका कार्यालयीन पृ.क्र. 3238 दिनांक 29.05.2023

–000–

विषयांकित प्रकरण के संबंध में अवगत हो कि आवेदक संस्थान महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा ओपन कास्ट कोयला खदान हेतु कटघोरा वनमंडल की प्रभावित हो रही 43.942 हेक्टेयर वनभूमि / राजस्व वनभूमि के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये खैरागढ़ वनमंडल के गंडई एवं साल्हेवारा परिक्षेत्र के विभिन्न 02 वनकक्षों की 59.577 हे. तथा कवर्धा वनमंडल की 40.000 हे. कुल 99.577 हे. दोगुनी बिगड़े वनभूमि प्रस्तावित की गई थी। बिगड़े वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	परिक्षेत्र	उपवृत्त	परिसर	कक्ष क्रमांक	कक्ष का कुल रकबा हे. में	वनीकरण हेतु उपलब्ध रकबा हे. में
1	गण्डई	ठाकुरटोला	अचानकपुर पूर्व	पी–100	257.420	13.386 पैच–1
						8.313 पैच–2
2	साल्हेवारा	कोपरो	कोपरो पूर्व	पी–135	291.210	37.878
योग –						**59.577**

इस प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.स.अ.) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक 1253 दिनांक 23.05.2022 द्वारा ऑफलाईन कमियां के बिन्दु क्रमांक 02 में यह लेख किया गया है कि आवेदित राजस्व वनभूमि रकबा 43.942 हे. के एवज में दोगुने बिगड़ा वनक्षेत्र 87.884 हे. होता है जबकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 99.577 हे. का प्रस्ताव दिया गया है। जो 11.693 हे. अधिक है। इस बाबत अधिक क्षेत्र की राशि जमा करने का वचन पत्र अथवा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रकबा 87.884 हे. का संशोधित दस वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण अद्यतन दर से तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर को दिया गया है। इस बाबत संदर्भित पत्र के माध्यम से उपरोक्त बिन्दु के निराकरण के लिये आवश्यक सहयोग देने का आग्रह किया गया है।

आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु साल्हेवारा परिक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक पी–135 के रकबा 37.878 हे. पूर्व में प्रस्तावित किया गया था जिसमें से 11.693 हे. क्षेत्र कम करते हुए 26.185 हे. क्षेत्र प्रस्तावित करने से संबंधित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में खैरागढ़ वनमंडल की निम्नानुसार दोगुनी बिगड़े वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये प्रस्तावित की जा रही है :–

क्र.	परिक्षेत्र	उपवृत्त	परिसर	कक्ष क्रमांक	कक्ष का कुल रकबा हे. में	वनीकरण हेतु उपलब्ध रकबा हे. में
1	गण्डई	ठाकुरटोला	अचानकपुर पूर्व	पी–100	257.420	13.386 पैच–1
						8.313 पैच–2
2	साल्हेवारा	कोपरो	कोपरो पूर्व	पी–135	291.210	26.185
योग –						**47.884**

गौरतलब हो कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/ व.स.अ.) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक 807 दिनांक 31.03.2023 द्वारा वर्ष 2023–24 के लिये दस वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना हेतु राशि 966666/– रूपये प्रति हे. निर्धारित किया गया है। अतः उक्त दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर, क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र, संशोधित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट का सत्यापन कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वनमंडल अधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

पृ.क्र./तक.अधि./न.क्र. क्ष.रो. 22–18/ 2281 **खैरागढ़, दिनांक 12/06/2023**

प्रतिलिपि :– **महाप्रबंधक**, एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडल अधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

परियोजना प्रतिवेदन – कैम्पा योजना

क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

प्रथम वर्ष 2023–24

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खदान में प्रभावित हो रही वनभूमि के विरूद्व में उपलब्ध करायी जा रही बिगड़े वनभूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण (सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण) कार्य

कक्ष कमांक	:	पी/135
परिसर	:	कोपरो पूर्व
उपवृत्त	:	कोपरो
रकबा	:	26.185 हे0
पौधा संख्या	:	26185 पौधा

वन परिक्षेत्र, साल्हेवारा

वन मण्डल, खैरागढ़ - वन वृत्त दुर्ग

जिला - खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, छ ग

Project File 2016-17-469

परियोजना प्रतिवेदन

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खदान में प्रभावित हो रही वनभूमि के विरूद्व में उपलब्ध करायी जा रही बिगड़े वनभूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण (सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण) कार्य

प्रथम वर्ष 2023–24

1.	कार्य का नाम	:	सिंचित (वैकल्पिक) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य
2.	योजना का नाम	:	राज्य कैम्पा मद योजना
3.	कार्य स्थल का नाम	:	कक्ष क पी/135
3.	कक्ष का कुल रकबा	:	291.210 हे0
5.	रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा	:	26.185 हे0
6.	पौधा संख्या	:	26185 पौधा
7.	परिसर	:	कोपरो पूर्व
8.	स.व.प्र.समिति	:	कोपरो
9.	उपवृत्त	:	कोपरो
10.	वनपरिक्षेत्र	:	साल्हेवारा
11.	उप वनमंडल	:	गंडई
12.	वनमंडल	:	खैरागढ़
13.	प्रोजेक्ट राशि	:	2.531 करोड़ रू.
14.	प्रति हे0 व्यय राशि	:	966666.00 रूपये

योजना का उद्देश्य एवं स्वरूप

7. उच्च गुणवत्ता वाले बांस, सागोन इत्यादि प्रजाति के पौधों का रोपण किया जावेगा।
8. रोपण हेतु कक्ष कमांक पी/135 का 26.185 हे0 क्षेत्रफल का चयन किया गया है।
9. योजना के माध्यम से पारिस्थितकीय संतुलन स्थापित करते हुऐ वन संरक्षण एवं प्रबंधन में ग्रामीणों की सकीय भागीदारी सुनिश्चित किया जावेगा।

वन परिक्षेत्र अधिकारी,
साल्हेवारा

परियोजना लागत

राज्य कैम्पा निधि से सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव

रोपण अंतराल – 3x3

पौधा की संख्या :– 26185

गडडे का आकार 60x60x60

रोपण हेतु कार्य योग्य कुल रकबा 26.185

रोपण स्थल–कक्ष क्रमांक पी. 135 कोपरो पूर्व

मजदूरी दर 332 प्रति दिवस

प्रथम वर्ष 2023 – 2024

क्र.		कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
						मा.दि.	राशि / इकाई		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	1.1	PCCF Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन – 3 मी. चौड़ी लाईन कटाइ सफाई करना, जी.पी.एस. से सर्वे कर के.एम.एल. फाईल तैयार करते हुए, सीमा में खुँटा लगाना।	26.185	Hact	0.85	मा.दिवस / हे.	22.26	7389.41
	1.2	PCCF Rate 1.1.2	वन संनिधि उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना।	26.185	Hact	0.25	मा.दिवस / हे.	6.55	2173.36
							सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :–		9562.76
2			फेंसिंग कार्य						
	2.1		एंगल आयरन पोल एवं चैनलिंक फेंसिंग कार्य क्षेत्र की फेंसिंग हेतु जी.पी.एस.ट्रेकिंग से प्राप्त सीमालाईन (पेरीमीटर) के आधार पर फेंसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा इस हेतु मैपसोर्स (Map source) साफ्टवेयर से जी.पी.एस. ट्रेकिंग मैप जिसमें Length of perimeter के साथ Area दर्शित हो लगाया जाना सुनिश्चिम किया जावे ।						
	2.1.1	RES SOR 307	एंगल आयरन पोल गाडने हेतु कड़ी मिट्टी /कठोर मुरूम में गढढा खुदाई						
			साईज – 0.40x0.40x0.40 = 0.064 Cmt.	43.57	Cmt	247.70	Rs/Cmt.		10792.74
	2.1.2	RES SOR 413 (c)	एंगल आयरन पोल गाडने हेतु खोदे गये गढढों में 1:4:8 सी.सी. का मिश्रण डालना एवं तराई (उपयोग 40 एम.एम. गिट्टी)						
			साईज –2600x0.40x0.40x0.10=41.60 cmt.	3.82	Cmt	3430.40	Rs/Cmt.		13114.45
	2.1.3	PWD SOR 9.45	सीमेंट कांक्रीट ब्लॉक में एंगल आयरन पोल निर्धारित साईज का लगाना :– (एंगल आयरन पोल का Bottom Split हो एवं Right angle में मुडा होना चाहिये तथा 10mm diameter का प्रत्येक 30 से.मी. में छेद होना चाहिये तथा agele iron pole में Red Oxide Zine Chromate primer की एक लेयर लगी हो)	7352.75	kg.	69.50	Rs/kg		511015.99
			साईज – 50x50x6mm						
			लम्बाई – 2.40 मीटर						
			985x2.40=2364 रनिंग मीटर						
			@4.50 kg. प्रति रनिंग मीटर						
	2.1.4	RES SOR 413, 416 (a)	एंगल आयरन पोल गाडने हेतु खोदे गये गढढों में 1:2:4 सी.सी. द्वारा एंगल आयरन पोल फिक्सिंग कार्य तराई सहित (उपयोग 20 एम.एम. गिट्टी)						
			2600x0.40x0.40x0.30=124.80 Cmt.						
			(-) एंगल आयरन पोल साइज 2600x0.30x0.06x0.06=2.808Cmt.						
			Net-	31.94	Cmt.	4550.90	Rs/Cmt.		145369.77
	2.1.5	PWD SOR 9.43.1	निर्धारित साइज की 50x50mm छेद वाली 4mm diameter वाली जी.आई. तार से निर्मित चैनलिंक लोहे की जाली एंगल आयरन पोल में 2mm diameter वाली जी. आई. तार / जी.आई. स्टेपल / जी.आई. यू नेल्स / स्टील पिन की सहायक से बांधकर टाईट करना ।	3574.25	Sqm.	331.00	Rs/Sqm.		1183077.58
	2.1.6	RES SOR 1335 (a)	एंगल आयरन पोल में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना 2600x2.10x0.20 = 1092 Sqm.	286	Sqm.	163.30	Rs/Sqm.		46694.03

	2.1.7	RES SOR 1335 (a)	लोहे की चैनलिंक जाली में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना 6500x2.10x2 = 27300/10= 2730Sqm.	715	Sqm.	163.30	Rs/Sqm.		116735.09
	2.1.8	Special Rate	ट्रकेवल प्वाइंट से चैनलिंक जाली / एंगल आयरन पोल सीमेंट / ईट / मिट्टी कार्यस्थल तक परिवहन – सामग्री मूल्य का 2 प्रतिशत						206720.36
	2.1.9		अन्य आकस्मिक व्यय						65389.00
							फेंसिंग कार्य पर व्यय :–		2298909.02
							प्रति रनींग मीटर फेंसिंग कार्य पर व्यय :–		972.47
							प्रति हैक्टेयर व्यय :–		87794.88
3			जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य						
	3.1	Special Rate	ठूंठ ड्रेसिंग–20 से.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के कॉपीस प्रजाति के जीवित ठूंठ एवं पोलार्ड का प्रतिकर्तन एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)	26.185	Hact	5	मा.दि./हे.	130.9	43467.10
	3.2	PCCF 1.2.2	क्षेत्र की सफाई 20 से.मी. गोलाई तक की अनुपयोगी कापिस देने वाली प्रजाति की आडी–टेढी विकृत अग्रिम पौध की कटाई एंवं ठूंठों की ड्रेसिंग तथा सफाई	13.0925	Hact	5	मा.दि./हे.	65.46	21733.55
	3.3	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र – वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिर्रो को खीचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (प्रथम वर्ष कार्य)	10.474	Hact	30	मा.दि./हे.	314.2	104321.04
	3.4	Special Rate CAMPA	क्षेत्र में स्थित अनुपयोगी झाड़ियों एवं अनुपयोगी ठूंठो को खोदकर कार्य स्थल से बाहर हटाना।	4	Hact	50	मा.दि./हे.	200	66400.00
							जड़भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :–		235921.69
4			रोपणी में पौधा तैयारी :–						
	4.1	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहिंत)	28804	Plants	66	रू./पौधे		1901031.00
							नर्सरी में पौध तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय		1901031.00
5			रोपण क्षेत्र का उपचार						
	5.1	Special Rate	<u>रिक्त कड़ी भूमि में गहरी जोताई कार्य –</u> एम.बी.प्लाऊ से 2 बार गहरी जुताई कर अवांछित प्रजाति के जड़ों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुए मेढ़ बनाना–खुला क्षेत्र 60 प्रतिशत टीपः– रोपण हेतु चयनित क्षेत्र अंतर्गत 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र में ही ट्रेक्टर से गहरी जोताई किया जावेगा इस हेतु कुल चयनित क्षेत्र का 60 प्रतिशत में जोताई प्रवाधानित किया गया है। परन्तु जहां 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र अधिक हो वहां पर जोताई क्षेत्र अधिक हो सकता है तदानुसार जोताई क्षेत्र का रकबा निर्धारित किया जावे। जहां 10 प्रतिशत से अधिक ढलान हों वहां पर कन्टूर ट्रेंच आदि संरचनाओं का निर्माण किया जावेगा।	15.71	Hact.	10000	रू./हे.		157110.00
	5.2		स्टेकिंग कार्य :–						
	5.2.1	PCCF 1.4.2	3X2 मी. अंतराल में मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु	26185	Pits	3.5	मा.दि./हजार	91.65	30426.97
							स्टेंकिंग कार्य पर व्यय :–		187536.97
	5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					10000.00
	5.4		गड्ढों की खुदाई						
	5.4.1	PCCF 1.5.2.3	मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु 3x3 मीटर की अंतराल में 60x60x60 से.मी. साईज के कड़ी मिट्टी में गढढा खुदाई कार्य (क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% नरम मुरूमी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया)	26185	Pits	12	मा.दि. /सैकड़ा	3142	1043210.40
	5.4.2	Market Rate	गढढों की 50 प्रतिशत मिट्टी परिवर्तन हेतु उपजाऊ मिट्टी परिवहन – 60x60x60 = 0.216 Cmt.x41908=9052 Cmt/2	2827.98	Cum	500	रूपये/घ.मी.		1413990.00
							गड्ढे खुदाई कार्य पर व्यय :–		2467200.40
							रोपण उपचार पर व्यय :–		2654737.37

6			भू–जल संरक्षण कार्य – (25 प्रतिशत)						
	6.1		कण्टूर ट्रेंच टी का निर्माण						
	6.1.1	PCCF Rate 4.15.1	सी.सी.टी. खुदाई के लिए A फ्रेम की सहायता से कंटूर लाईन डालना एवं ट्रेच खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (20m.int/h.x100m@500m/Hact) टीप :– स्थल की भौगोलिक संरचना के अनुरूप सी.सी.टी. की लम्बाई का निर्धारण किया जावेगा।	3273.125	mt	0.15	मा.दि./से.मी.	3	996.00
	6.1.2	Special Rate PCCF rate 4.15.2 (0.16)	कड़ी मिट्टी में सतत खंती 45 से.मी. x 45 से.मी. माप का खुदाई कर प्राप्त मिट्टी को फैलाना एवं मेढ़ बनाना। (30 से.मी.x 30 से.मी आकार के लिए स्वीकृत दर 0.16 मा.दिवस का डेढ़ गुना दर = 0.25 मा.दि. का दर आकलन किया गया है।	3273.125	mt	0.12	मा.दि./मी.	392.8	130401.30
	6.2	PCCF Norms & RES/ PWD SOR	नालों का उपचार यथा लुज बोल्डर चेक डेम, मिट्टी बांध, गेबियन एवं पक्का स्थाई चेकडेम संरचनाओं का निमाण (नालों में ऊपर से नीचे तक का उपचार) नीचे दर्शित संरचनाओं में से जो भी संरचना उपयुक्त हों क्षेत्र के अनुसार बनवाई जावे – लूज बोल्डर चेकडेम, गैबियन संरचना, मिट्टी का बांध पक्का स्थायी चेकडेम डबरी निर्माण						314220.00
			टीप :– क्षेत्र सवेक्षण के दौरान यह निर्णय लिया जावेगा, कि उपरोक्त संरचनाओं में से कौन सी संरचना स्थल विशेष हेकतु उपयुक्त होगा, तदानुसार ही संरचनाओं का चयन कर निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।						
							भू–जल संरक्षण कार्य पर व्यय :–		445617.30
7			सिंचाई सुविधा का विकास प्रति 5 हेक्टर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप की मान से						
	7.1	Special Rate	भू–तल में पानी की जांच हेतु वाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट कराना	5		5000	प्रतिबोर		26185.00
	7.2	Special Rate	बोरवेल खुदाई कार्य कम्पलीट फेंसिंग सहित	5		137500	प्रतिबोर		720087.50
	7.3	Special Rate	सोलर पंप अथवा विद्युत चलित पंप या डीजल पंप की सीपना मय समस्त उपकरण व पाईप आदि	5		440000	प्रतिपंप		2304280.00
							सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :–		3050552.50
8			क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य						
	8.1		अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनों पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि वानिकी, एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	26.185	Hect.	9960	रूपये/हे.		260802.60
	8.2		आस्था मूलक कार्य – संयुक्त वन प्रबंधन समिति के प्रस्ताव अनुसार	26.185	Hect.	11000	रूपये/हे.		288035.00
	8.3		अग्नि सुरक्षा						
	8.3.1	PCCF rate 5.4.5 & 5.4.6	सम्पूर्ण क्षेत्र को 25–25 है. की सैक्टर में विभाजित कर 3 मी. चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्धारण करना। (80 मी. /हे. की मान से)	2094.8	Mtr	2.5	मा.दि./कि.मी	1	1665.37
	8.4		अन्य व्यय						
	8.4.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोड, गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चौकीदार हट का निर्माण	LS					172024.00
	8.4.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	LS					13092.50
							अन्य आकस्मिक व्यय का योगः–		735619.47
							कुल योगः–		11331951.10
							प्रति हैक्टेयर व्यय :–		432764.98

वन परिक्षेत्र अधिकारी
साल्हेवारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊचांई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेख तैयार करना ।	26185	No.	1.00	रूपये / नग		26185.00
	1.2	Special Rate	अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनो पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि वानिकी, एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	26.185	Hect	9960.00	रूपये / हे.		260802.60
							पौधें की वृद्धि मापन पर व्यय :–		286987.60
2			फेंसिंग कार्य						
	2.1		फेंन्सिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	81.70	Rm.	770.00	रूपये/र.मी.		62906.84
3			जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार						
	3.1		घास उत्पादन एवं उपचार						
	3.1.1	Special Rate	ट्रेक्टर द्वारा अन्तर जोताई दो बार	15.711	Hact.	4000	रू./हे.		62844.00
	3.1.2	Special Rate	घास बीज बोवाई :– स्थानीय प्रजाति के उपयोगी घास बीज संग्रहण एवं बोवाई कार्य (60 प्रतिशत क्षेत्र)	15.711	Hact.	5000	रू./हे.		78555.00
	3.1.3	Special Rate	खरपतवार निंदाई :– घास बीज के साथ अनुपयोगी खरपतवार का निंदाई 02 बार (20 मानव दिवस प्रति हेक्टेयर)	15.711	Hact.	20	मा.दि./हे.	314	104321.04
							जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार अंतर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :–		308626.88
4			रोपणी में पौधा तैयार कार्य पर व्यय						
	4.1	Special Rate	30X45 से.मी पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	30113	Plants	22	रू./पौधे		662480.50
	4.2	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी प्रथम वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	2619	Plants	66	रू./पौधे		172821.00
							रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष व्यय		835301.50
5			रोपण क्षेत्र का उपचार						
	5.1		पौधा परिवहन						
	5.1.1	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों का नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढे तक पहंचाना	30113	Plants	22	रू./पौधे		662480.50
							पौधा परिवहन पर व्यय :–		662480.50
	5.2		पौधा रोपण						
	5.2.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में (खाद एवं मिट्टी भराई सहित) 3.55 रोपण + 0.45 गड्ढा भराई प्रति मानव दिवस	26185	Plants	4.4	मा.दि. /सैकड़ा	1152	382510.40
							रोपण कार्य पर व्यय :–		382510.40
	5.3		रोपण एवं निंदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
	5.3.1		गोबर खाद्य/समिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद्य						

	5.3.1.1	Local Rate	60^3 से.मी. आकार के गड्ढो में मिश्रित एवं फलदार पौधा रोपण हेतु गोबरखाद का क्रय परिवहन सहित(1/4 भाग भरना) 0.60x0.60x0.60=0.216 M^3 का (1/4) = 0.054 M^3	130925	cum	11	रू./घ.मी.		1440175.6
	5.3.2		डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
	5.3.2.1	Local Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में 50 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) के मान से रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय ।	1309.25	kg	33	रू./किलो		43205.2
	5.3.3		नीम खली का क्रय						
	5.3.3.1	Local Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मान से पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	3927.75	Kg	44	रू./किलो		172821.0
	5.3.4	Local Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल. प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग।	78.555	Ltr	1100	रू./लि.		86410.5
	5.3.5		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
	5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय सागौन, मिश्रित एवं फलदार पौधों में प्रति पौधा 50 ग्राम प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर पर क्रय।	3927.75	Kg	32	रू./किलो		125688.0
	5.3.6	Special Rate	पौधों की अच्छी बढ़त के लिए मिट्टी परीक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाईजर, हार्मोन एवं एन्जाईम का उपयोग।	26185	Plants	10	रू./पौधे		261850.0
							खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-		2130149.7
	5.4		निंदाई कार्य						
	5.4.1	Special Rate	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित	26185	Plants	2	मा.दि. /सैकड़ा	524	173868.4
	5.4.2	Special Rate	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रापण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	26185	Plants	2	मा.दि. /सैकड़ा	524	173868.4
	5.4.3	PCCF 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रापण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित (तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर भू सतह पर बने केपिलरी टूटने से भूमि सतह की नमी लम्बे समय तक बनी रहीत है इसलिए तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है)	26185	Plants	1.2	मा.दि. /सैकड़ा	314	104321.04
							निंदाई कार्य पर व्यय :-		452057.84
							रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-		4462500.07
6			पानी सिंचाई कार्य						
	6.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलार पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 5 हे. 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3x3 मी. की अन्तराल पर लगभग 1 हे. में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भवं को पाया था तदानुसार प्रति पौधा एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
	6.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10	Time	1.820	मा.दि./सैकड़ा	476.57	158220.24
	6.1.2	Special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	26.185	Hect	8800.000	प्रति.हे0		230428.00
							सिंचाई पर कुल व्यय :-		388648.24
7			अन्य कल्चरल आपरेशन						

	7.1	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र – वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिर्रो को खीचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (द्वितीय वर्ष कार्य)	10	Hect	10	मा.दि. / हे.	104.74	34773.68
8			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	8.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि. / माह	624	207168.00
	8.2	Special Rate	आस्था मूलक कार्य – संयुक्त वन प्रबंधन समिति के प्रस्ताव अनुसार	26.185	Hect	11000	मा.दि. / हे.		288035.00
	8.3		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत / निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						26000.00
							सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल योगः–		521203.00
9			सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	9.1		मजदूरी / सामाग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					233195.00
							सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल योगः–		233195.00
							योग व्यय :–		6235934.48
							प्रति. हैक्टेयर व्यय :–		238149.11

वन परिक्षेत्र अधिकारी
साल्हेवारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनों पर निर्भरता कम करने के उपाय कृषि वानिकी, एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	26.185	Hact.	1100	रूपये / हे.		28803.50
	1.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊचांई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना। एवं अभिलेख तैयार करना	26185	Plants	1.50	रूपये / हे.		39277.50
							पौधें की वृद्धि मापन पर व्यय :–		**68081.00**
2			फेंसिंग कार्य						
	2.1	Special Rate	फेन्सिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	163.39	Rm	770	रूपये/र.मी.		125813.69
							फेन्सिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :–		**125813.69**
3			रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
	3.1	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी एवं रखरखाव हेतु द्वितीय वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	2619	Plants	20	रू./पौधे		52370.00
							रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय		**52370.00**
4			रोपण क्षेत्र का उपचार						
	4.1		मृतप्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)						
	4.1.1	PCCF 1.5.2.2	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों के रोपण हेतु गढढा खोदाई 60x60x60 सेमी साईज नरम मिट्टी में।	2619	Pits	10.50	मा.दि. /सैकड़ा	274.94	91280.91
	4.1.2	Special Rate	पौधों का परिवहन (पॉलीथीन साईज 25x30 से.मी.)	2619	Plants	20.00	रूपये /पौधे		52370.00
	4.1.3	Local Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल. प्रति पौधा की मान से उपयोग	7.86	Ltr	1000.00	रूपये /लिटर		7855.50
	4.1.4	PCCF 4.10.2.3	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर खोदे गए 60x60 सेमी साईज के गड्ढों में शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों का रोपण	2619	Plants	3.55	मा.दि. /सैकड़ा	92.957	30861.64
							मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :–		**182368.05**
5	5.1		रासायनिक खाद एन.पी.के. का क्रय						
	5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	3927.75	Kg	30	रू./किलो		117832.50
	5.2.2		वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 200 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 03 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	15711	Kg	10	रू./किलो		157110.00
									274942.50
	5.2		निंदाई कार्य						
	5.2.1	Special Rate	1. प्रथम निंदाई/ गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी जिसके साथ मृत पौधों को बदलना, युरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकर थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	26185	Plants	2.00	मा.दि. /सैकड़ा	523.7	173868.40
	5.2.2	PCCF Norms 4.11.2.2	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	26185	Plants	2.00	मा.दि. /सैकड़ा	523.7	173868.40
	5.2.3	PCCF 4.11.3.2	3. तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी। (थाला बनवाया जावेगा)	26185	Plants	1.20	मा.दि. /सैकड़ा	314.22	104321.04
							निंदाई कार्य पर व्यय :–		**452057.84**

6	6.1	Local Rate	दो बार ट्रेक्टर से अंतर जुताई	15.711	Hact.	4000	रूपये / हे.		62844.00
							रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय		**972212.39**
7			जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य						
	7.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत) कटूर ट्रेंच की दुरूस्तीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, ग्रबियन, बोल्डर बंड, आदि संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण कार्य।	26.185	Hact.	3300	रूपये / हे.		86410.50
							जल संवर्धन कार्य पर व्यय :–		**86410.50**
8			पानी सिंचाई कार्य						
	8.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलार पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 5 हे. 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3X3 मी. की अन्तराल पर लगभग 1 हे. में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भवं को पाया था तदानुसार प्रति 1000 पौधा में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
	8.1.1	Special Rate	माह अप्रेल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	9	Time	1.820	मा.दि./सैकड़ा	476.57	158220.24
	8.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 15 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10	Time	1.820	मा.दि./सैकड़ा	476.57	158220.24
	8.1.3	Special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	26.185	Hect	8000	प्रति हे.		209480.00
							सिंचाई पर कुल व्यय :–		**525920.49**
9			अन्य कल्चरल आपरेशन						
	9.1		Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र – वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिर्रो को खीचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (तृतीय वर्ष कार्य)	10	Hect	3	मा.दि./ हे.	31.422	10432.10
	9.2		एकलीकरण कार्य						
	9.2.1	PCCF Norms1.2.3	जीवित ठूंठो से निकल मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	26.185	Hact.	3	मा.दि./हे.	78.555	26080.26
							अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कॉपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :–		**36512.36**
10			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	10.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	10.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						46420.00
							सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल योगः–		**253588.00**
11			सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	11.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%					99377.20
							दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय		**99377.20**
							योग व्यय :–		**2220285.63**
							प्रति. हैक्टेयर व्यय :–		**84792.27**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
साल्हेवारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल, खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	26185	Plants	1.50	रूपये / पौधा		39277.50
							पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :–		39277.50
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
		Special Rate	फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	163.39	Rm.	770	रूपये / र.मी.		125813.69
3	3.1		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
		Special Rate	रोपणी व्यय – औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी कार्य प्रथम वर्ष (पॉलीथीन साईज 20x30 से.मी.) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधा)	1440	Plants	20	रूपये / पौधा		28803.50
4	4.1		रोपण क्षेत्र उपचार						
		PCCF Norms 1.5.1.2	औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु साधारण मिट्टी में गढढा खुदाई कार्य साईज – 45x45x45 cm	1309	Nos.	5	मा.दि./सैकड़ा	65.5	21733.55
5	5.1		निंदाई कार्य						
	5.1.1	Special Rate	1.प्रथम निंदाई/गुडाई एक मीटर व्यास में रोपित एवं अंगीकृत दोनों प्रकार के पौधों में की जावेगी जिसके साथ निर्धारित मात्रा में युरिया तथा जैविक खाद डाला जाऐगा। (अर्ध चन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	26185	Plants	2	मा.दि./सैकडा	523.7	173868.40
	5.1.2	PCCF Norms 4.11.2.2	2.द्वितीय निंदाई/गुडाई एक मीटर चौडी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी। एवं थाला बनाया जावेगा (2मा. दि. प्रति सैकडा)	26185	Plants	2	मा.दि./सैकडा	523.7	173868.40
	5.1.1	Market Rate	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 250 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 500 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	13093	Kg	10	रूपये/किलो		130925.00
	5.2.2	Market Rate	रासायनिक खाद कय एन.पी.के बडे पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग	2619	Kg	30	रूपये/किलो		78555.00
							निंदाई कार्य पर कुल व्यय :–		557216.80
							रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :–		772845.04
6									
	6.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत) कण्टूर ट्रेंच की दुरूस्तीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, गेबियन, बोल्डर, बंड, आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य ।	26.185	Hect.	3300	रूपये / हे.		86410.50
			पानी सिंचाई कार्य						
	7.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा । इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा । हरियर छ.ग.कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकडो के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3ग3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था तदानुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी ।						

	7.1.1	Special Rate	माह अप्रेल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	9.00	Time	1.820	मा.दि. /सैकड़ा	476.6	158220.24
	7.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10.00	Time	1.820	मा.दि. /सैकड़ा	476.6	158220.24
	7.1.3		पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	26.185	Hect.	8000	प्रति/ हे.		209480.00
								पानी सिंचाई पर व्यय –	**612330.99**
			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	8.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि. / माह	624	207168.00
	8.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						69208.80
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**276376.80**
9			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	9.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	15%					99710.00
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**99710.00**
								योग व्यय :–	**1761262.8**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**67262.28**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
साल्हेवारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	26185	Plants	1.50	रूपये / पौधा		39277.50
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**39277.50**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
		Special Rate	फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	163	Rm.	770	रूपये / र.मी.		125813.69
3			पानी सिंचाई कार्य						
	3.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा । इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा । हरियर छ.ग.कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकडो के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3ग3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था तदानुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी ।						
	3.1.1	Special Rate	माह अप्रेल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	6.00	Time	1.820	मा.दि. /सैकड़ा	476.6	158220.24
	3.1.2		पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	26.185	Hect.	8000	प्रति/ हे.		209480.00
								पानी सिंचाई पर व्यय –	**493513.93**
4	3.1		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
		Special Rate	रोपणी व्यय – औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी कार्य द्वितीय वर्ष (पॉलीथीन साईज 20x30 से.मी.) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधा)	1440	Plants	10	रूपये / पौधा		14401.75
								रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :–	**14401.75**
4	4.1		रोपण क्षेत्र उपचार						
	4.1	Special Rate	रोपण हेतु औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों का परिवहन	1309	Plants	6	रूपये/पौधा		7855.50
	4.1.1	Special Rate	औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों का रोपण खाद डलाई सहित	1309	Plants	3	मा.दि./सैकड़ा	39.3	13040.13
	4.1.2	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग ।	4	Kg.	1000	रूपये / किलो		3927.75
	4.1.3	Special Rate	प्रथम निंदाई कार्य	1309	Plants	2	मा.दि./सैकड़ा	26.2	7829.32
	4.1.4	PCCF Norms 4.11.2.2	द्वितीय निंदाई कार्य	1309	Plants	2	मा.दि./सैकड़ा	26.2	7829.32
	4.1.5	PCCF Norms 4.11.3.2	तृतीय निंदाई कार्य	1309	Plants	1.20	मा.दि./सैकड़ा	26.2	7829.32

	4.1.6	Market Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पौधा के मान से	196	Kg.	30.00	रूपये / किलो		5891.63
	4.1.7	Market Rate	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 200 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 03 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	786	Kg.	10.00	रूपये / किलो		7855.50
								रोपण क्षेत्र उपचार :–	**62058.45**
5			जल संवर्धन						
	5.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	26.185	Hect.	2200	रूपये / हे.		57607.00
								जल संवर्धन कार्य पर व्यय :–	**57607.00**
6			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	6.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	6.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						8086.00
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**215254.00**
7			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	7.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	20%					30000.00
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**30000.00**
								योग व्यय :–	**912112.6**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**34833.40**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
साल्हेवारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	26185	Plants	1.50	रूपये / पौधा		39277.50
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	39277.50
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	163	Rm.	770	रूपये / र.मी.		125813.69
3			रोपण क्षेत्र उपचार						
	3.1		निंदाई						
	3.1.1	Special Rate	1.प्रथम निंदाई/गुडाई एक मीटर व्यास में रोपित पौधों में युरिया तथा जैविक खाद डाला जाऐगा। (अर्ध चन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	1309	Plants	2	मा.दि./सैकडा	26.185	8693.42
	3.1.2	PCCF Norms 4.11.2.2	2.द्वितीय निंदाई/गुडाई एक मीटर चौडी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी। एवं थाला बनाया जावेगा (2मा. दि. प्रति सैकडा)	1309	Plants	2	मा.दि./सैकडा	26.185	8693.42
	3.2		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
	3.2.1	Local Rate	एन.पी.के.का उपयोग निंदाई के समय औषधि प्रजाति के झाडी एवं बेला प्रजाति के पौधों में प्रति पौधा 25 ग्राम प्रति निंदाई उपयोग हेतु कुल 50 ग्राम के मान से क्रय	65	Kg.	30	रूपये / किलो		1963.88
	3.2.2	Market Rate	वर्मी काम्पोस्ट खाद क्रय 100 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 200 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	262	Kg.	10	रूपये / किलो		2618.50
								निंदाई पर व्यय	21969.22
4									
	4.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	26.185	Hect.	2200	रूपये / हे.		57607.00
5	5.1		कटाई सफाई कार्य						
	5.1.1	PCCF Rate 1.2.4	जीवित ठूंठों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	26.185	Hect.	3	मा.दि./हे0	78.555	26080.26
								अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत क्लिनिंग कार्य पर व्यय :–	83687.26
6			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	6.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	6.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव						12000.00
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	219168.00
7			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	7.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	25%					65853.60
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	65853.60
								योग व्यय :–	555769.3
								प्रति हेक्टेयर व्यय	21224.72

वन परिक्षेत्र अधिकारी
मालदेवता परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

कं.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	26185	Plants	1.50	रूपये / पौधा		39277.50
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**39277.50**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	163	Rm.	770	रूपये / र.मी.		125813.69
								फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :–	**125813.69**
3	3.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	26.185	Hect.	2200	रूपये / हे.		57607.00
								जल संवर्धन कार्य पर व्यय :–	**57607.00**
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिशिचित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						20000.00
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**227168.00**
5			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	30%					65840.00
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**65840.00**
								योग व्यय :–	**515706.2**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**19694.72**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
साल्हेवारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	26185	Plants	1.50	रूपये / पौधा		39277.50
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**39277.50**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	163	Rm.	770	रूपये / र.मी.		125813.69
3	3.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	26.185	Hect.	2200	रूपये / हे.		57607.00
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिशिचित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						15000.00
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**222168.00**
5			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	35%					62513.20
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**62513.20**
								योग व्यय :–	**507379.4**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**19376.72**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
साल्हेवारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	26185	x	1.50	रूपये / पौधा		39277.50
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**39277.50**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	163	Rm.	770	रूपये / र.मी.		125813.69
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**125813.69**
3	3.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत)	26.185	Hect.	3300	रूपये / हे.		86410.50
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**86410.50**
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						50000.00
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**257168.00**
5			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	40%					121412.00
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**121412.00**
								योग व्यय :–	**630081.7**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**24062.70**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
साल्हेवारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	26185	Plants	1.50	रूपये / पौधा		39277.50
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**39277.50**
2	2.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (5 प्रतिशत)	26.185	Hect.	1100	रूपये / हे.		**28803.50**
3	3.1	Special Rate	दश वर्षीय थिनिंग कार्य :– रोपण के दसवें वर्ष में सागरिया फार्मुला के तहत् स्वस्थ पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत गोलाई के दस गुना अन्तराल पर स्वस्थ पौधों की कटाई की जावेगी । इससे पौधों को बढाने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा ।	26.185	Hect.	25	रूपये / हे.	654.63	217335.50
								अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत् रोपित पौधों में दस वर्षीय थिनिंग कार्य :–	**217335.50**
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						49000.00
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**256168.00**
5			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	45%					100084.70
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**100084.70**
								योग व्यय :–	**641669.2**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**24505.22**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
साल्हेवारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

गोश्वारा				
क	वर्ष	रकबा (हे.)	प्रति हे. दर	राशि
1	प्रथम वर्ष (2023–24)	26.185	432764.98	11331951.10
2	द्वितीय वर्ष (2024–25)	26.185	238149.11	6235934.48
3	तृतीय वर्ष (2025–26)	26.185	84792.27	2220285.63
4	चतुर्थ वर्ष (2026–27)	26.185	67262.28	1761262.83
5	पंचम वर्ष (2027–28)	26.185	34833.40	912112.63
6	षष्ठम वर्ष (2028–29)	26.185	21224.72	555769.26
7	सप्तम वर्ष (2029–30)	26.185	19694.72	515706.19
8	अष्ठम वर्ष (2030–31)	26.185	19376.72	507379.39
9	नवम वर्ष (2031–32)	26.185	24062.70	630081.69
10	दसम वर्ष (2032–33)	26.185	24505.22	641669.20
	योग –	**26.185**	**966666**	**25312152.40**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
साल्हेवारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

स्थल उपयुक्तता प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खदान हेतु प्रभावित हो रही 43.942 हे0 वनभूमि/राजस्व वनभूमि के विरूद्व खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण (सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण) कार्य के लिये निम्नानुसार बिगड़े वनभूमि उपयुक्त पाया गया हैं :-

वृत्त का नाम	दुर्ग वृत्त दुर्ग
वनमंडल का नाम	खैरागढ़
उप वनमंडल का नाम	गंडई
परिक्षेत्र का नाम	साल्हेवारा
उपवृत्त का नाम	कोपरो
परिसर का नाम	कोपरो पूर्व
वनखण्ड	कुल्लुभट्टी
पातन श्रेणी	मुरूम
कक्ष कमांक	पी/135
कुल क्षेत्रफल (हेक्ट.)	291.210 हे0
उपचारित क्षेत्रफल (हेक्ट.)	26.185 हे0
स्थल गुण श्रेणी	IVb
स्थल के मान से वन का घनत्व	0.1 से 0.4
प्रस्तावित कार्य का प्रकार	क्षतिपूर्ति सिचिंत मिश्रित वृक्षारोपण कार्य

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित की जाने वाली वनभूमि/राजस्व वनभूमि के विरूद्व उक्त वनकक्षों की बिगड़े वनभूमि जिसका घनत्व 0.4 से कम है, क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये उपयुक्त हैं। यह कार्य से कार्य आयोजना के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होगा। तथा वनक्षेत्र को अतिक्रमण से बचाया जा सकता है।

परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र साल्हेवारा

उप वनमंडलाधिकारी,
गंडई उपवनमंडल गंडई

GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF COMPENSATORY AFFORESTATION (CA) FOREST LAND (AREA-47.884HA) AT KHAIRAGARH DIVISION FOR KUSMUNDA OCP, KUSMUNDA AREA, SECL

1.0 Introduction

A proposal for DGPS survey of 47.884 hectare compensatory afforestation (CA) forest land at Khairagarh division has been received in CMPDIL through e-office along with details of forest land allotted by forest department duly forwarded through General Manager, kusmunda Area, South Eastern Coalfields Limited (SECL) vide letter SECL/GM/KA/22-23/249 dated 15-12-2022. As per annual action plan for the year 2022-2023(CMPDI/RI-5/EXPL/2022-23/03 Dated 01-04-2022) DGPS survey of forest land is to be taken up by CMPDIL.

As per work order No. SECL/GM/KA/22-23/249 dated 15-12-2022 the CA land (Area-47.884Ha) for 43.942 Ha revenue forest land proposal of Kusmunda OCP has been identified at Khairagarh Forest Division.

Colliery authorities identified the patch on the ground with the help of forest officials.DGPS survey has been carried out at selected ground locations identified by forest personnel as per requirement.

DGPS report containing geo-referenced boundary map and shape files in projected and geographical coordinate system is submitted herewith. A geo-referenced boundary map in 1:25000 scale and corresponding KML files are also enclosed herewith in order to facilitate SECL to apply through online application portal PARIVESH.

Soft copies of the map and shape files are given in CD for further necessary action by SECL.
Relevant documents are given as annexures in this report.
The following table shows the land schedule of the proposed Compensatory Afforestation (CA) Forest Land.

Land Schedule of Compensatory Afforestation(CA) Forest Land					
SL. NO.	**Division**	**Sub_Division**	**Range**	**Comp**	**Area(HA)**
1	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	13.386
2	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	8.313
3	Khairagarh	Gandai	Salhewara	P135	26.185
				Total Area	**47.884**

2.0 Background

Electricity is a very important commodity that cannot be dispensed for the modern lifestyle of people and communities worldwide. India being a growing economy is not an exception. Electricity produced through thermal power stations meets about seventy percentage of total electricity requirement of our country. Coal plays a vital role in these thermal power stations. With growing concern for

increasing power production, the thrust is on increasing production on coal producing companies, such as SECL.

Coal demand for other industrial and domestic consumption has also increased over the years. Coal producing companies, in general, are always required to mine more coal through open cast and underground coal mines in order to meet the coal demand by thermal power stations.

Coal producing companies are left with only two options. Either they should open new coal mines or increase the capacity of existing mines. While it is not very easy to open up new coal mines, the only option left is to expand the existing mines in terms of its capacity or in terms of physical extent of the existing mine.

In most of the mining lease hold areas it is observed that the coal bearing area is falling in forest areas that has been left out for want of forestry clearance. These forest lands are categorized into the following three types:

- Reserved Forest
- Protected Forest
- Revenue Forest

In order to carry out mining activities in these forest lands, forest clearance is required to obtain from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEFCC).

To check irrational exploitation of forest and to maintain the ecological balance, Forest Conservation Act (FRA), 1980 has been enacted. Under this act, no forest land can be used for non-forestry purpose without prior approval from the ministry.

For getting forest clearance from MOEFCC the coal producing companies are required to apply through recently updated web portal called "Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-Window Hub (PARIVESH)" which is a web based, role-based workflow application that has been developed for online submission and monitoring of proposals submitted by the proponents for seeking environment, forest, wildlife, and CRZ clearances from central state and district level authorities.

It automates the entire tracking of proposals which includes online submission of a new proposal, editing/updating the details of proposals and displays status of the proposals at each stage of the workflow.

The procedure for forest clearance envisaged under the act mandates a two-stage approval process consisting of two stages:

- **Stage I**

Upon prima facie review the proposal is either accepted or rejected. If approved, the project authority is required to deposit an amount for compensation of the opportunity cost of the forest (NPV, compensatory afforestation, additional expenses towards mitigating probable environmental damage etc.)

- **Stage II**

Following the deposit of above-mentioned costs, the land is handed over to the project authorities provided they have obtained all other requisite clearances.

Reserve forest boundaries are generally marked on the ground with large forest pillars while the boundaries of protected forests are marked on the ground with trenches, fencing and other markings.

As per the circular of MOEFCC, one of the pre-requisites for getting forestry clearance is a geo-referenced boundary map in shape file format of the desired forest land.

3.0 Location

The salient points of CA forest land identified for this project are located at Gandai (P100) and Salhewara (P135), District-Khairagarh, Chhattisgarh.Nearest Township is Gandai.

4.0 Scope of Services

The scope of services of CMPDIL to provide Geo-referenced boundary map (in shape files and pdf format), Geo-referenced report and converted geographical coordinates of forest boundary after making DGPS observation at salient points and KML files etc.

5.0 Methodology

Static DGPS (Differential Global Positioning System) survey is appropriate for determining geographical co-ordinates of forest boundary.

The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based location, timing and navigation system in all weather conditions, anywhere on or near the Earth where there is an unobstructed line of sight to four or more GPS satellites. Presently, 30 orbiting satellites of GPS constellation of USA and 24 GLONASS (*Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema* or Global Navigation Satellite System) satellites of Russia are operational for the purpose of GPS survey.

In addition to these primary GPS constellation, European space agency and Chinese have their own constellation such as Galileo and BeiDou respectively.

India's prestigious GAGAN (GPS Aided Geo Augmented Navigation (GAGAN) system) navigation system is also presently operational providing vital positional information to civil aviation and other industries.

The Global Positioning System is a system of communication made up of three independent aspects such as:

- GPS satellites orbiting the Earth;
- Control and monitoring stations on Earth;

- GPS receivers owned by users.

GPS satellites transmit the satellites number, its position in space, and the exact time. These informations are sent through the transmitted signals at regular intervals by all the satellites are all times.

These signals are picked up by various types of GPS receivers on ground. With signals from three or more satellites, a GPS receiver can triangulate its location on the ground (i.e., longitude and latitude) from the known position of the satellites. With four or more satellites, a GPS receiver can determine a 3D position (i.e., latitude, longitude, and ellipsoidal height).Differential Global Positioning System (DGPS) refers to using two or more GPS receivers to achieve greater positional accuracy. There are three basic methods of doing DGPS survey.

- Static
- Rapid-Static
- Real-time Kinematic (RTK).

For doing DGPS survey of forest land, post-processed static survey is found to be most suitable where one GPS receiver is used as base station and other GPS receivers are used as rover stations. Base receiver is stationed at a point of known co-ordinates for longer duration and rover stations are kept at unknown stations for comparatively shorter duration. DGPS observation is done in each rover stations for compensatory afforestation.

Data from base and rovers are downloaded and then post-processed in GPS data processing software, Leica infinity to achieve sub-centimeter level accuracies.

ArcGIS 10.2 version software is used for preparation of shape files, KML file and geo-referenced map of the forest land in WGS-84 co-ordinates.

6.0 Survey Instrument

For providing geographical (spherical) co-ordinates of the stations along the boundary, Differential Global Positioning System (DGPS) consisting of one base receiver and a rover receiver were used. CMPDIL has the latest hardware and software of Leica make DGPS instrument which has dual-frequency GPS signal receivers that provide accurate results after post processing in relevant software. Brief specifications of DGPS are provided in the table below.

A	***DGPS Instrument:***	
	Make	Leica
	Model	GS25 & GS16
	Signal	GPS: L1, L2&L5 carrier, CA, L1P, L2P, L2C GLONASS: L1, L2&L5 carrier, L1CA, L2CA, L1P, L2P GALILEO: E2-L1-E1, E5, E6
	Channels	72
	Accuracy:	sub-centimeter
	Post Processed Static DGPS	3mm +0.5ppm horizontal, 5mm + 0.5ppm vertical
	Real Time RTK	10mm + 1 ppm horizontal, 15mm + 1 ppm vertical
	Power:	
	Internal Battery	2 Li-Ion, 3900mAh, 7.2V
	Communication:	
	Bluetooth	Bluetooth standard 1.2
	USB	1.1 Version
B	***DGPS Software***	Inbuilt Leica software for data recording
		Leica infinity for data processing

7.0 Details of Field Activity

DGPS survey has been carried out in ground locations identified by forest authorities in the presence of kusmunda colliery authority. The following table Showing Details of DGPS Survey Point (WGS84).

POINT_ID	INSTRUMENT	LATITUDE(WGS84)	LONGITUDE(WGS84)
P100/01	DGPS	21° 35' 14.876" N	80° 58' 58.688" E
P100/02	DGPS	21° 35' 10.796" N	80° 58' 54.446" E
P100/03	DGPS	21° 35' 11.642" N	80° 58' 51.281" E
P100/04	DGPS	21° 35' 14.048" N	80° 58' 46.342" E
P100/05	DGPS	21° 35' 18.504" N	80° 58' 49.263" E
P100/06	DGPS	21° 35' 20.748" N	80° 58' 47.559" E
P100/07	DGPS	21° 35' 19.219" N	80° 58' 41.890" E
P100/08	DGPS	21° 35' 18.036" N	80° 58' 38.707" E
P100/09	DGPS	21° 35' 20.227" N	80° 58' 37.647" E
P100/10	DGPS	21° 35' 21.952" N	80° 58' 46.307" E
P100/11	DGPS	21° 35' 25.172" N	80° 58' 47.245" E
P100/12	DGPS	21° 35' 27.969" N	80° 58' 46.514" E
P100/13	DGPS	21° 35' 28.197" N	80° 58' 44.949" E
P100/14	DGPS	21° 35' 30.148" N	80° 58' 42.584" E
P100/15	DGPS	21° 35' 32.717" N	80° 58' 41.784" E
P100/16	DGPS	21° 35' 33.465" N	80° 58' 40.358" E
P100/17	DGPS	21° 35' 36.035" N	80° 58' 43.279" E
P100/18	DGPS	21° 35' 37.401" N	80° 58' 40.357" E
P100/19	DGPS	21° 35' 39.417" N	80° 58' 39.870" E
P100/20	DGPS	21° 35' 43.353" N	80° 58' 40.113" E

POINT_ID	INSTRUMENT	LATITUDE(WGS84)	LONGITUDE(WGS84)
P100/21	DGPS	21° 35' 38.572" N	80° 58' 43.278" E
P100/22	DGPS	21° 35' 36.458" N	80° 58' 46.826" E
P100/23	DGPS	21° 35' 31.157" N	80° 58' 48.044" E
P100/24	DGPS	21° 35' 28.522" N	80° 58' 49.157" E
P100/25	DGPS	21° 35' 26.343" N	80° 58' 49.714" E
P100/26	DGPS	21° 35' 22.196" N	80° 58' 50.778" E
P100/27	DGPS	21° 35' 17.724" N	80° 58' 56.114" E
P100/28	DGPS	21° 35' 18.118" N	80° 58' 56.465" E
P100/29	DGPS	21° 35' 20.684" N	80° 58' 53.540" E
P100/30	DGPS	21° 35' 22.944" N	80° 58' 51.277" E
P100/31	DGPS	21° 35' 28.100" N	80° 58' 50.131" E
P100/32	DGPS	21° 35' 30.882" N	80° 58' 48.716" E
P100/33	DGPS	21° 35' 32.176" N	80° 58' 51.821" E
P100/34	DGPS	21° 35' 22.474" N	80° 58' 58.564" E
P135/01	DGPS	21° 43' 41.921" N	80° 47' 14.274" E
P135/02	DGPS	21° 43' 42.538" N	80° 47' 12.189" E
P135/03	DGPS	21° 43' 42.484" N	80° 47' 8.072" E
P135/04	DGPS	21° 43' 42.414" N	80° 47' 4.347" E
P135/05	DGPS	21° 43' 42.867" N	80° 47' 2.188" E
P135/06	DGPS	21° 43' 44.031" N	80° 46' 57.592" E
P135/07	DGPS	21° 43' 44.160" N	80° 46' 56.512" E
P135/08	DGPS	21° 43' 43.670" N	80° 46' 55.051" E
P135/09	DGPS	21° 43' 43.734" N	80° 46' 53.763" E
P135/10	DGPS	21° 43' 42.852" N	80° 46' 50.910" E
P135/11	DGPS	21° 43' 42.855" N	80° 46' 49.645" E
P135/12	DGPS	21° 43' 42.863" N	80° 46' 49.053" E
P135/13	DGPS	21° 43' 41.752" N	80° 46' 47.705" E
P135/14	DGPS	21° 43' 39.721" N	80° 46' 46.406" E
P135/15	DGPS	21° 43' 38.817" N	80° 46' 45.949" E
P135/16	DGPS	21° 43' 35.906" N	80° 46' 44.577" E
P135/17	DGPS	21° 43' 33.890" N	80° 46' 43.738" E
P135/18	DGPS	21° 43' 32.452" N	80° 46' 42.768" E
P135/19	DGPS	21° 43' 27.878" N	80° 46' 40.784" E
P135/20	DGPS	21° 43' 25.897" N	80° 46' 39.722" E
P135/21	DGPS	21° 43' 25.843" N	80° 46' 39.699" E
P135/22	DGPS	21° 43' 21.264" N	80° 46' 44.619" E
P135/23	DGPS	21° 43' 14.959" N	80° 46' 47.930" E
P135/24	DGPS	21° 43' 15.604" N	80° 46' 49.993" E
P135/25	DGPS	21° 43' 22.922" N	80° 46' 53.442" E

8.0 Computation

Data recorded is downloaded from both rover and base receivers of DGPS and processed in Leica infinity software to get post-processed WGS-84 co-ordinates. The geographical co-ordinates of the forest land (CA) are tabulated below.

TABLE-I
GEOGRAPHICAL COORDINATES (WGS-84)
47.884 HA FOREST LAND (CA)
KUSMUNDA OCP, KUSMUNDA AREA, SECL

FID	COMPARTMENT	DIVISION	SUB DIVISION	RANGE	Latitude(DMS)	Longitude(DMS)
0	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 35.040" N	80° 58' 43.709" E
1	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 36.164" N	80° 58' 43.916" E
2	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 36.499" N	80° 58' 46.727" E
3	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 34.298" N	80° 58' 47.061" E
4	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 31.090" N	80° 58' 47.939" E
5	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 28.476" N	80° 58' 49.073" E
6	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 26.311" N	80° 58' 49.729" E
7	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 22.165" N	80° 58' 50.708" E
8	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 18.897" N	80° 58' 54.518" E
9	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 17.513" N	80° 58' 56.081" E
10	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 14.876" N	80° 58' 58.688" E
11	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 10.796" N	80° 58' 54.446" E
12	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 11.642" N	80° 58' 51.281" E
13	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 14.048" N	80° 58' 46.342" E
14	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 18.504" N	80° 58' 49.263" E
15	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 20.748" N	80° 58' 47.559" E
16	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 19.219" N	80° 58' 41.890" E
17	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 18.036" N	80° 58' 38.707" E
18	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 20.227" N	80° 58' 37.647" E
19	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 20.232" N	80° 58' 37.640" E
20	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 21.085" N	80° 58' 42.955" E
21	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 21.952" N	80° 58' 46.307" E
22	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 25.172" N	80° 58' 47.245" E
23	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 27.969" N	80° 58' 46.514" E
24	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 28.197" N	80° 58' 44.949" E
25	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 30.252" N	80° 58' 43.093" E
26	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 33.565" N	80° 58' 42.366" E
27	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 35.040" N	80° 58' 43.709" E
28	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 32.784" N	80° 58' 53.042" E
29	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 28.253" N	80° 58' 56.711" E
30	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 22.538" N	80° 59' 1.460" E
31	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 17.708" N	80° 58' 57.071" E
32	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 18.118" N	80° 58' 56.465" E
33	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 20.684" N	80° 58' 53.540" E

FID	COMPARTMENT	DIVISION	SUB DIVISION	RANGE	Latitude(DMS)	Longitude(DMS)
34	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 22.944" N	80° 58' 51.277" E
35	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 28.100" N	80° 58' 50.131" E
36	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 30.882" N	80° 58' 48.716" E
37	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 32.784" N	80° 58' 53.042" E
0	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 36.547" N	80° 47' 6.402" E
1	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 32.075" N	80° 47' 1.360" E
2	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 27.365" N	80° 46' 56.758" E
3	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 22.997" N	80° 46' 53.328" E
4	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 19.290" N	80° 46' 51.386" E
5	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 15.659" N	80° 46' 49.984" E
6	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 14.992" N	80° 46' 47.943" E
7	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 21.102" N	80° 46' 44.704" E
8	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 33.922" N	80° 46' 51.188" E
9	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 39.626" N	80° 46' 57.093" E
10	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 40.317" N	80° 46' 52.313" E
11	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 39.628" N	80° 46' 46.648" E
12	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 41.589" N	80° 46' 47.866" E
13	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.865" N	80° 46' 49.196" E
14	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.822" N	80° 46' 49.676" E
15	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.841" N	80° 46' 50.910" E
16	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 43.581" N	80° 46' 53.780" E
17	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 43.540" N	80° 46' 55.047" E
18	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 43.766" N	80° 46' 56.617" E
19	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 43.801" N	80° 46' 57.576" E
20	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.515" N	80° 47' 2.098" E
21	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.261" N	80° 47' 4.322" E
22	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.231" N	80° 47' 8.099" E
23	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.540" N	80° 47' 12.189" E
24	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 41.944" N	80° 47' 14.186" E
25	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 39.919" N	80° 47' 11.220" E
26	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 36.547" N	80° 47' 6.402" E

9.0 Documents Submitted

- Drawing Number: CMPDI/RI5/BSP/GEOM/2022/DGPS/89
- Soft copy of shape files & KML files in CD.

DISCLAIMER:

1. DGPS REPORT IS BASED ON SURVEY DATA.
2. DGPS REPORT IS FOR FOREST LAND (CA) APPLICATION ONLY & NOT VALID FOR ANY OTHER PURPOSE
3. CMPDIL IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY FUTURE DISPUTE WITH RESPECT TO FOREST LAND DETAILS.

वन मंडलाधिकारी
खैरागढ़ वनमंडल

****

पर्यावरण अधिकारी,
एस.ई.सी.एल., कुसमुण्डा क्षेत्र

GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF CA(COMPENSATORY AFFORESTATION)FOREST LAND AT KHAIRAGARH DIVISION
COMPARTMENT NO-P135 (Area-26.185Ha)

80°46'30"E 80°46'45"E 80°47'0"E 80°47'15"E

21°43'45"N 21°43'30"N 21°43'15"N

N

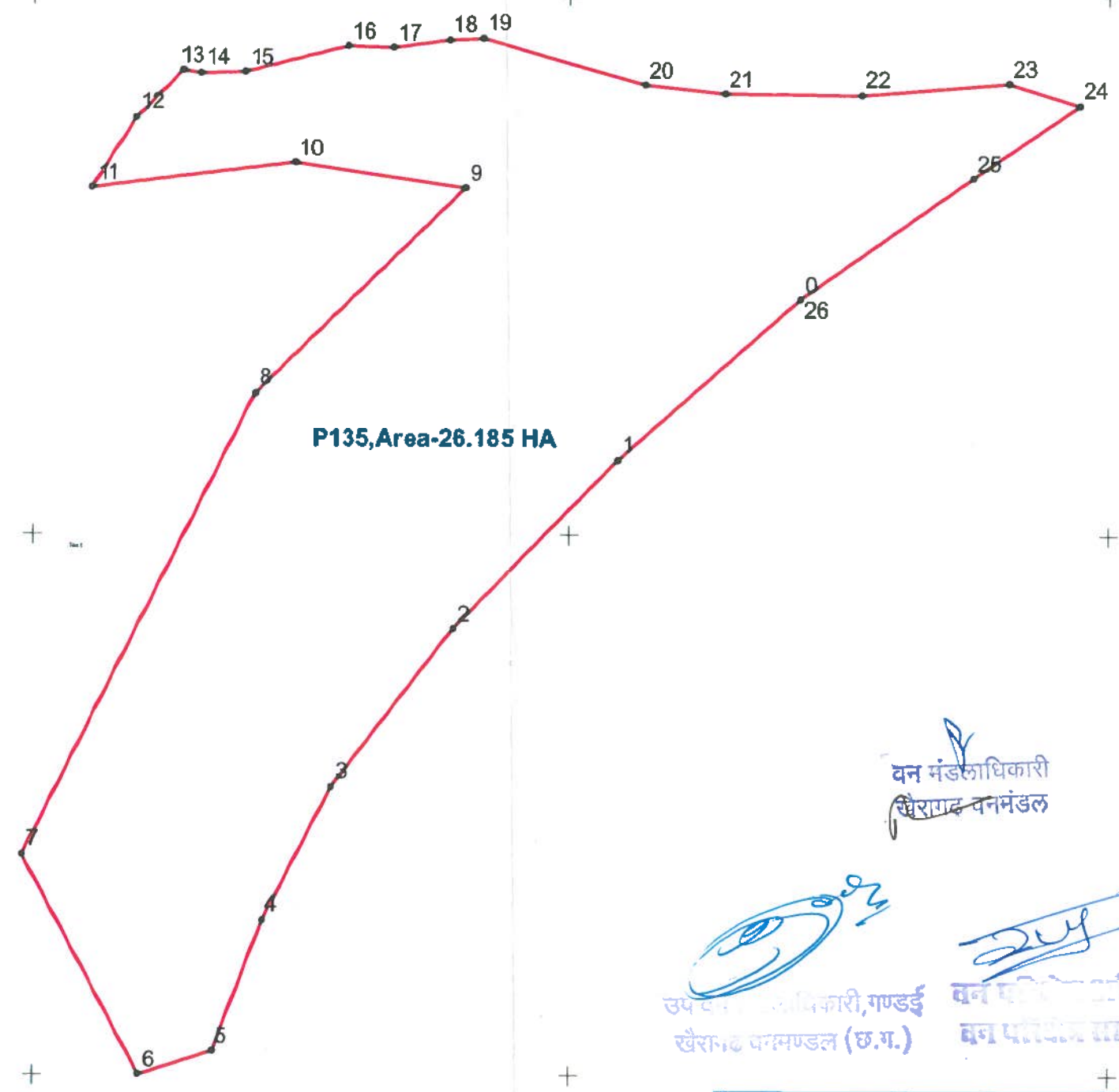

FID	COMPARTMENT	DIVISION	SUB DIVISION	RANGE	AREA (HA)	LATITUDE (WGS84)	LONGITUDE (WGS84)
0	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 36.547" N	80° 47' 6.402" E
1	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 32.075" N	80° 47' 1.360" E
2	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 27.365" N	80° 46' 56.758" E
3	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 22.997" N	80° 46' 53.328" E
4	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 19.290" N	80° 46' 51.386" E
5	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 15.659" N	80° 46' 49.984" E
6	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 14.992" N	80° 46' 47.943" E
7	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 21.102" N	80° 46' 44.704" E
8	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 33.922" N	80° 46' 51.188" E
9	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 39.626" N	80° 46' 57.093" E
10	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 40.317" N	80° 46' 52.313" E
11	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 39.628" N	80° 46' 46.648" E
12	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 41.589" N	80° 46' 47.866" E
13	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 42.865" N	80° 46' 49.196" E
14	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 42.822" N	80° 46' 49.676" E
15	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 42.841" N	80° 46' 50.910" E
16	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 43.581" N	80° 46' 53.780" E
17	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 43.540" N	80° 46' 55.047" E
18	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 43.766" N	80° 46' 56.617" E
19	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 43.801" N	80° 46' 57.576" E
20	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 42.515" N	80° 47' 2.098" E
21	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 42.261" N	80° 47' 4.322" E
22	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 42.231" N	80° 47' 8.099" E
23	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 42.540" N	80° 47' 12.189" E
24	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 41.944" N	80° 47' 14.186" E
25	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 39.919" N	80° 47' 11.220" E
26	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	26.185	21° 43' 36.547" N	80° 47' 6.402" E

Land Schedule of Compartment-P135

DIVISION	SUB DIVISION	RANGE	COMPARTMENT	AREA (HA)
Khairagarh	Gandai	Salhewara	P135	26.185

Coordinate System: GCS WGS 1984
Datum: WGS 1984
Units: Degree

वन मंडलाधिकारी
खैरागढ़ वनमंडल

उप वन मंडलाधिकारी, गण्डई
खैरागढ़ वनमण्डल (छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र साल्हेवारा

नोडल अधिकारी (पर्यावरण)
एस.ई.सी.एल., कुसमुण्डा क्षेत्र,

Customer	SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED				
Project	GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF CA (COMPENSATORY AFFORESTATION)FOREST LAND AT KHAIRAGARH DIVISION			Job Number 502306	
Subject	PLAN SHOWING OF CA (COMPENSATORY AFFORESTATION) FOREST LAND COMPARTMENT NO-P135 (AREA-26.185HA) AGAINST 6.9621HA REVENUE FOREST LAND FOR NURMUNDA OCP OF NURMUNDA AREA(SECL)	Activity	Name	Designation	Signature	Date
		Surveyed	Madhusudan Bank	Sr.Surveyor(C)		
		Approved	Sudhanshu Mishra	Chief Manager (Mining)		
cmpdi		Scale	1:5,000	Sheet	1	
		Dwg	CMPDI/R15BSP/GEOM/2023/DGPS/89	Rev No.	0	

80°45'0"E 80°50'0"E 80°55'0"E 81°0'0"E

COMPENSATORY AFFORESTATION(CA)FOREST LAND OF KHAIRAGARH DIVISION SHOWN ON TOPOSHEET AGAINST 43.942 HA REVENUE FOREST LAND OF KUSMUNDA OCP,KUSMUNDA AREA,SECL

Division-Khairagarh, Sub_Division-Gandai,Range-Gandai,Compartment-P100(Area-21.699 Ha)
AND
Division-Khairagarh, Sub_Division-Gandai,Range-Salhewara,Compartment-P135(Area-26.185 Ha)

N

21°50'0"N 21°45'0"N 21°40'0"N 21°35'0"N 21°30'0"N 21°25'0"N

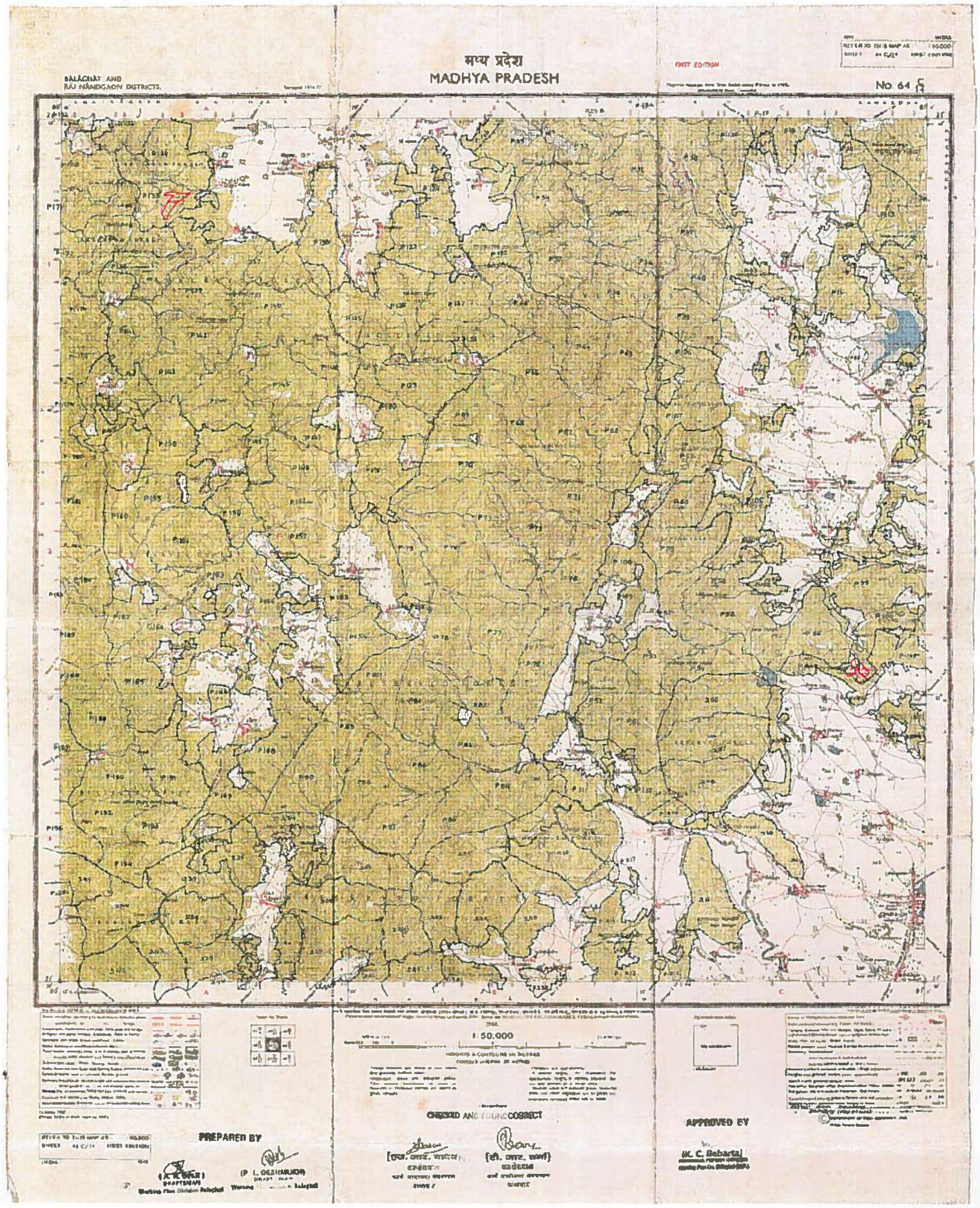

0 1 2 4 6 8 Kilometers 1:50,000

वन मंडलाधिकारी
खैरागढ वनमंडल

उप वनमण्डलाधिकारी,गण्डई
खैरागढ़ वनमण्डल (छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र साल्हेवारा

80°45'0"E 80°50'0"E 80°55'0"E 81°0'0"E

GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF CA (COMPENSATORY AFFORESTATION) FOREST LAND AT KHAIRAGARH DIVISION COMPARTMENT-P135 (AREA-26.185 HA)

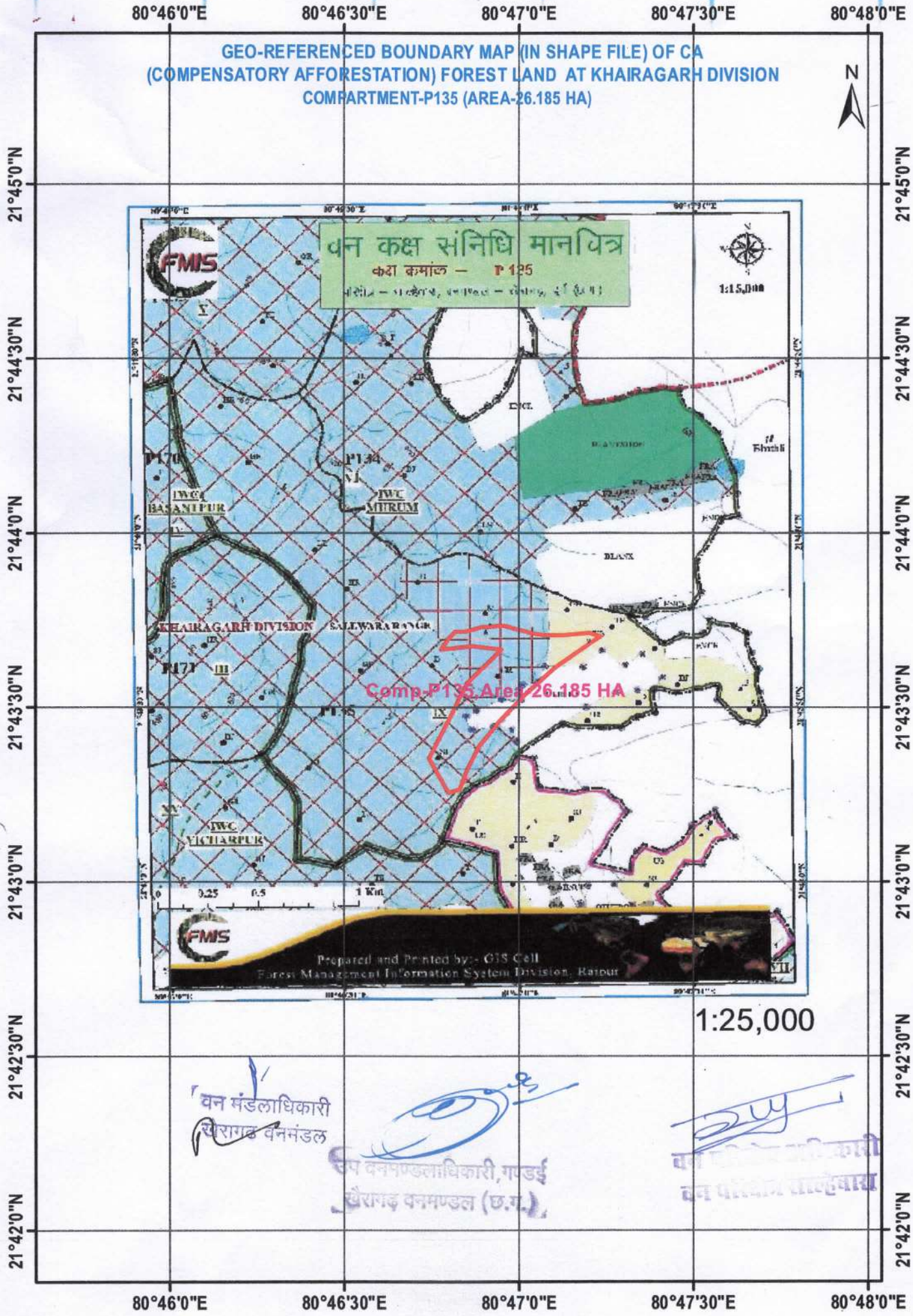

वन मंडलाधिकारी
खैरागढ़ वनमंडल

उप वनमण्डलाधिकारी, गण्डई
खैरागढ़ वनमण्डल (छ.ग.)

गूगल मानचित्र

सिंचित (वैकल्पिक) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य

क्रमांक – पी/135 प्रस्तावित रकबा– 26.185 हे.

21°43'21.07"N	80°46'44.69"E	21°43'43.15"N	80°46'49.17"E
21°43'39.26"N	80°46'56.90"E	80°47'14.32"E	80°47'14.32"E
21°43'39.66"N	80°46'46.92"E	21°43'14.98"N	80°46'48.01"E

वन मंडलाधिकारी
वैरागढ़ वनमंडल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र साल्हेवारा

Project File 2016-17- 3

उपचार मानचित्र

सिंचित (वैकल्पिक) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य

क्रमांक – पी / 135 प्रस्तावित रकबा– 26.185 हे.

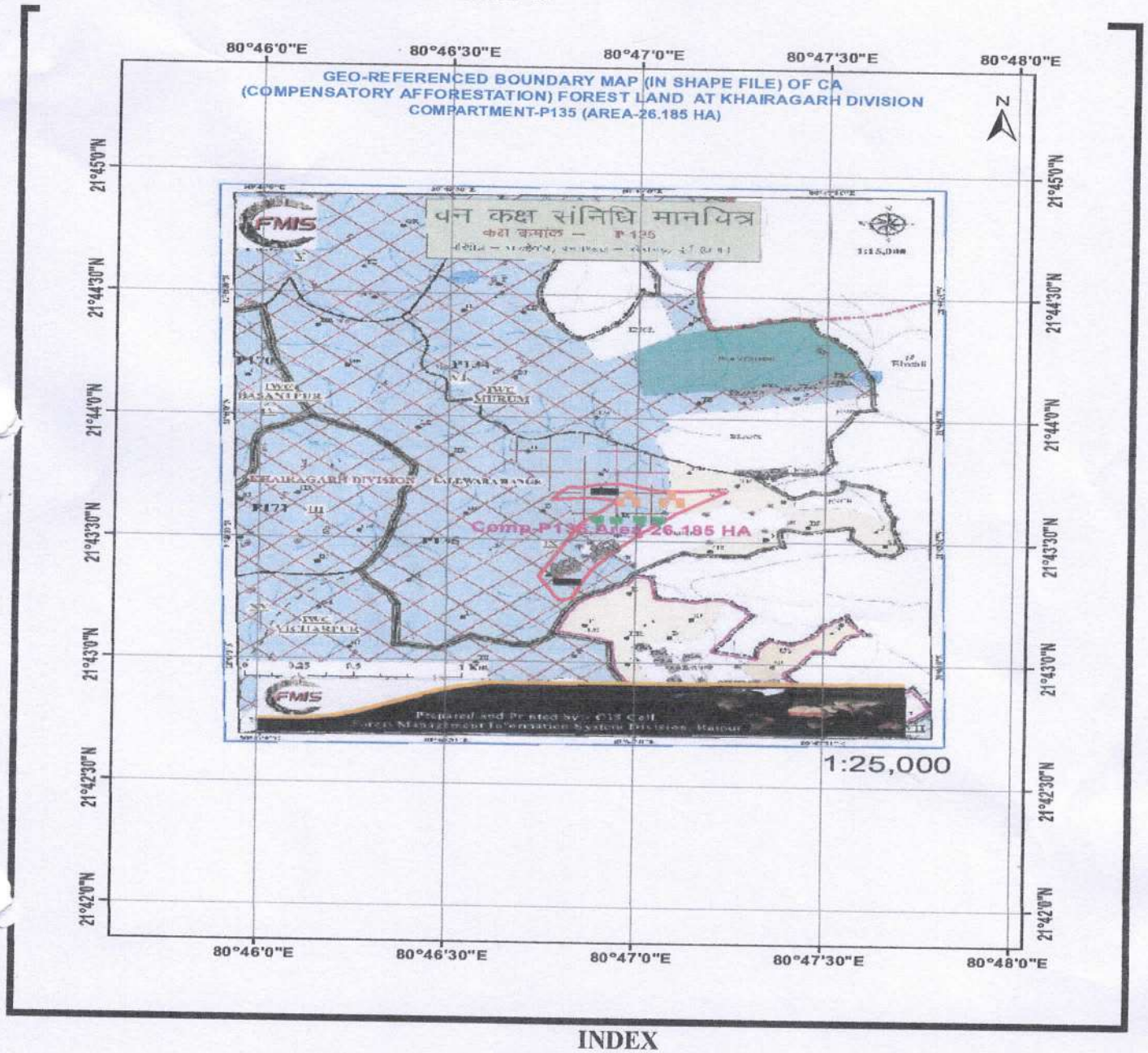

INDEX

1	क्षेत्र सीमांकन, सर्वेक्षण कार्य	
3	नदी नाला	
4	**भू–जल संरक्षण कार्य**	
5	कन्टूर ट्रेंच खुदाई कार्य	
6	बोल्डर चेकडेम	
7	सी.बी.ओ. कार्य	
8	सी.सी.टी कार्य	

वन मंडलाधिकारी
खैरागढ़ वनमंडल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र साल्हेवारा

Project File 2016-17- 2

पुनरीक्षित मानचित्र

सिंचित (वैकल्पिक) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य

क्रमांक – पी / 135 प्रस्तावित रकबा– 26.185 हे.

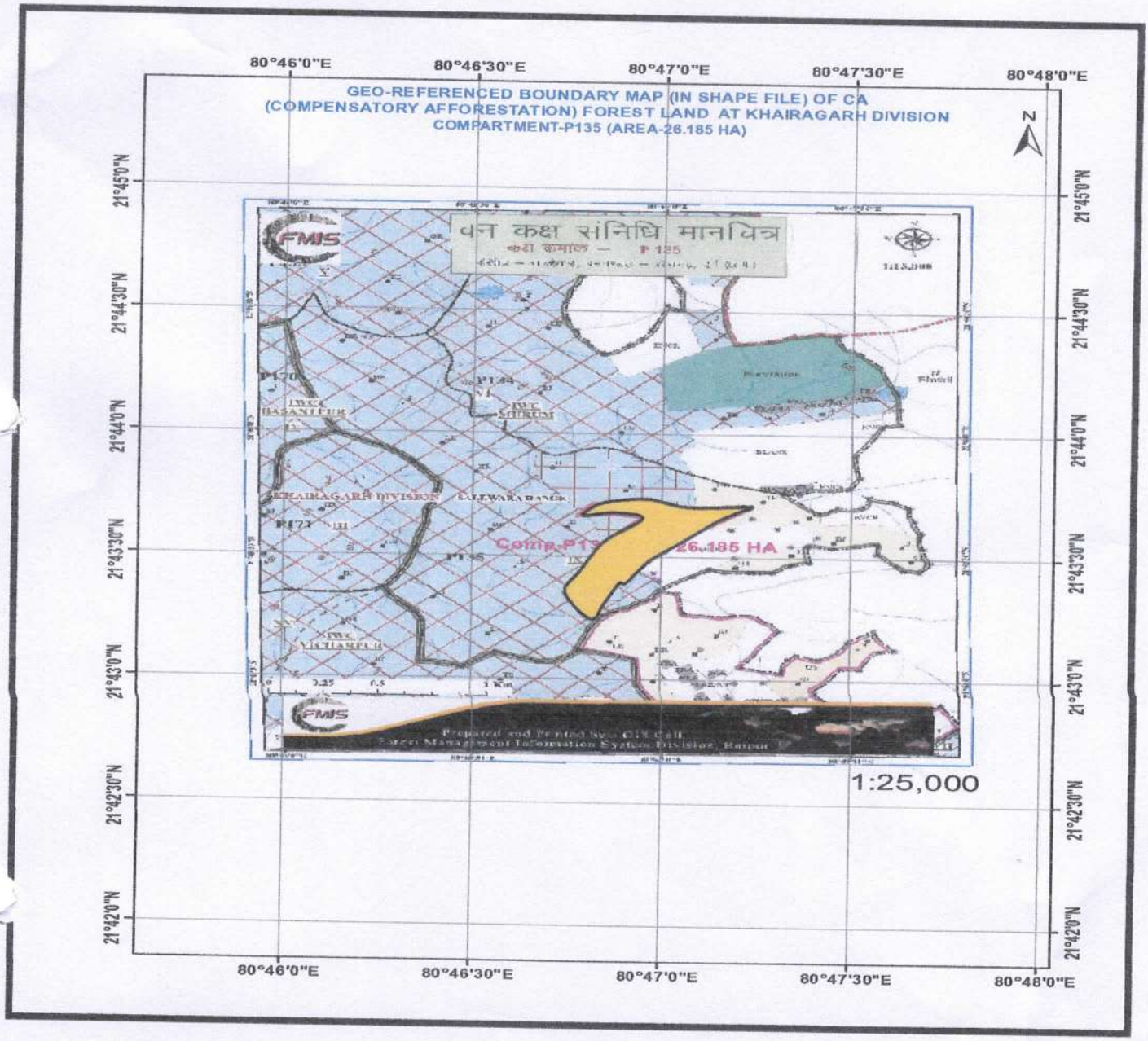

INDEX

1	कक्ष सीमा	
2	कूप सीमा	
3	नदी नाला	
4	मुनारा	
5	उपचारित क्षेत्र	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र साल्हेवारा

वन मंडलाधिकारी
खैरागढ़ वनमंडल

Project File 2016-17- 1

छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

परियोजना प्रतिवेदन – कैम्पा योजना

क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

प्रथम वर्ष 2023–24

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खदान में प्रभावित हो रही वनभूमि के विरूद्ध में उपलब्ध करायी जा रही बिगड़े वनभूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण (सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण) कार्य

कक्ष कमांक	:	पी/100 पैच – 02
परिसर	:	अचानकपुर पूर्व
उपवृत्त	:	ठाकुरटोला
रकबा	:	8.313 हे0
पौधा संख्या	:	8313 पौधा

वन परिक्षेत्र, गंडई

वन मण्डल, खैरागढ़ - वन वृत्त दुर्ग

जिला - खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, छ ग़

Project File 2016-17-466

परियोजना प्रतिवेदन

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खदान में प्रभावित हो रही वनभूमि के विरूद्व में उपलब्ध करायी जा रही बिगड़े वनभूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण (सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण) कार्य

प्रथम वर्ष 2023–24

1.	कार्य का नाम	:	सिंचित (वैकल्पिक) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य
2.	योजना का नाम	:	राज्य कैम्पा मद योजना
3.	कार्य स्थल का नाम	:	कक्ष क पी/100 पैच – 2
2.	कक्ष का कुल रकबा	:	257.420 हे0
5.	रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा	:	8.313 हे0
6.	पौधा संख्या	:	8313 पौधा
7.	परिसर	:	अचानकपुर पूर्व
8.	स.व.प्र.समिति	:	गहिराटोला
9.	उपवृत्त	:	ठाकुरटोला
10.	वनपरिक्षेत्र	:	गंडई
11.	उप वनमंडल	:	गंडई
12.	वनमंडल	:	खैरागढ़
13.	प्रोजेक्ट राशि	:	80.359 लाख रू.
14.	प्रति हे0 व्यय राशि	:	966666.00 रूपये

योजना का उद्देश्य एवं स्वरूप

4. उच्च गुणवत्ता वाले बांस, सागोन इत्यादि प्रजाति के पौधों का रोपण किया जावेगा।
5. रोपण हेतु कक्ष कमांक पी/100 पैच– 02 का 8.313 हे0 क्षेत्रफल का चयन किया गया है।
6. योजना के माध्यम से पारिस्थितकीय संतुलन स्थापित करते हुऐ वन संरक्षण एवं प्रबंधन में ग्रामीणों की सकीय भागीदारी सुनिश्चित किया जावेगा।

वन परिक्षेत्र अधिकारी,
गण्डई

Project File 2016-17-467

परियोजना लागत

राज्य कैम्पा निधि से सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव

रोपण अंतराल – 3x3 | गडडे का आकार 60x60x60

पौधा की संख्या :– 8313 | रोपण हेतु कार्य योग्य कुल रकबा 8.313

रोपण स्थल–कक्ष क्रमांक पी. 100 अचानकपुर पूर्व | मजदूरी दर 332 प्रति दिवस

प्रथम वर्ष 2023 – 2024

क्र.		कार्य दर क्रं.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
						मा.दि.	राशि / इकाई		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	1.1	PCCF Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन – 3 मी. चौड़ी लाईन कटाइ सफाई करना, जी.पी.एस. से सर्वे कर के.एम.एल. फाईल तैयार करते हुए, सीमा में खुँटा लगाना।	8.313	Hact	0.85	मा.दिवस/हे.	7.07	2345.93
	1.2	PCCF Rate 1.1.2	वन संनिधि उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना।	8.313	Hact	0.25	मा.दिवस/हे.	2.08	689.98
							सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :–		3035.91
2			फेंसिंग कार्य						
	2.1		एंगल आयरन पोल एवं चैनलिंक फेंसिंग कार्य क्षेत्र की फेंसिंग हेतु जी.पी.एस.ट्रेकिंग से प्राप्त सीमालाईन (पेरीमीटर) के आधार पर फेंसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा इस हेतु मैपसोर्स (Map source) साफ्टवेयर से जी.पी.एस. ट्रेकिंग मैप जिसमें Length of perimeter के साथ Area दर्शित हो लगाया जाना सुनिश्चिम किया जावे ।						
	2.1.1	RES SOR 307	एंगल आयरन पोल गाडने हेतु कड़ी मिट्टी /कठोर मुरूम में गढढा खुदाई						
			साईज – 0.40x0.40x0.40 = 0.064 Cmt.	13.83	Cmt	247.70	Rs/Cmt.		3426.39
	2.1.2	RES SOR 413 (c)	एंगल आयरन पोल गाडने हेतु खोदे गये गढढों में 1:4:8 सी सी. का मिश्रण डालना एवं तराई (उपयोग 40 एम.एम. गिट्टी)						
			साईज –2600x0.40x0.40x0.10=41.60 cmt.	1.21	Cmt	3430.40	Rs/Cmt.		4163.47
	2.1.3	PWD SOR 9.45	सीमेंट कांक्रीट ब्लॉक में एंगल आयरन पोल निर्धारित साईज का लगाना :– (एंगल आयरन पोल का Bottom Split हो एवं Right angle में मुडा होना चाहिये तथा 10mm diameter का प्रत्येक 30 से.मी. में छेद होना चाहिये तथा agele iron pole में Red Oxide Zine Chromate primer की एक लेयर लगी हो)	2334.29	kg.	69.50	Rs/kg		162233.18
			साईज – 50x50x6mm						
			लम्बाई – 2.40 मीटर						
			985x2.40=2364 रनिंग मीटर						
			@4.50 kg. प्रति रनिंग मीटर						
	2.1.4	RES SOR 413, 416 (a)	एंगल आयरन पोल गाडने हेतु खोदे गये गढढों में 1:2:4 सी. सी. द्वारा एंगल आयरन पोल फिक्सिंग कार्य तराई सहिंत (उपयोग 20 एम.एम. गिट्टी)						
			2600x0.40x0.40x0.30=124.80 Cmt.						
			(-) एंगल आयरन पोल साइज 2600x0.30x0.06x0.06=2.808Cmt.						
			Net-	10.14	Cmt.	4550.90	Rs/Cmt.		46150.81
	2.1.5	PWD SOR 9.43.1	निर्धारित साइज की 50x50mm छेद वाली 4mm diameter वाली जी.आई. तार से निर्मित चैनलिंक लोहे की जाली एंगल आयरन पोल में 2mm diameter वाली जी. आई. तार / जी.आई. स्टेपल / जी.आई. यू नेल्स / स्टील पिन की सहायक से बांधकर टाईट करना ।	1134.72	Sqm.	331.00	Rs/Sqm.		375593.81
	2.1.6	RES SOR 1335 (a)	एंगल आयरन पोल में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना 2600x2.10x0.20 = 1092 Sqm.	91	Sqm.	163.30	Rs/Sqm.		14824.04

	2.1.7	RES SOR 1335 (a)	लोहे की चैनलिंक जाली में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना 6500x2.10x2 = 27300/10= 2730Sqm.	227	Sqm.	163.30	Rs/Sqm.		37060.10
	2.1.8	Special Rate	ट्रकेवल प्वाइंट से चैनलिंक जाली / एंगल आयरन पोल सीमेंट / ईंट / गिट्टी कार्यस्थल तक परिवहन – सामग्री मूल्य का 2 प्रतिशत						65627.89
	2.1.9		अन्य आकस्मिक व्यय						20000.00
							फेंसिंग कार्य पर व्यय :–		**729079.70**
							प्रति रनींग मीटर फेंसिंग कार्य पर व्यय :–		**308.41**
							प्रति हैक्टेयर व्यय :–		**87703.56**
3			जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य						
	3.1	Special Rate	ठूंठ ड्रेसिंग–20 से.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के कॉपीस प्रजाति के जीवित ठूंठ एवं पोलार्ड का प्रतिकर्तन एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)	8.313	Hact	5	मा.दि./हे.	41.57	13799.58
	3.2	PCCF 1.2.2	क्षेत्र की सफाई 20 से.मी. गोलाई तक की अनुपयोगी कापिस देने वाली प्रजाति की आडी–टेढी विकृत अग्रिम पौध की कटाई एवं ठूंठों की ड्रेसिंग तथा सफाई	4.1565	Hact	5	मा.दि./हे.	20.78	6899.79
	3.3	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र – वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए मिर्रो को खीचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (प्रथम वर्ष कार्य)	3.3252	Hact	30	मा.दि./हे.	99.76	33118.99
	3.4	Special Rate CAMPA	क्षेत्र में स्थित अनुपयोगी झाड़ियों एवं अनुपयोगी ठूंठो को खोदकर कार्य स्थल से बाहर हटाना।	4	Hact	50	मा.दि./हे.	200	66400.00
							जड़भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :–		**120218.36**
4			रोपणी में पौधा तैयारी :–						
	4.1	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहिंत)	9144	Plants	66	रू./पौधे		603523.80
							नर्सरी में पौध तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय		**603523.80**
5			रोपण क्षेत्र का उपचार						
	5.1	Special Rate	<u>रिक्त कडी भूमि में गहरी जोताई कार्य –</u> एम.बी.प्लाऊ से 2 बार गहरी जुताई कर अवांछित प्रजाति के जड़ों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुए मेढ़ बनाना–खुला क्षेत्र 60 प्रतिशत टीपः– रोपण हेतु चयनित क्षेत्र अंतर्गत 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र में ही ट्रेक्टर से गहरी जोताई किया जावेगा इस हेतु कुल चयनित क्षेत्र का 60 प्रतिशत में जोताई प्रवाधानित किया गया है। परन्तु जहां 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र अधिक हो वहां पर जोताई क्षेत्र अधिक हो सकता है तदानुसार जोताई क्षेत्र का रकबा निर्धारित किया जावे। जहां 10 प्रतिशत से अधिक ढलान हों वहां पर कन्टूर ट्रेंच आदि संरचनाओं का निर्माण किया जावेगा।	4.99	Hact.	10000	रू./हे.		49878.00
	5.2		स्टेकिंग कार्य :–						
	5.2.1	PCCF 1.4.2	3x2 मी. अंतराल में मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु	8313	Pits	3.5	मा.दि./हजार	29.1	9659.71
							स्टेंकिंग कार्य पर व्यय :–		**59537.71**
	5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					5000.00
	5.4		गड्ढों की खुदाई						
	5.4.1	PCCF 1.5.2.3	मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु 3x3 मीटर की अंतराल में 60x60x60 से.मी. साईज के कड़ी मिट्टी में गढढा खुदाई कार्य (क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% नरम मुरूमी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया)	8313	Pits	12	मा.दि. /सैकड़ा	997.6	331189.92
	5.4.2	Market Rate	गढढों की 50 प्रतिशत मिट्टी परिवर्तन हेतु उपजाऊ मिट्टी परिवहन – 60x60x60 = 0.216 Cmt.x41908=9052 Cmt/2	897.804	Cum	500	रूपये/घ.मी.		448902.00
							गड्ढे खुदाई कार्य पर व्यय :–		**785091.92**
							रोपण उपचार पर व्यय :–		**844629.63**

6			भू–जल संरक्षण कार्य – (25 प्रतिशत)						
	6.1		कण्टूर ट्रेंच टी का निर्माण						
	6.1.1	PCCF Rate 4.15.1	सी.सी.टी. खुदाई के लिए A फ्रेम की सहायता से कंटूर लाईन डालना एवं ट्रेच खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (20m.int/h.x100m@500m/Hact) टीप :– स्थल की भौगोलिक संरचना के अनुरूप सी.सी.टी. की लम्बाई का निर्धारण किया जावेगा।	1039.125	mt	0.15	मा.दि. / से.मी.	3	996.00
	6.1.2	Special Rate PCCF rate 4.15.2 (0.16)	कड़ी मिट्टी में सतत खंती 45 से.मी. x 45 से.मी. माप का खुदाई कर प्राप्त मिट्टी को फैलाना एवं मेढ़ बनाना। (30 से.मी.x 30 से.मी आकार के लिए स्वीकृत दर 0.16 मा.दिवस का डेढ़ गुना दर = 0.25 मा.दि. का दर आकलन किया गया है।	1039.125	mt	0.12	मा.दि. / मी.	124.7	41398.74
	6.2	PCCF Norms & RES/ PWD SOR	नालों का उपचार यथा लुज बोल्डर चेक डेम, मिट्टी बांध, गेबियन एवं पक्का स्थाई चेकडेम संरचनाओं का निमाण (नालों में ऊपर से नीचे तक का उपचार) नीचे दर्शित संरचनाओं में से जो भी संरचना उपयुक्त हों क्षेत्र के अनुसार बनवाई जावे – लूज बोल्डर चेकडेम, गैबियन संरचना, मिट्टी का बांध पक्का स्थायी चेकडेम डबरी निर्माण						99756.00
			टीप :– क्षेत्र सवेक्षण के दौरान यह निर्णय लिया जावेगा, कि उपरोक्त संरचनाओं में से कौन सी संरचना स्थल विशेष हेकतु उपयुक्त होगा, तदानुसार ही संरचनाओं का चयन कर निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।						
							भू–जल संरक्षण कार्य पर व्यय :–		**142150.74**
7			सिंचाई सुविधा का विकास प्रति 5 हेक्टर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप की मान से						
	7.1	Special Rate	भू–तल में पानी की जांच हेतु वाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट कराना	2		5000	प्रतिबोर		8313.00
	7.2	Special Rate	बोरवेल खुदाई कार्य कम्पलीट फेंसिंग सहित	2		137500	प्रतिबोर		228607.50
	7.3	Special Rate	सोलर पंप अथवा विद्युत चलित पंप या डीजल पंप की सपिना मय समस्त उपकरण व पाईप आदि	2		440000	प्रतिपंप		731544.00
							सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :–		**968464.50**
8			क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य						
	8.1		अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनों पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि वानिकी, एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	8.313	Hect.	9960	रूपये / हे.		82797.48
	8.2		आस्था मूलक कार्य – संयुक्त वन प्रबंधन समिति के प्रस्ताव अनुसार	8.313	Hect.	11000	रूपये / हे.		91443.00
	8.3		अग्नि सुरक्षा						
	8.3.1	PCCF rate 5.4.5 & 5.4.6	सम्पूर्ण क्षेत्र को 25–25 है. की सैक्टर में विमाजित कर 3 मी. चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्धारण करना। (80 मी. / हे. की मान से)	665.04	Mtr	2.5	मा.दि. / कि.मी.	1	528.71
	8.4		अन्य व्यय						
	8.4.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोड, गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण / चौकीदार हट का निर्माण	LS					6000.00
	8.4.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	LS					5703.46
							अन्य आकस्मिक व्यय का योगः–		**186472.65**
							कुल योगः–		**3597575.28**
							प्रति हैक्टेयर व्यय :–		**432764.98**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर		कुल मा. दि.	कुल राशि
						मा.दि.	राशि/इकाई		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊचांई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेख तैयार करना ।	8313	No.	1.00	रूपये / नग		8313.00
	1.2	Special Rate	अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनो पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि वानिकी, एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	8.313	Hect	9960.00	रूपये / हे.		82797.48
							पौधें की वृद्धि मापन पर व्यय :–		**91110.48**
2			फेंसिंग कार्य						
	2.1		फेंन्सिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	25.94	Rm.	770.00	रूपये/र.मी.		19971.15
3			जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार						
	3.1		घास उत्पादन एवं उपचार						
	3.1.1	Special Rate	ट्रेक्टर द्वारा अन्तर जोताई दो बार	4.9878	Hact.	4000	रू./हे.		19951.20
	3.1.2	Special Rate	घास बीज बोवाई :– स्थानीय प्रजाति के उपयोगी घास बीज संग्रहण एवं बोवाई कार्य (60 प्रतिशत क्षेत्र)	4.9878	Hact.	5000	रू./हे.		24939.00
	3.1.3	Special Rate	खरपतवार निंदाई :– घास बीज के साथ अनुपयोगी खरपतवार का निंदाई 02 बार (20 मानव दिवस प्रति हेक्टेयर)	4.9878	Hact.	20	मा.दि./हे.	100	33118.99
							जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार अंतर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :–		**97980.34**
4			रोपणी में पौधा तैयार कार्य पर व्यय						
	4.1	Special Rate	30X45 से.मी पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	9560	Plants	22	रू./पौधे		210318.90
	4.2	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी प्रथम वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	831	Plants	66	रू./पौधे		54865.80
							रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष व्यय		**265184.70**
5			रोपण क्षेत्र का उपचार						
	5.1		पौधा परिवहन						
	5.1.1	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों का नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढे तक पहंचाना	9560	Plants	22	रू./पौधे		210318.90
							पौधा परिवहन पर व्यय :–		**210318.90**
	5.2		पौधा रोपण						
	5.2.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में (खाद एवं मिट्टी भराई सहित) 3.55 रोपण + 0.45 गड्ढा भराई प्रति मानव दिवस	8313	Plants	4.4	मा.दि. /सैकड़ा	366	121436.30
							रोपण कार्य पर व्यय :–		**121436.30**
	5.3		रोपण एवं निंदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
	5.3.1		गोबर खाद्य/समिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद्य						

	5.3.1.1	Local Rate	60^3 से.मी. आकार के गड्ढो में मिश्रित एवं फलदार पौधा रोपण हेतु गोबरखाद का क्रय परिवहन सहित(1/4 भाग भरना) 0.60x0.60x0.60=0.216 M^3 का (1/4) = 0.054 M^3	41565	cum	11	रू./घ.मी.		457215.00
	5.3.2		डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
	5.3.2.1	Local Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में 50 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) के मान से रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय ।	415.65	kg	33	रू./किलो		13716.45
	5.3.3		नीम खली का क्रय						
	5.3.3.1	Local Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मान से पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	1246.95	Kg	44	रू./किलो		54865.80
	5.3.4	Local Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल. प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग।	24.939	Ltr	1100	रू./लि.		27432.90
	5.3.5		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
	5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय सागौन, मिश्रित एवं फलदार पौधों में प्रति पौधा 50 ग्राम प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर पर क्रय।	1246.95	Kg	32	रू./किलो		39902.40
	5.3.6	Special Rate	पौधों की अच्छी बढ़त के लिए मिट्टी परीक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाईजर, हार्मोन एवं एन्जाईम का उपयोग।	8313	Plants	10	रू./पौधे		83130.00
							खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :–		**676262.55**
	5.4		निंदाई कार्य						
	5.4.1	Special Rate	प्रथम निदाई एवं गुड़ई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित	8313	Plants	2	मा.दि. /सैकड़ा	166	55198.32
	5.4.2	Special Rate	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रापण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	8313	Plants	2	मा.दि. /सैकड़ा	166	55198.32
	5.4.3	PCCF 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रापण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित (तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर भू सतह पर बने केपिलरी टूटने से भूमि सतह की नमी लम्बे समय तक बनी रहीत है इसलिए तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है)	8313	Plants	1.2	मा.दि. /सैकड़ा	100	33118.99
							निंदाई कार्य पर व्यय :–		**143515.63**
							रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :–		**1416718.09**
6			पानी सिंचाई कार्य						
	6.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलार पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 5 हे. 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3X3 मी. की अन्तराल पर लगभग 1 हे. में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भवं को पाया था तदानुसार प्रति पौधा एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
	6.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10	Time	1.820	मा.दि./सैकड़ा	151.3	50230.47
	6.1.2	Special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	8.313	Hect	8800.000	प्रति.हे0		73154.40
							सिंचाई पर कुल व्यय :–		**123384.87**
7			अन्य कल्चरल आपरेशन						

	7.1	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र – वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिर्रो को खीचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (द्वितीय वर्ष कार्य)	3	Hect	10	मा.दि. / हे.	33.252	**11039.66**
8			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	8.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि. / माह	312	103584.00
	8.2	Special Rate	आस्था मूलक कार्य – संयुक्त वन प्रबंधन समिति के प्रस्ताव अनुसार	8.313	Hect	11000	मा.दि. / हे.		91443.00
	8.3		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि *मरम्मत / निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य*						20000.00
							सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल योगः–		**215027.00**
9			सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	9.1		मजदूरी / सामाग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					**24473.00**
							सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल योगः–		**24473.00**
							योग व्यय :–		**1979733.44**
							प्रति. हैक्टेयर व्यय :–		**238149.10**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनों पर निर्भरता कम करने के उपाय कृषि वानिकी, एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	8.313	Hact.	1100	रूपये / हे.		9144.30
	1.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊचांई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना। एवं अभिलेख तैयार करना	8313	Plants	1.50	रूपये / हे.		12469.50
								पौधें की वृद्धि मापन पर व्यय :–	**21613.80**
2			फेंसिंग कार्य						
	2.1	Special Rate	फेंन्सिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	51.87	Rm	770	रूपये/र.मी.		39942.30
								फेन्सिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :–	**39942.30**
3			रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
	3.1	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी एवं रखरखाव हेतु द्वितीय वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	831	Plants	20	रू./पौधे		16626.00
								रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय	**16626.00**
4			रोपण क्षेत्र का उपचार						
	4.1		मृतप्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)						
	4.1.1	PCCF 1.5.2.2	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों के रोपण हेतु गढढा खोदाई 60x60x60 सेमी साईज नरम मिट्टी में।	831	Pits	10.50	मा.दि. /सैकड़ा	87.287	28979.12
	4.1.2	Special Rate	पौधों का परिवहन (पॉलीथीन साईज 25x30 से.मी.)	831	Plants	20.00	रूपये /पौधे		16626.00
	4.1.3	Local Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल. प्रति पौधा की मान से उपयोग	2.49	Ltr	1000.00	रूपये /लिटर		2493.90
	4.1.4	PCCF 4.10.2.3	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर खोदे गए 60x60 सेमी साईज के गड्ढों में शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों का रोपण	831	Plants	3.55	मा.दि. /सैकड़ा	29.511	9797.70
								मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :–	**57896.72**
5	**5.1**		रासायनिक खाद एन.पी.के. का क्रय						
	5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	1246.95	Kg	30	रू./किलो		37408.50
	5.2.2		वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 200 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 03 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	4987.8	Kg	10	रू./किलो		49878.00
									87286.50
	5.2		निंदाई कार्य						
	5.2.1	Special Rate	1. प्रथम निंदाई/ गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी जिसके साथ मृत पौधों को बदलना, युरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकर थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहिंत)	8313	Plants	2.00	मा.दि. /सैकड़ा	166.26	55198.32
	5.2.2	PCCF Norms 4.11.2.2	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	8313	Plants	2.00	मा.दि. /सैकड़ा	166.26	55198.32
	5.2.3	PCCF 4.11.3.2	3. तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी। (थाला बनवाया जावेगा)	8313	Plants	1.20	मा.दि. /सैकड़ा	99.756	33118.99
								निंदाई कार्य पर व्यय :–	**143515.63**

6	6.1	Local Rate	दो बार ट्रेक्टर से अंतर जुताई	4.9878	Hact.	4000	रूपये / हे.		19951.20
							रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय		**308650.05**
7			जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य						
	7.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत) कटूर ट्रेंच की दुरूस्तीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, ग्रबियन, बोल्डर बंड, आदि संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण कार्य।	8.313	Hact.	3300	रूपये / हे.		27432.90
							जल संवर्धन कार्य पर व्यय :–		**27432.90**
8			पानी सिंचाई कार्य						
	8.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलार पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 5 हे. 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3X3 मी. की अन्तराल पर लगभग 1 हे. में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भवं को पाया था तदानुसार प्रति 1000 पौधा में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
	8.1.1	Special Rate	माह अप्रेल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	9	Time	1.820	मा.दि./सैकड़ा	151.3	50230.47
	8.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 15 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10	Time	1.820	मा.दि./सैकड़ा	151.3	50230.47
	8.1.3	Special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	8.313	Hect	8000	प्रति हे.		66504.00
							सिंचाई पर कुल व्यय :–		**166964.94**
9			अन्य कल्चरल आपरेशन						
	9.1		Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र – वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिर्रो को खीचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (तृतीय वर्ष कार्य)	3	Hect	3	मा.दि./ हे.	9.9756	3311.90
	9.2		एकलीकरण कार्य						
	9.2.1	PCCF Norms1 .2.3	जीवित ठूंठो से निकल मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	8.313	Hact.	3	मा.दि./हे.	24.939	8279.75
							अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कॉपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :–		**11591.65**
10			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	10.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिशिचित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति	1	12	26	मा.दि./माह	312	103584.00
	10.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						4072.58
							सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल योगः–		**107656.58**
11			सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	11.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%					4400.00
							दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय		**4400.00**
							योग व्यय :–		**704878.22**
							प्रति. हैक्टेयर व्यय :–		**84792.28**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्रं.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा. दि.	कुल राशि
						मा.दि.	राशि/इकाई		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	8313	Plants	1.50	रूपये / पौधा		12469.50
							पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :–		**12469.50**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
		Special Rate	फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	51.87	Rm.	770	रूपये / र.मी.		**39942.30**
3	3.1		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
		Special Rate	रोपणी व्यय – औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी कार्य प्रथम वर्ष (पॉलीथीन साईज 20x30 से.मी.) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधा)	457	Plants	20	रूपये / पौधा		**9144.30**
4	4.1		रोपण क्षेत्र उपचार						
		PCCF Norms 1.5.1.2	औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु साधारण मिट्टी में गढढा खुदाई कार्य साईज – 45x45x45 cm	416	Nos.	5	मा.दि./सैकड़ा	20.8	**6899.79**
5	5.1		निंदाई कार्य						
	5.1.1	Special Rate	1.प्रथम निंदाई/गुडाई एक मीटर व्यास में रोपित एवं अंगीकृत दोनों प्रकार के पौधों में की जावेगी जिसके साथ निर्धारित मात्रा में युरिया तथा जैविक खाद डाला जाऐगा। (अर्ध चन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहिंत)	8313	Plants	2	मा.दि./सैकडा	166.26	55198.32
	5.1.2	PCCF Norms 4.11.2.2	2.द्वितीय निंदाई/गुडाई एक मीटर चौडी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी। एवं थाला बनाया जावेगा (2मा. दि. प्रति सैकडा)	8313	Plants	2	मा.दि./सैकडा	166.26	55198.32
	5.1.1	Market Rate	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 250 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 500 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	4157	Kg	10	रूप्ये/किलो		41565.00
	5.2.2	Market Rate	रासायनिक खाद कय एन.पी.के बडे पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग	831	Kg	30	रूप्ये/किलो		24939.00
							निंदाई कार्य पर कुल व्यय :–		**176900.64**
							रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :–		**245356.53**
6									
	6.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत) कण्टूर ट्रेंच की दुरूस्तीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, गेबियन, बोल्डर, बंड, आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य ।	8.313	Hect.	3300	रूपये / हे.		27432.90
			पानी सिंचाई कार्य						
	7.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा । इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा । हरियर छ.ग.कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकडो के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3ग3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था तदानुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी ।						

	7.1.1	Special Rate	माह अप्रेल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	9.00	Time	1.820	मा.दि. /सैकड़ा	151.3	50230.47
	7.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10.00	Time	1.820	मा.दि. /सैकड़ा	151.3	50230.47
	7.1.3		पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	8.313	Hect.	8000	प्रति/ हे.		66504.00
								पानी सिंचाई पर व्यय –	**194397.84**
			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	8.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिशिचित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि. / माह	312	103584.00
	8.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						5812.96
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**109396.96**
9			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	9.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	15%					10000.00
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**10000.00**
								योग व्यय :–	**559151.3**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**67262.28**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	8313	Plants	1.50	रूपये / पौधा		12469.50
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**12469.50**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
		Special Rate	फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	52	Rm.	770	रूपये / र.मी.		39942.30
3			पानी सिंचाई कार्य						
	3.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा । इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा । हरियर छ.ग.कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकडो के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3ग3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था तदानुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी ।						
	3.1.1	Special Rate	माह अप्रेल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	6.00	Time	1.820	मा.दि. /सैकड़ा	151.3	50230.47
	3.1.2		पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	8.313	Hect.	8000	प्रति/ हे.		40782.00
								पानी सिंचाई पर व्यय –	**130954.77**
4	3.1		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
		Special Rate	रोपणी व्यय – औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी कार्य द्वितीय वर्ष (पॉलीथीन साईज 20x30 से.मी.) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधा)	457	Plants	10	रूपये / पौधा		4572.15
								रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :–	**4572.15**
4	4.1		रोपण क्षेत्र उपचार						
	4.1	Special Rate	रोपण हेतु औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों का परिवहन	416	Plants	6	रूपये/पौधा		2493.90
	4.1.1	Special Rate	औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों का रोपण खाद डलाई सहिंत	416	Plants	3	मा.दि./सैकड़ा	12.5	4139.87
	4.1.2	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग ।	1	Kg.	1000	रूपये / किलो		1246.95
	4.1.3	Special Rate	प्रथम निंदाई कार्य	416	Plants	2	मा.दि./सैकड़ा	8.3	2485.59
	4.1.4	PCCF Norms 4.11.2.2	द्वितीय निंदाई कार्य	416	Plants	2	मा.दि./सैकड़ा	8.3	2485.59
	4.1.5	PCCF Norms 4.11.3.2	तृतीय निंदाई कार्य	416	Plants	1.20	मा.दि./सैकड़ा	8.3	2485.59

	4.1.6	Market Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पौघा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पौघा के मान से	62	Kg.	30.00	रूपये / किलो		1870.43
	4.1.7	Market Rate	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 200 ग्राम प्रति पौधा निदांई के समय 03 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	249	Kg.	10.00	रूपये / किलो		2493.90
								रोपण क्षेत्र उपचार :–	**19701.81**
5			जल संवर्धन						
	5.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	8.313	Hect.	2200	रूपये / हे.		18288.60
								जल संवर्धन कार्य पर व्यय :–	**18288.60**
6			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	6.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिशिचित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि. / माह	312	103584.00
	6.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत / निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**103584.00**
7			सामाग्री / मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	7.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	20%					
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**0.00**
								योग व्यय :–	**289570.8**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**34833.49**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	8313	Plants	1.50	रूपये / पौधा		12469.50
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**12469.50**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	52	Rm.	770	रूपये / र.मी.		26844.64
3			रोपण क्षेत्र उपचार						
	3.1		निंदाई						
	3.1.1	Special Rate	1.प्रथम निंदाई/गुडाई एक मीटर व्यास में रोपित पौधों में युरिया तथा जैविक खाद डाला जाऐगा। (अर्ध चन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहिंत)	416	Plants	2	मा.दि./सैकडा	8.313	2759.92
	3.1.2	PCCF Norms 4.11.2.2	2.द्वितीय निंदाई/गुडाई एक मीटर चौडी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी। एवं थाला बनाया जावेगा (2मा. दि. प्रति सैकडा)	416	Plants	2	मा.दि./सैकडा	8.313	2759.92
	3.2		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
	3.2.1	Local Rate	एन.पी.के.का उपयोग निंदाई के समय औषधि प्रजाति के झाडी एवं बेला प्रजाति के पौधों में प्रति पौघा 25 ग्राम प्रति निंदाई उपयोग हेतु कुल 50 ग्राम के मान से क्रय	21	Kg.	30	रूपये / किलो		623.48
	3.2.2	Market Rate	वर्मी काम्पोस्ट खाद क्रय 100 ग्राम प्रति पौघा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 200 ग्राम प्रति पौघा के मान से क्रय	83	Kg.	10	रूपये / किलो		831.30
								निंदाई पर व्यय	**6974.61**
4									
	4.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	8.313	Hect.	2200	रूपये / हे.		18288.60
5	5.1		कटाई सफाई कार्य						
	5.1.1	PCCF Rate 1.2.4	जीवित ठूंठों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	8.313	Hect.	3	मा.दि./हे0	24.939	8279.75
								अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत क्लिनिंग कार्य पर व्यय :–	**26568.35**
6			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	6.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि./माह	312	103584.00
	6.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव						
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**103584.00**
7			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	7.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	25%					0.00
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**0.00**
								योग व्यय :–	**176441.1**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**21224.72**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	8313	Plants	1.50	रूपये / पौधा		12469.50
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**12469.50**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	52	Rm.	770	रूपये / र.मी.		29380.30
								फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :–	**29380.30**
3	3.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	8.313	Hect.	2200	रूपये / हे.		18288.60
								जल संवर्धन कार्य पर व्यय :–	**18288.60**
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि./माह	312	103584.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**103584.00**
5			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	30%					
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**0.00**
								योग व्यय :–	**163722.4**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**19694.74**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

अष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य (2030–31)

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	8313	Plants	1.50	रूपये / पौधा		12469.50
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**12469.50**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	52	Rm.	770	रूपये / र.मी.		26736.30
3	3.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	8.313	Hect.	2200	रूपये / हे.		18288.60
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि./माह	312	103584.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**103584.00**
5			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	35%					
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**0.00**
								योग व्यय :–	**161078.4**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**19376.69**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	8313	x	1.50	रूपये / पौधा		12469.50
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**12469.50**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	52	Rm.	770	रूपये / र.मी.		39942.30
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**39942.30**
3	3.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत)	8.313	Hect.	3300	रूपये / हे.		27432.90
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**27432.90**
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिशिचित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि./माह	312	103584.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						6605.00
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**110189.00**
5			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	40%					10000.00
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**10000.00**
								योग व्यय :–	**200033.7**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**24062.76**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्रं.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	8313	Plants	1.50	रूपये / पौधा		12469.50
			अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–						**12469.50**
2	2.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (5 प्रतिशत)	8.313	Hect.	1100	रूपये / हे.		**9144.30**
3	3.1	Special Rate	दश वर्षीय थिनिंग कार्य :– रोपण के दसवें वर्ष में सागरिया फार्मुला के तहत् स्वस्थ पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत गोलाई के दस गुना अन्तराल पर स्वस्थ पौधों की कटाई की जावेगी । इससे पौधों को बढाने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा ।	8.313	Hect.	25	रूपये / हे.	207.83	68997.90
			अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत् रोपित पौधों में दस वर्षीय थिनिंग कार्य :–						**68997.90**
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि./माह	312	103584.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						9516.19
			सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–						**113100.19**
5			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	45%					
			दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–						**0.00**
			योग व्यय :–						**203711.9**
			प्रति हेक्टेयर व्यय						**24505.22**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

गोश्वारा				
क	वर्ष	रकबा (हे.)	प्रति हे. दर	राशि
1	प्रथम वर्ष (2023–24)	8.313	432764.98	3597575.28
2	द्वितीय वर्ष (2024–25)	8.313	238149.10	1979733.44
3	तृतीय वर्ष (2025–26)	8.313	84792.28	704878.22
4	चतुर्थ वर्ष (2026–27)	8.313	67262.28	559151.33
5	पंचम वर्ष (2027–28)	8.313	34833.49	289570.83
6	षष्ठम वर्ष (2028–29)	8.313	21224.72	176441.10
7	सप्तम वर्ष (2029–30)	8.313	19694.74	163722.40
8	अष्ठम वर्ष (2030–31)	8.313	19376.69	161078.40
9	नवम वर्ष (2031–32)	8.313	24062.76	200033.70
10	दसम वर्ष (2032–33)	8.313	24505.22	203711.89
	योग –	**8.313**	**966666**	**8035896.61**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

cmpdi
A Mini Ratna Company

GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF COMPENSATORY AFFORESTATION (CA) FOREST LAND (AREA-47.884HA) AT KHAIRAGARH DIVISION FOR KUSMUNDA OCP, KUSMUNDA AREA, SECL

1.0 Introduction

A proposal for DGPS survey of 47.884 hectare compensatory afforestation (CA) forest land at Khairagarh division has been received in CMPDIL through e-office along with details of forest land allotted by forest department duly forwarded through General Manager, kusmunda Area, South Eastern Coalfields Limited (SECL) vide letter SECL/GM/KA/22-23/249 dated 15-12-2022. As per annual action plan for the year 2022-2023(CMPDI/RI-5/EXPL/2022-23/03 Dated 01-04-2022) DGPS survey of forest land is to be taken up by CMPDIL.

As per work order No. SECL/GM/KA/22-23/249 dated 15-12-2022 the CA land (Area-47.884Ha) for 43.942 Ha revenue forest land proposal of Kusmunda OCP has been identified at Khairagarh Forest Division.

Colliery authorities identified the patch on the ground with the help of forest officials.DGPS survey has been carried out at selected ground locations identified by forest personnel as per requirement.

DGPS report containing geo-referenced boundary map and shape files in projected and geographical coordinate system is submitted herewith. A geo-referenced boundary map in 1:25000 scale and corresponding KML files are also enclosed herewith in order to facilitate SECL to apply through online application portal PARIVESH.

Soft copies of the map and shape files are given in CD for further necessary action by SECL.
Relevant documents are given as annexures in this report.
The following table shows the land schedule of the proposed Compensatory Afforestation (CA) Forest Land.

Land Schedule of Compensatory Afforestation(CA) Forest Land					
SL. NO.	**Division**	**Sub_Division**	**Range**	**Comp**	**Area(HA)**
1	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	13.386
2	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	8.313
3	Khairagarh	Gandai	Salhewara	P135	26.185
				Total Area	**47.884**

2.0 Background

Electricity is a very important commodity that cannot be dispensed for the modern lifestyle of people and communities worldwide. India being a growing economy is not an exception. Electricity produced through thermal power stations meets about seventy percentage of total electricity requirement of our country. Coal plays a vital role in these thermal power stations. With growing concern for

increasing power production, the thrust is on increasing production on coal producing companies, such as SECL.

Coal demand for other industrial and domestic consumption has also increased over the years. Coal producing companies, in general, are always required to mine more coal through open cast and underground coal mines in order to meet the coal demand by thermal power stations.

Coal producing companies are left with only two options. Either they should open new coal mines or increase the capacity of existing mines. While it is not very easy to open up new coal mines, the only option left is to expand the existing mines in terms of its capacity or in terms of physical extent of the existing mine.

In most of the mining lease hold areas it is observed that the coal bearing area is falling in forest areas that has been left out for want of forestry clearance. These forest lands are categorized into the following three types:

- Reserved Forest
- Protected Forest
- Revenue Forest

In order to carry out mining activities in these forest lands, forest clearance is required to obtain from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEFCC).

To check irrational exploitation of forest and to maintain the ecological balance, Forest Conservation Act (FRA), 1980 has been enacted. Under this act, no forest land can be used for non-forestry purpose without prior approval from the ministry.

For getting forest clearance from MOEFCC the coal producing companies are required to apply through recently updated web portal called "Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-Window Hub (PARIVESH)" which is a web based, role-based workflow application that has been developed for online submission and monitoring of proposals submitted by the proponents for seeking environment, forest, wildlife, and CRZ clearances from central state and district level authorities.

It automates the entire tracking of proposals which includes online submission of a new proposal, editing/updating the details of proposals and displays status of the proposals at each stage of the workflow.

The procedure for forest clearance envisaged under the act mandates a two-stage approval process consisting of two stages:

- **Stage I**

Upon prima facie review the proposal is either accepted or rejected. If approved, the project authority is required to deposit an amount for compensation of the opportunity cost of the forest (NPV, compensatory afforestation, additional expenses towards mitigating probable environmental damage etc.)

- **Stage II**

Following the deposit of above-mentioned costs, the land is handed over to the project authorities provided they have obtained all other requisite clearances.

Reserve forest boundaries are generally marked on the ground with large forest pillars while the boundaries of protected forests are marked on the ground with trenches, fencing and other markings.

As per the circular of MOEFCC, one of the pre-requisites for getting forestry clearance is a geo-referenced boundary map in shape file format of the desired forest land.

3.0 Location

The salient points of CA forest land identified for this project are located at Gandai (P100) and Salhewara (P135), District-Khairagarh, Chhattisgarh.Nearest Township is Gandai.

4.0 Scope of Services

The scope of services of CMPDIL to provide Geo-referenced boundary map (in shape files and pdf format), Geo-referenced report and converted geographical coordinates of forest boundary after making DGPS observation at salient points and KML files etc.

5.0 Methodology

Static DGPS (Differential Global Positioning System) survey is appropriate for determining geographical co-ordinates of forest boundary.

The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based location, timing and navigation system in all weather conditions, anywhere on or near the Earth where there is an unobstructed line of sight to four or more GPS satellites. Presently, 30 orbiting satellites of GPS constellation of USA and 24 GLONASS (*Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema* or Global Navigation Satellite System) satellites of Russia are operational for the purpose of GPS survey.

In addition to these primary GPS constellation, European space agency and Chinese have their own constellation such as Galileo and BeiDou respectively.

India's prestigious GAGAN (GPS Aided Geo Augmented Navigation (GAGAN) system) navigation system is also presently operational providing vital positional information to civil aviation and other industries.

The Global Positioning System is a system of communication made up of three independent aspects such as:

- GPS satellites orbiting the Earth;
- Control and monitoring stations on Earth;

- GPS receivers owned by users.

GPS satellites transmit the satellites number, its position in space, and the exact time. These informations are sent through the transmitted signals at regular intervals by all the satellites are all times.

These signals are picked up by various types of GPS receivers on ground. With signals from three or more satellites, a GPS receiver can triangulate its location on the ground (i.e., longitude and latitude) from the known position of the satellites. With four or more satellites, a GPS receiver can determine a 3D position (i.e., latitude, longitude, and ellipsoidal height).Differential Global Positioning System (DGPS) refers to using two or more GPS receivers to achieve greater positional accuracy. There are three basic methods of doing DGPS survey.

- Static
- Rapid-Static
- Real-time Kinematic (RTK).

For doing DGPS survey of forest land, post-processed static survey is found to be most suitable where one GPS receiver is used as base station and other GPS receivers are used as rover stations. Base receiver is stationed at a point of known co-ordinates for longer duration and rover stations are kept at unknown stations for comparatively shorter duration. DGPS observation is done in each rover stations for compensatory afforestation.

Data from base and rovers are downloaded and then post-processed in GPS data processing software, Leica infinity to achieve sub-centimeter level accuracies.

ArcGIS 10.2 version software is used for preparation of shape files, KML file and geo-referenced map of the forest land in WGS-84 co-ordinates.

6.0 Survey Instrument

For providing geographical (spherical) co-ordinates of the stations along the boundary, Differential Global Positioning System (DGPS) consisting of one base receiver and a rover receiver were used. CMPDIL has the latest hardware and software of Leica make DGPS instrument which has dual-frequency GPS signal receivers that provide accurate results after post processing in relevant software. Brief specifications of DGPS are provided in the table below.

A	***DGPS Instrument:***	
	Make	Leica
	Model	GS25 & GS16
	Signal	GPS: L1, L2&L5 carrier, CA, L1P, L2P, L2C GLONASS: L1, L2&L5 carrier, L1CA, L2CA, L1P, L2P GALILEO: E2-L1-E1, E5, E6
	Channels	72
	Accuracy:	sub-centimeter
	Post Processed Static DGPS	3mm +0.5ppm horizontal, 5mm + 0.5ppm vertical
	Real Time RTK	10mm + 1 ppm horizontal, 15mm + 1 ppm vertical
	Power:	
	Internal Battery	2 Li-Ion, 3900mAh, 7.2V
	Communication:	
	Bluetooth	Bluetooth standard 1.2
	USB	1.1 Version
B	***DGPS Software***	Inbuilt Leica software for data recording
		Leica infinity for data processing

7.0 Details of Field Activity

DGPS survey has been carried out in ground locations identified by forest authorities in the presence of kusmunda colliery authority. The following table Showing Details of DGPS Survey Point (WGS84).

POINT_ID	INSTRUMENT	LATITUDE(WGS84)	LONGITUDE(WGS84)
P100/01	DGPS	21° 35' 14.876" N	80° 58' 58.688" E
P100/02	DGPS	21° 35' 10.796" N	80° 58' 54.446" E
P100/03	DGPS	21° 35' 11.642" N	80° 58' 51.281" E
P100/04	DGPS	21° 35' 14.048" N	80° 58' 46.342" E
P100/05	DGPS	21° 35' 18.504" N	80° 58' 49.263" E
P100/06	DGPS	21° 35' 20.748" N	80° 58' 47.559" E
P100/07	DGPS	21° 35' 19.219" N	80° 58' 41.890" E
P100/08	DGPS	21° 35' 18.036" N	80° 58' 38.707" E
P100/09	DGPS	21° 35' 20.227" N	80° 58' 37.647" E
P100/10	DGPS	21° 35' 21.952" N	80° 58' 46.307" E
P100/11	DGPS	21° 35' 25.172" N	80° 58' 47.245" E
P100/12	DGPS	21° 35' 27.969" N	80° 58' 46.514" E
P100/13	DGPS	21° 35' 28.197" N	80° 58' 44.949" E
P100/14	DGPS	21° 35' 30.148" N	80° 58' 42.584" E
P100/15	DGPS	21° 35' 32.717" N	80° 58' 41.784" E
P100/16	DGPS	21° 35' 33.465" N	80° 58' 40.358" E
P100/17	DGPS	21° 35' 36.035" N	80° 58' 43.279" E
P100/18	DGPS	21° 35' 37.401" N	80° 58' 40.357" E
P100/19	DGPS	21° 35' 39.417" N	80° 58' 39.870" E
P100/20	DGPS	21° 35' 43.353" N	80° 58' 40.113" E

POINT_ID	INSTRUMENT	LATITUDE(WGS84)	LONGITUDE(WGS84)
P100/21	DGPS	21° 35' 38.572" N	80° 58' 43.278" E
P100/22	DGPS	21° 35' 36.458" N	80° 58' 46.826" E
P100/23	DGPS	21° 35' 31.157" N	80° 58' 48.044" E
P100/24	DGPS	21° 35' 28.522" N	80° 58' 49.157" E
P100/25	DGPS	21° 35' 26.343" N	80° 58' 49.714" E
P100/26	DGPS	21° 35' 22.196" N	80° 58' 50.778" E
P100/27	DGPS	21° 35' 17.724" N	80° 58' 56.114" E
P100/28	DGPS	21° 35' 18.118" N	80° 58' 56.465" E
P100/29	DGPS	21° 35' 20.684" N	80° 58' 53.540" E
P100/30	DGPS	21° 35' 22.944" N	80° 58' 51.277" E
P100/31	DGPS	21° 35' 28.100" N	80° 58' 50.131" E
P100/32	DGPS	21° 35' 30.882" N	80° 58' 48.716" E
P100/33	DGPS	21° 35' 32.176" N	80° 58' 51.821" E
P100/34	DGPS	21° 35' 22.474" N	80° 58' 58.564" E
P135/01	DGPS	21° 43' 41.921" N	80° 47' 14.274" E
P135/02	DGPS	21° 43' 42.538" N	80° 47' 12.189" E
P135/03	DGPS	21° 43' 42.484" N	80° 47' 8.072" E
P135/04	DGPS	21° 43' 42.414" N	80° 47' 4.347" E
P135/05	DGPS	21° 43' 42.867" N	80° 47' 2.188" E
P135/06	DGPS	21° 43' 44.031" N	80° 46' 57.592" E
P135/07	DGPS	21° 43' 44.160" N	80° 46' 56.512" E
P135/08	DGPS	21° 43' 43.670" N	80° 46' 55.051" E
P135/09	DGPS	21° 43' 43.734" N	80° 46' 53.763" E
P135/10	DGPS	21° 43' 42.852" N	80° 46' 50.910" E
P135/11	DGPS	21° 43' 42.855" N	80° 46' 49.645" E
P135/12	DGPS	21° 43' 42.863" N	80° 46' 49.053" E
P135/13	DGPS	21° 43' 41.752" N	80° 46' 47.705" E
P135/14	DGPS	21° 43' 39.721" N	80° 46' 46.406" E
P135/15	DGPS	21° 43' 38.817" N	80° 46' 45.949" E
P135/16	DGPS	21° 43' 35.906" N	80° 46' 44.577" E
P135/17	DGPS	21° 43' 33.890" N	80° 46' 43.738" E
P135/18	DGPS	21° 43' 32.452" N	80° 46' 42.768" E
P135/19	DGPS	21° 43' 27.878" N	80° 46' 40.784" E
P135/20	DGPS	21° 43' 25.897" N	80° 46' 39.722" E
P135/21	DGPS	21° 43' 25.843" N	80° 46' 39.699" E
P135/22	DGPS	21° 43' 21.264" N	80° 46' 44.619" E
P135/23	DGPS	21° 43' 14.959" N	80° 46' 47.930" E
P135/24	DGPS	21° 43' 15.604" N	80° 46' 49.993" E
P135/25	DGPS	21° 43' 22.922" N	80° 46' 53.442" E

8.0 Computation

Data recorded is downloaded from both rover and base receivers of DGPS and processed in Leica infinity software to get post-processed WGS-84 co-ordinates. The geographical co-ordinates of the forest land (CA) are tabulated below.

TABLE-I
GEOGRAPHICAL COORDINATES (WGS-84)
47.884 HA FOREST LAND (CA)
KUSMUNDA OCP, KUSMUNDA AREA, SECL

FID	COMPARTMENT	DIVISION	SUB DIVISION	RANGE	Latitude(DMS)	Longitude(DMS)
0	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 35.040" N	80° 58' 43.709" E
1	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 36.164" N	80° 58' 43.916" E
2	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 36.499" N	80° 58' 46.727" E
3	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 34.298" N	80° 58' 47.061" E
4	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 31.090" N	80° 58' 47.939" E
5	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 28.476" N	80° 58' 49.073" E
6	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 26.311" N	80° 58' 49.729" E
7	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 22.165" N	80° 58' 50.708" E
8	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 18.897" N	80° 58' 54.518" E
9	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 17.513" N	80° 58' 56.081" E
10	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 14.876" N	80° 58' 58.688" E
11	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 10.796" N	80° 58' 54.446" E
12	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 11.642" N	80° 58' 51.281" E
13	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 14.048" N	80° 58' 46.342" E
14	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 18.504" N	80° 58' 49.263" E
15	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 20.748" N	80° 58' 47.559" E
16	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 19.219" N	80° 58' 41.890" E
17	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 18.036" N	80° 58' 38.707" E
18	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 20.227" N	80° 58' 37.647" E
19	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 20.232" N	80° 58' 37.640" E
20	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 21.085" N	80° 58' 42.955" E
21	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 21.952" N	80° 58' 46.307" E
22	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 25.172" N	80° 58' 47.245" E
23	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 27.969" N	80° 58' 46.514" E
24	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 28.197" N	80° 58' 44.949" E
25	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 30.252" N	80° 58' 43.093" E
26	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 33.565" N	80° 58' 42.366" E
27	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 35.040" N	80° 58' 43.709" E
28	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 32.784" N	80° 58' 53.042" E
29	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 28.253" N	80° 58' 56.711" E
30	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 22.538" N	80° 59' 1.460" E
31	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 17.708" N	80° 58' 57.071" E
32	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 18.118" N	80° 58' 56.465" E
33	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 20.684" N	80° 58' 53.540" E

FID	COMPARTMENT	DIVISION	SUB DIVISION	RANGE	Latitude(DMS)	Longitude(DMS)
34	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 22.944" N	80° 58' 51.277" E
35	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 28.100" N	80° 58' 50.131" E
36	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 30.882" N	80° 58' 48.716" E
37	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 32.784" N	80° 58' 53.042" E
0	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 36.547" N	80° 47' 6.402" E
1	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 32.075" N	80° 47' 1.360" E
2	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 27.365" N	80° 46' 56.758" E
3	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 22.997" N	80° 46' 53.328" E
4	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 19.290" N	80° 46' 51.386" E
5	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 15.659" N	80° 46' 49.984" E
6	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 14.992" N	80° 46' 47.943" E
7	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 21.102" N	80° 46' 44.704" E
8	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 33.922" N	80° 46' 51.188" E
9	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 39.626" N	80° 46' 57.093" E
10	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 40.317" N	80° 46' 52.313" E
11	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 39.628" N	80° 46' 46.648" E
12	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 41.589" N	80° 46' 47.866" E
13	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.865" N	80° 46' 49.196" E
14	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.822" N	80° 46' 49.676" E
15	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.841" N	80° 46' 50.910" E
16	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 43.581" N	80° 46' 53.780" E
17	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 43.540" N	80° 46' 55.047" E
18	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 43.766" N	80° 46' 56.617" E
19	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 43.801" N	80° 46' 57.576" E
20	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.515" N	80° 47' 2.098" E
21	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.261" N	80° 47' 4.322" E
22	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.231" N	80° 47' 8.099" E
23	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.540" N	80° 47' 12.189" E
24	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 41.944" N	80° 47' 14.186" E
25	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 39.919" N	80° 47' 11.220" E
26	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 36.547" N	80° 47' 6.402" E

9.0 Documents Submitted

- Drawing Number: CMPDI/RI5/BSP/GEOM/2022/DGPS/89
- Soft copy of shape files & KML files in CD.

DISCLAIMER:

1. DGPS REPORT IS BASED ON SURVEY DATA.
2. DGPS REPORT IS FOR FOREST LAND (CA) APPLICATION ONLY & NOT VALID FOR ANY OTHER PURPOSE
3. CMPDIL IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY FUTURE DISPUTE WITH RESPECT TO FOREST LAND DETAILS.

वन मंडलाधिकारी
खैरागढ वनमंडल

****

पर्यावरण अधिकारी,
एस.ई.सी.एल., कुसमुण्डा क्षेत्र

उप वनमण्डलाधिकारी, गण्डई
खैरागढ़ वनमण्डल (छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र-गण्डई

GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF CA(COMPENSATORY AFFORESTATION)FOREST LAND AT KHAIRAGARH DIVISION

COMPARTMENT-P100

1:25,000

मंडल अधिकारी (पया. / वन)
एसईसीएल.कुसमुण्डा क्षेत्र
पो कुसमुण्डा.जिला–कोरबा
495 454 (छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र–गण्डई

उप वनमण्डलाधिकारी, गण्डई
खैरागढ वनमण्डल (छ.ग.)

वन मंडलाधिकारी
खैरागढ वनमंडल

80°45'0"E 80°50'0"E 80°55'0"E 81°0'0"E

COMPENSATORY AFFORESTATION(CA) FOREST LAND OF KHAIRAGARH DIVISION SHOWN ON TOPOSHEET AGAINST 43.942 HA REVENUE FOREST LAND OF KUSMUNDA OCP,KUSMUNDA AREA,SECL

Division-Khairagarh, Sub_Division-Gandai,Range-Gandai,Compartment-P100(Area-21.699 Ha)
AND
Division-Khairagarh, Sub_Division-Gandai,Range-Salhewara,Compartment-P135(Area-26.185 Ha)

N

21°50'0"N 21°45'0"N 21°40'0"N 21°35'0"N 21°30'0"N 21°25'0"N

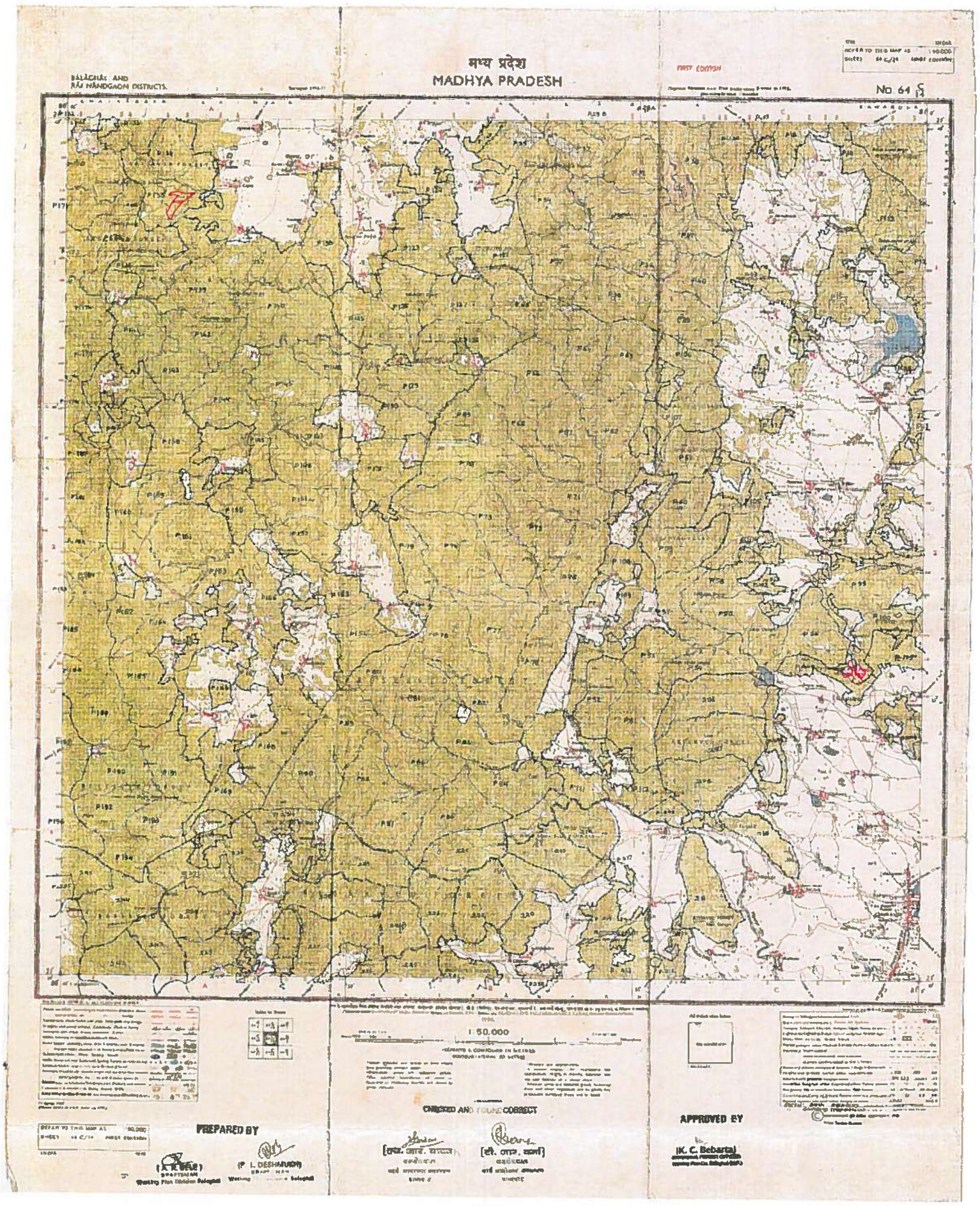

0 1 2 4 6 8 Kilometers 1:50,000

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र-गण्डई

उप वनमण्डलाधिकारी, गण्डई
खैरागढ़ वनमण्डल (छ.ग.)

वन मंडलाधिकारी
खैरागढ़ वनमंडल

80°45'0"E 80°50'0"E 80°55'0"E 81°0'0"E

80°58'15"E 80°58'30"E 80°58'45"E 80°59'0"E

21°35'30"N 21°35'15"N 21°35'0"N

FID	Division	Sub Division	Range	Comp	Patch	Area (Ha)	Latitude (WGS84)	Longitude (WGS84)
0	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 35.040" N	80° 58' 43.709" E
1	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 36.164" N	80° 58' 43.916" E
2	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 36.499" N	80° 58' 46.727" E
3	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 34.298" N	80° 58' 47.061" E
4	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 31.090" N	80° 58' 47.939" E
5	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 28.476" N	80° 58' 49.073" E
6	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 26.311" N	80° 58' 49.729" E
7	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 22.165" N	80° 58' 50.708" E
8	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 18.897" N	80° 58' 54.518" E
9	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 17.513" N	80° 58' 56.081" E
10	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 14.876" N	80° 58' 58.688" E
11	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 10.796" N	80° 58' 54.446" E
12	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 11.642" N	80° 58' 51.281" E
13	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 14.048" N	80° 58' 46.342" E
14	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 18.504" N	80° 58' 49.263" E
15	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 20.748" N	80° 58' 47.559" E
16	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 19.219" N	80° 58' 41.890" E
17	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 18.036" N	80° 58' 38.707" E
18	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 20.227" N	80° 58' 37.647" E
19	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 20.232" N	80° 58' 37.640" E
20	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 21.085" N	80° 58' 42.955" E
21	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 21.952" N	80° 58' 46.307" E
22	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 25.172" N	80° 58' 47.245" E
23	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 27.969" N	80° 58' 46.514" E
24	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 28.197" N	80° 58' 44.949" E
25	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 30.252" N	80° 58' 43.093" E
26	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 33.565" N	80° 58' 42.366" E
27	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 35.040" N	80° 58' 43.709" E
28	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 32.784" N	80° 58' 53.042" E
29	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 28.253" N	80° 58' 56.711" E
30	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 22.538" N	80° 59' 1.460" E
31	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 17.708" N	80° 58' 57.071" E
32	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 18.118" N	80° 58' 56.465" E
33	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 20.684" N	80° 58' 53.540" E
34	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 22.944" N	80° 58' 51.277" E
35	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 28.100" N	80° 58' 50.131" E
36	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 30.882" N	80° 58' 48.716" E
37	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 32.784" N	80° 58' 53.042" E

Land Schedule of Compartment-P100

Division	Sub Division	Range	Compartment	Patch	Area (Ha)
Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386
Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313
				Total Area	21.699

GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF CA(COMPENSATORY AFFORESTATION)FOREST LAND AT KHAIRAGARH DIVISION
COMPARTMENT NO-P100 (Area-21.699Ha)

N

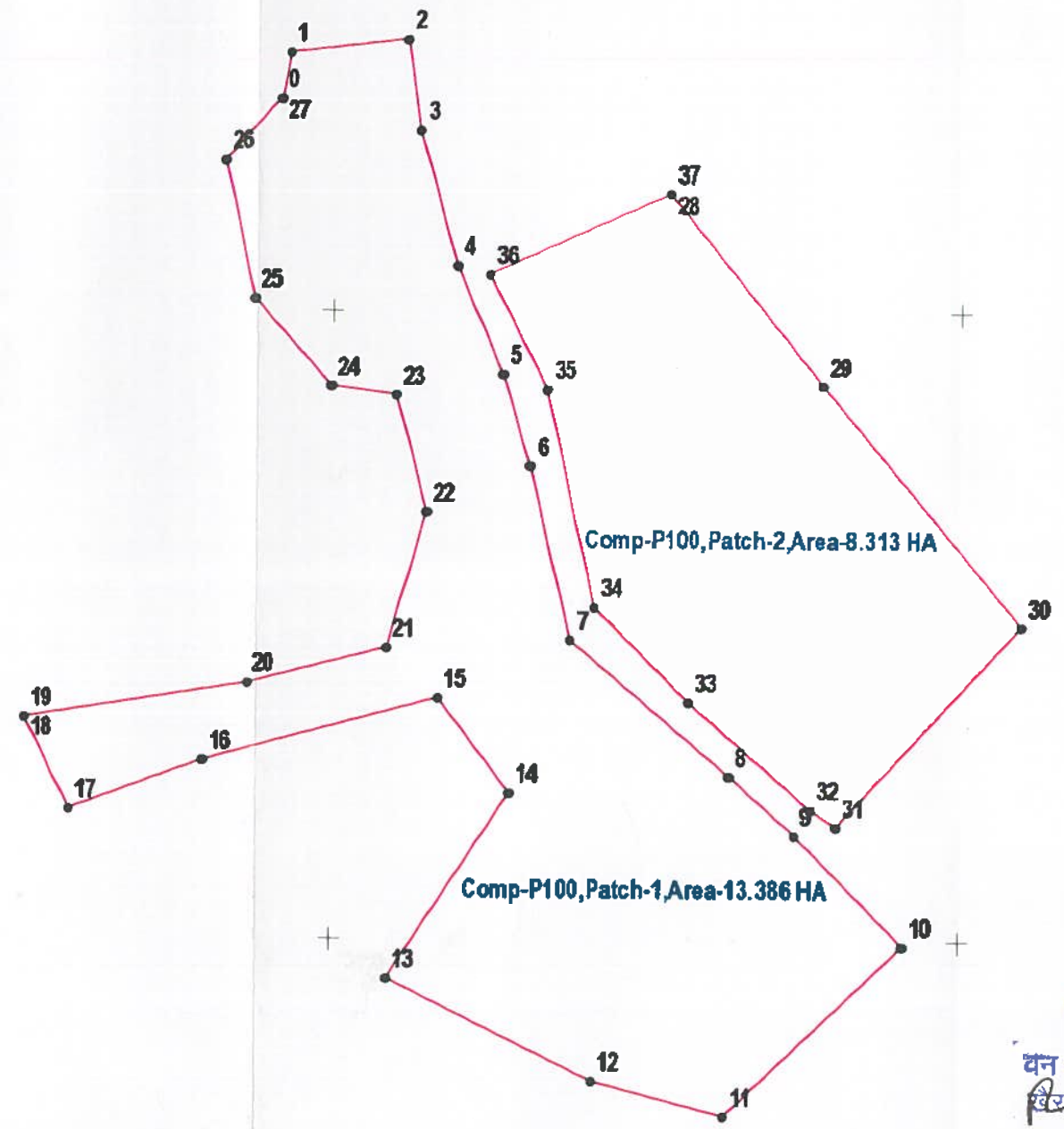

वन मंडलाधिकारी
खैरागढ़ वनमंडल

मोडल अधिकारी(प्र
एस.ई.सी.एल.,कुसमुण्डा

उप वनमण्डलाधिकारी,गण्डई
खैरागढ़ वनमण्डल (छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र–गण्डई

Customer	SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED				
Project	GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF CA (COMPENSATORY AFFORESTATION)FOREST LAND AT KHAIRAGARH DIVISION			Job Number	502306
Subject	PLAN SHOWING OF CA (COMPENSATORY AFFORESTATION) FOREST LAND COMPARTMENT NO-P100 (AREA-21.699 HA) AGAINST 43.842 HA REVENUE FOREST LAND OF KUSMUNDA OCP, KUSMUNDA AREA(SECL)	Activity	Name	Designation	Signature / Date
		Surveyed	Madhusudan Banik	Sr.Surveyor (C)	
		Surveyed	Striker Paul	Surveyor (M)	
		Approved	Sudhanshu Mishra	H.O.D (Geomatics)	
cmpdi		Scale	0 30 60 120 M 1:5,000	Sheet	1
		Dwg	CMPDI/RI5/BSP/GEOM/2023/DGPS/89	Rev No.	0

उपचार मानचित्र

सिंचित (वैकल्पिक) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य

क्रमांक – पी/100 प्रस्तावित रकबा– 8.313 हे.

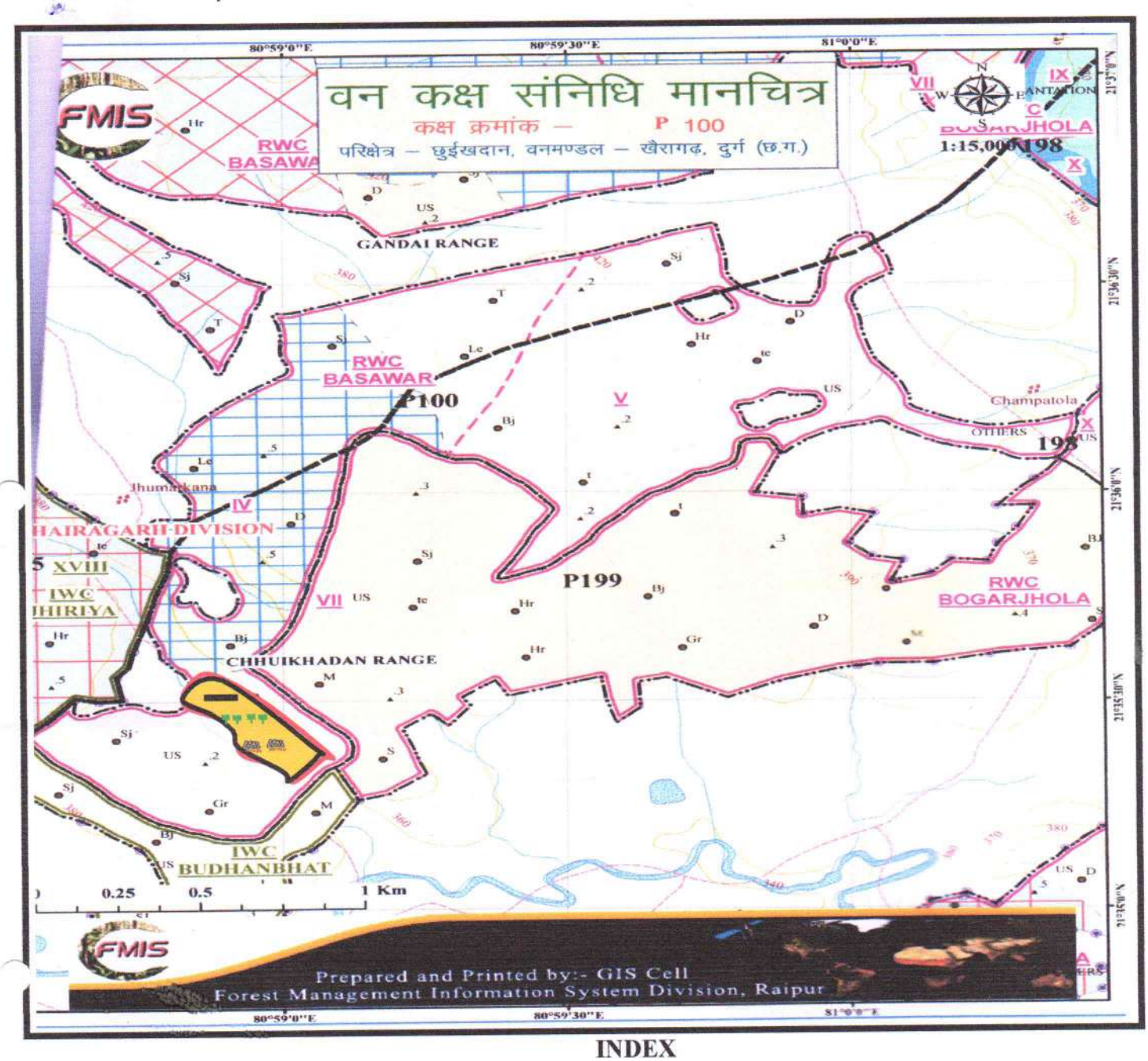

INDEX

1	क्षेत्र सीमांकन, सर्वेक्षण कार्य	
3	नदी नाला	
4	**भू–जल संरक्षण कार्य**	
5	कन्टूर ट्रेंच खुदाई कार्य	
6	बोल्डर चेकडेम	
7	सी.बी.ओ. कार्य	
8	सी.सी.टी कार्य	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र गंडई

Project File 2016-17- 1

गूगल मानचित्र

सिंचित (वैकल्पिक) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य

क्रमांक – पी/100–2 प्रस्तावित रकबा– 8.313 हे.

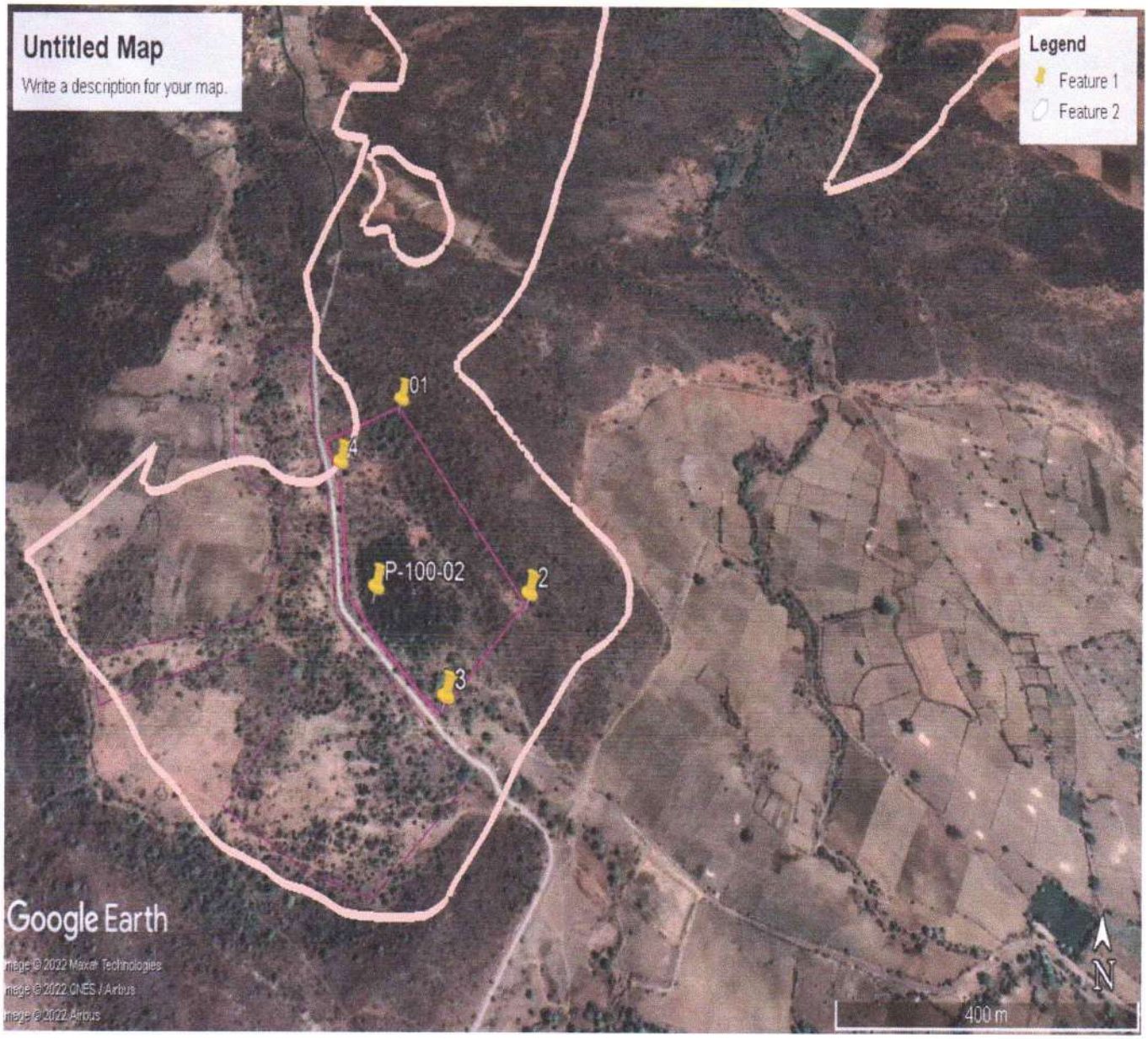

21°35'32.30"N	80°58'53.01"E	21°35'22.17"N	80°59'1.45"E
21°35'17.67"N	80°58'57.15"E	21°35'28.78"N	80°58'49.71"E

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र गंडई

Project File 2016-17- 8

छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

परियोजना प्रतिवेदन – कैम्पा योजना

क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण

प्रथम वर्ष 2023–24

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खदान में प्रभावित हो रही वनभूमि के विरूद्व में उपलब्ध करायी जा रही बिगड़े वनभूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण (सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण) कार्य

कक्ष कमांक	:	पी/100 पैच – 01
परिसर	:	अचानकपुर पूर्व
उपवृत्त	:	ठाकुरटोला
रकबा	:	13.386 हे0
पौधा संख्या	:	13386 पौधा

वन परिक्षेत्र, गंडई

वन मण्डल, खैरागढ़ - वन वृत्त दुर्ग

जिला - खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, छ ग्र

Project File 2016-17-463

परियोजना प्रतिवेदन

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खदान में प्रभावित हो रही वनभूमि के विरूद्व में उपलब्ध करायी जा रही बिगड़े वनभूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण (सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण) कार्य

प्रथम वर्ष 2023–24

1.	कार्य का नाम	:	सिंचित (वैकल्पिक) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य
2.	योजना का नाम	:	राज्य कैम्पा मद योजना
3.	कार्य स्थल का नाम	:	कक्ष क पी/100
1.	कक्ष का कुल रकबा	:	257.420 हे0
5.	रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा	:	13.386 हे0
6.	पौधा संख्या	:	13386 पौधा
7.	परिसर	:	अचानकपुर पूर्व
8.	स.व.प्र.समिति	:	गहिराटोला
9.	उपवृत्त	:	ठाकुरटोला
10.	वनपरिक्षेत्र	:	गंडई
11.	उप वनमंडल	:	गंडई
12.	वनमंडल	:	खैरागढ़
13.	प्रोजेक्ट राशि	:	1.294 करोड़ रू.
14.	प्रति हे0 व्यय राशि	:	966666.00 रूपये

योजना का उद्देश्य एवं स्वरूप

1. उच्च गुणवत्ता वाले बांस, सागोन इत्यादि प्रजाति के पौधों का रोपण किया जावेगा।
2. रोपण हेतु कक्ष कमांक पी/100 पैच– 01 का 13.386 हे0 क्षेत्रफल का चयन किया गया है।
3. योजना के माध्यम से पारिस्थितकीय संतुलन स्थापित करते हुऐ वन संरक्षण एवं प्रबंधन में ग्रामीणों की सकीय भागीदारी सुनिश्चित किया जावेगा।

वन परिक्षेत्र अधिकारी,
गण्डई

परियोजना लागत

राज्य कैम्पा निधि से सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव

रोपण अंतराल – 3x3 | गडडे का आकार 60x60x60

पौधा की संख्या :– 13386 | रोपण हेतु कार्य योग्य कुल रकबा 13.386

रोपण स्थल–कक्ष क्रमांक पी. 100 अचानकपुर पूर्व | मजदूरी दर 332 प्रति दिवस

प्रथम वर्ष 2023 – 2024

क्र.		कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
						मा.दि.	राशि / इकाई		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	1.1	PCCF Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन – 3 मी. चौड़ी लाईन कटाइ सफाई करना, जी.पी.एस. से सर्वे कर के.एम.एल. फाईल तैयार करते हुए, सीमा में खुंटा लगाना।	13.386	Hact	0.85	मा.दिवस / हे.	11.38	3777.53
	1.2	PCCF Rate 1.1.2	वन संनिधि उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना।	13.386	Hact	0.25	मा.दिवस / हे.	3.35	1111.04
							सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :–		4888.57
2			फेंसिंग कार्य						
	2.1		एंगल आयरन पोल एवं चैनलिंक फेंसिंग कार्य क्षेत्र की फेंसिंग हेतु जी.पी.एस.ट्रेकिंग से प्राप्त सीमालाईन (पेरीमीटर) के आधार पर फेंसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा इस हेतु मैपसोर्स (Map source) साफ्टवेयर से जी.पी.एस. ट्रेकिंग मैप जिसमें Length of perimeter के साथ Area दर्शित हो लगाया जाना सुनिश्चिम किया जावे ।						
	2.1.1	RES SOR 307	एंगल आयरन पोल गाडने हेतु कड़ी मिट्टी /कठोर मुरूम में गढढा खुदाई						
			साईज – 0.40x0.40x0.40 = 0.064 Cmt.	22.27	Cmt	247.70	Rs/Cmt.		5517.35
	2.1.2	RES SOR 413 (c)	एंगल आयरन पोल गाडने हेतु खोदे गये गढढों में 1:4:8 सी सी. का मिश्रण डालना एवं तराई (उपयोग 40 एम.एम. गिट्टी)						
			साईज –2600x0.40x0.40x0.10=41.60 cmt.	1.95	Cmt	3430.40	Rs/Cmt.		6704.22
	2.1.3	PWD SOR 9.45	सीमेंट कांक्रीट ब्लॉक में एंगल आयरन पोल निर्धारित साईज का लगाना :– (एंगल आयरन पोल का Bottom Split हो एवं Right angle में मुडा होना चाहिये तथा 10mm diameter का प्रत्येक 30 से.मी. में छेद होना चाहिये तथा agele iron pole में Red Oxide Zine Chromate primer की एक लेयर लगी हो)	3758.79	kg.	69.50	Rs/kg		261235.82
			साईज – 50x50x6mm						
			लम्बाई – 2.40 मीटर						
			985x2.40=2364 रनिंग मीटर						
			@4.50 kg. प्रति रनिंग मीटर						
	2.1.4	RES SOR 413, 416 (a)	एंगल आयरन पोल गाडने हेतु खोदे गये गढढों में 1:2:4 सी. सी. द्वारा एंगल आयरन पोल फिक्सिंग कार्य तराई सहित (उपयोग 20 एम.एम. गिट्टी)						
			2600x0.40x0.40x0.30=124.80 Cmt.						
			(-) एंगल आयरन पोल साइज 2600x0.30x0.06x0.06=2.808Cmt.						
			Net-	16.33	Cmt.	4550.90	Rs/Cmt.		74314.29
	2.1.5	PWD SOR 9.43.1	निर्धारित साइज की 50x50mm छेद वाली 4mm diameter वाली जी.आई. तार से निर्मित चैनलिंक लोहे की जाली एंगल आयरन पोल में 2mm diameter वाली जी. आई. तार / जी.आई. स्टेपल / जी.आई. यू नेल्स / स्टील पिन की सहायक से बांधकर टाईट करना ।	1827.19	Sqm.	331.00	Rs/Sqm.		604799.56
	2.1.6	RES SOR 1335 (a)	एंगल आयरन पोल में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना 2600x2.10x0.20 = 1092 Sqm.	146	Sqm.	163.30	Rs/Sqm.		23870.40

	2.1.7	RES SOR 1335 (a)	लोहे की चैनलिंक जाली में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना 6500x2.10x2 = 27300/10= 2730Sqm.	365	Sqm.	163.30	Rs/Sqm.		59675.99
	2.1.8	Special Rate	ट्रकेवल प्वाइंट से चैनलिंक जाली / एंगल आयरन पोल सीमेंट / ईंट / गिट्टी कार्यस्थल तक परिवहन – सामग्री मूल्य का 2 प्रतिशत						105677.25
	2.1.9		अन्य आकस्मिक व्यय						20000.00
							फेंसिंग कार्य पर व्यय :–		1161794.88
							प्रति रनींग मीटर फेंसिंग कार्य पर व्यय :–		491.45
							प्रति हैक्टेयर व्यय :–		86791.79
3			जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य						
	3.1	Special Rate	ठूंठ ड्रेसिंग–20 से.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के कॉपीस प्रजाति के जीवित ठूंठ एवं पोलार्ड का प्रतिकर्तन एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)	13.386	Hact	5	मा.दि./हे.	66.93	22220.76
	3.2	PCCF 1.2.2	क्षेत्र की सफाई 20 से.मी. गोलाई तक की अनुपयोगी कापिस देने वाली प्रजाति की आडी–टेढी विकृत अग्रिम पौध की कटाई एवं ठूंठों की ड्रेसिंग तथा सफाई	6.693	Hact	5	मा.दि./हे.	33.47	11110.38
	3.3	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र – वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए सिरों को खीचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (प्रथम वर्ष कार्य)	5.3544	Hact	30	मा.दि./हे.	160.6	53329.82
	3.4	Special Rate CAMPA	क्षेत्र में स्थित अनुपयोगी झाड़ियों एवं अनुपयोगी ठूंठो को खोदकर कार्य स्थल से बाहर हटाना।	4	Hact	50	मा.दि./हे.	200	66400.00
							जड़भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :–		153060.96
4			रोपणी में पौधा तैयारी :–						
	4.1	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	14725	Plants	66	रू./पौधे		971823.60
							नर्सरी में पौध तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय		971823.60
5			रोपण क्षेत्र का उपचार						
	5.1	Special Rate	<u>रिक्त कड़ी भूमि में गहरी जोताई कार्य –</u> एम.बी.प्लाऊ से 2 बार गहरी जुताई कर अवांछित प्रजाति के जड़ों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुए मेढ़ बनाना–खुला क्षेत्र 60 प्रतिशत टीपः– रोपण हेतु चयनित क्षेत्र अंतर्गत 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र में ही ट्रेक्टर से गहरी जोताई किया जावेगा इस हेतु कुल चयनित क्षेत्र का 60 प्रतिशत में जोताई प्रवाधानित किया गया है। परन्तु जहां 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र अधिक हो वहां पर जोताई क्षेत्र अधिक हो सकता है तदानुसार जोताई क्षेत्र का रकबा निर्धारित किया जावे। जहां 10 प्रतिशत से अधिक ढलान हो वहां पर कन्टूर ट्रेंच आदि संरचनाओं का निर्माण किया जावेगा।	8.03	Hact.	10000	रू./हे.		80316.00
	5.2		स्टेकिंग कार्य :–						
	5.2.1	PCCF 1.4.2	3x2 मी. अंतराल में मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु	13386	Pits	3.5	मा.दि./हजार	46.85	15554.53
							स्टेंकिंग कार्य पर व्यय :–		95870.53
	5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					5000.00
	5.4		गड्ढों की खुदाई						
	5.4.1	PCCF 1.5.2.3	मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु 3x3 मीटर की अंतराल में 60x60x60 से.मी. साईज के कड़ी मिट्टी में गढढा खुदाई कार्य (क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% नरम मुरूमी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया)	13386	Pits	12	मा.दि. /सैकड़ा	1606	533298.24
	5.4.2	Market Rate	गढढों की 50 प्रतिशत मिट्टी परिवर्तन हेतु उपजाऊ मिट्टी परिवहन – 60x60x60 = 0.216 Cmt.x41908=9052 Cmt/2	1445.688	Cum	500	रूपये/घ.मी.		722844.00
							गड्ढे खुदाई कार्य पर व्यय :–		1261142.24
							रोपण उपचार पर व्यय :–		1357012.77

6			भू–जल संरक्षण कार्य – (25 प्रतिशत)						
	6.1		कण्टूर ट्रेंच टी का निर्माण						
	6.1.1	PCCF Rate 4.15.1	सी.सी.टी. खुदाई के लिए A फ्रेम की सहायता से कंटूर लाईन डालना एवं ट्रेंच खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (20m.int/h.x100m@500m/Hact) टीप :– स्थल की भौगोलिक संरचना के अनुरूप सी.सी.टी. की लम्बाई का निर्धारण किया जावेगा।	1673.25	mt	0.15	मा.दि. / से.मी.	3	996.00
	6.1.2	Special Rate PCCF rate 4.15.2 (0.16)	कड़ी मिट्टी में सतत खंती 45 से.मी. X 45 से.मी. माप का खुदाई कर प्राप्त मिट्टी को फैलाना एवं मेढ़ बनाना। (30 से.मी.X 30 से.मी आकार के लिए स्वीकृत दर 0.16 मा.दिवस का डेढ़ गुना दर = 0.25 मा.दि. का दर आकलन किया गया है।	1673.25	mt	0.12	मा.दि. / मी.	200.8	66662.28
	6.2	PCCF Norms & RES/ PWD SOR	नालों का उपचार यथा लुज बोल्डर चेक डेम, मिट्टी बांध, गेबियन एवं पक्का स्थाई चेकडेम संरचनाओं का निमाण (नालों में ऊपर से नीचे तक का उपचार) नीचे दर्शित संरचनाओं में से जो भी संरचना उपयुक्त हों क्षेत्र के अनुसार बनवाई जावे – लूज बोल्डर चेकडेम, गैबियन संरचना, मिट्टी का बांध पक्का स्थायी चेकडेम डबरी निर्माण						160632.00
			टीप :– क्षेत्र सवेक्षण के दौरान यह निर्णय लिया जावेगा, कि उपरोक्त संरचनाओं में से कौन सी संरचना स्थल विशेष हेकतु उपयुक्त होगा, तदानुसार ही संरचनाओं का चयन कर निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।						
						भू–जल संरक्षण कार्य पर व्यय :–			228290.28
7			सिंचाई सुविधा का विकास प्रति 5 हेक्टर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप की मान से						
	7.1	Special Rate	भू–तल में पानी की जांच हेतु वाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट कराना	3		5000	प्रतिबोर		13386.00
	7.2	Special Rate	बोरवेल खुदाई कार्य कम्पलीट फेंसिंग सहित	3		137500	प्रतिबोर		368115.00
	7.3	Special Rate	सोलर पंप अथवा विद्युत चलित पंप या डीजल पंप की सपिना मय समस्त उपकरण व पाईप आदि	3		440000	प्रतिपंप		1177968.00
						सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :–			1559469.00
8			क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य						
	8.1		अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनों पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि वानिकी, एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	13.386	Hect.	9960	रूपये / हे.		133324.56
	8.2		आस्था मूलक कार्य – संयुक्त वन प्रबंधन समिति के प्रस्ताव अनुसार	13.386	Hect.	11000	रूपये / हे.		147246.00
	8.3		अग्नि सुरक्षा						
	8.3.1	PCCF rate 5.4.5 & 5.4.6	सम्पूर्ण क्षेत्र को 25–25 है. की सैक्टर में विभाजित कर 3 मी. चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्धारण करना। (80 मी. / हे. की मान से)	1070.88	Mtr	2.5	मा.दि. / कि.मी.	1	851.35
	8.4		अन्य व्यय						
	8.4.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोड, गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण / चौकीदार हट का निर्माण	LS					25230.05
	8.4.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	LS					50000.00
						अन्य आकस्मिक व्यय का योगः–			356651.96
						कुल योगः–			5792992.02
						प्रति हैक्टेयर व्यय :–			432764.98

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

द्वितीय वर्ष 2024 – 2025

क्र		कार्य दर क्र	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर मा.दि	दर राशि / इकाई	कुल मा दि	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊचांई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेख तैयार करना ।	13386	No.	1.00	रूपये / नग		13386.00
	1.2	Special Rate	अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनो पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि वानिकी, एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	13.386	Hect	9960.00	रूपये / हे.		133324.56
							पौधें की वृद्धि मापन पर व्यय :–		146710.56
2			फेंसिंग कार्य						
	2.1		फेंन्सिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	41.76	Rm.	770.00	रूपये / र.मी.		32158.53
3			जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार						
	3.1		घास उत्पादन एवं उपचार						
	3.1.1	Special Rate	ट्रेक्टर द्वारा अन्तर जोताई दो बार	8.0316	Hact.	4000	रू. / हे.		32126.40
	3.1.2	Special Rate	घास बीज बोवाई :– स्थानीय प्रजाति के उपयोगी घास बीज संग्रहण एवं बोवाई कार्य (60 प्रतिशत क्षेत्र)	8.0316	Hact.	5000	रू. / हे.		40158.00
	3.1.3	Special Rate	खरपतवार निंदाई :– घास बीज के साथ अनुपयोगी खरपतवार का निंदाई 02 बार (20 मानव दिवस प्रति हेक्टेयर)	8.0316	Hact.	20	मा.दि. / हे.	161	53329.82
							जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार अंतर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :–		157772.75
4			रोपणी में पौधा तैयार कार्य पर व्यय						
	4.1	Special Rate	30X45 से.मी पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	15394	Plants	22	रू. / पौधे		338665.8
	4.2	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी प्रथम वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	1339	Plants	66	रू. / पौधे		88347.6
							रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष व्यय		427013.4
5			रोपण क्षेत्र का उपचार						
	5.1		पौधा परिवहन						
	5.1.1	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों का नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढे तक पहंचाना	15394	Plants	22	रू. / पौधे		338665.8
							पौधा परिवहन पर व्यय :–		338665.3
	5.2		पौधा रोपण						
	5.2.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में (खाद एवं मिट्टी भराई सहित) 3.55 रोपण + 0.45 गड्ढा भराई प्रति मानव दिवस	13386	Plants	4.4	मा.दि. / सैकड़ा	589	195542.
							रोपण कार्य पर व्यय :–		195542.
	5.3		रोपण एवं निंदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
	5.3.1		गोबर खाद्य / समिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद्य						

	5.3.1.1	Local Rate	60^3 से.मी. आकार के गड्ढो में मिश्रित एवं फलदार पौधा रोपण हेतु गोबरखाद का क्रय परिवहन सहित(1/4 भाग भरना) 0.60x0.60x0.60=0.216 M^3 का (1/4) = 0.054 M^3	66930	cum	11	रू./घ.मा.		736230.00
	5.3.2		डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
	5.3.2.1	Local Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में 50 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) के मान से रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय ।	669.3	kg	33	रू./किलो		22086.90
	5.3.3		नीम खली का क्रय						
	5.3.3.1	Local Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मान से पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	2007.9	Kg	44	रू./किलो		88347.60
	5.3.4	Local Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल. प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग।	40.158	Ltr	1100	रू./लि.		44173.80
	5.3.5		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
	5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय सागौन, मिश्रित एवं फलदार पौधों में प्रति पौधा 50 ग्राम प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर पर क्रय।	2007.9	Kg	32	रू./किलो		64252.80
	5.3.6	Special Rate	पौधों की अच्छी बढ़त के लिए मिट्टी परीक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाईजर, हार्मोन एवं एन्जाईम का उपयोग।	13386	Plants	10	रू./पौधे		133860.00
							खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :–		**1088951.10**
	5.4		निंदाई कार्य						
	5.4.1	Special Rate	प्रथम निंदाई एवं गुड़ई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित	13386	Plants	2	मा.दि. /सैकड़ा	268	88883.04
	5.4.2	Special Rate	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	13386	Plants	2	मा.दि. /सैकड़ा	268	88883.04
	5.4.3	PCCF 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित (तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर भू सतह पर बने केपिलरी टूटने से भूमि सतह की नमी लम्बे समय तक बनी रहीत है इसलिए तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है)	13386	Plants	1.2	मा.दि. /सैकड़ा	161	53329.82
							निंदाई कार्य पर व्यय :–		**231095.90**
							रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :–		**2281268.89**
6			पानी सिंचाई कार्य						
	6.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलार पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 5 हे. 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3X3 मी. की अन्तराल पर लगभग 1 हे. में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भवं को पाया था तदानुसार प्रति पौधा एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
	6.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10	Time	1.820	मा.दि./सैकड़ा	243.63	80883.57
	6.1.2	Special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	13.386	Hect	8800.000	प्रति.हे0		117796.80
							सिंचाई पर कुल व्यय :–		**198680.37**
7			अन्य कल्चरल आपरेशन						

	7.1	Special Rate CAMP A	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र – वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिर्रो को खीचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (द्वितीय वर्ष कार्य)	5	Hect	10	मा.दि./ हे.	53.544	**17776.61**
8			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	8.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिशिचित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	8.2	Special Rate	आस्था मूलक कार्य – संयुक्त वन प्रबंधन समिति के प्रस्ताव अनुसार	13.386	Hect	11000	मा.दि./हे.		147246.00
	8.3		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						20000.00
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल योगः–	**374414.00**
9			सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	9.1		मजदूरी / सामाग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					**11240.81**
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल योगः–	**11240.81**
								योग व्यय :–	**3187863.99**
								प्रति. हैक्टेयर व्यय :–	**238149.11**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनों पर निर्भरता कम करने के उपाय कृषि वानिकी, एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	13.386	Hact.	1100	रूपये / हे.		14724.60
	1.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊचांई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना। एवं अभिलेख तैयार करना	13386	Plants	1.50	रूपये / हे.		20079.00
								पौधें की वृद्धि मापन पर व्यय :–	**34803.60**
2			फेंसिंग कार्य						
	2.1	Special Rate	फेन्सिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	83.53	Rm	770	रूपये/र.मी.		64317.05
								फेन्सिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :–	**64317.05**
3			रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
	3.1	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी एवं रखरखाव हेतु द्वितीय वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	1339	Plants	20	रू./पौधे		26772.00
								रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय	**26772.00**
4			रोपण क्षेत्र का उपचार						
	4.1		मृतप्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)						
	4.1.1	PCCF 1.5.2.2	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों के रोपण हेतु गढढा खोदाई 60x60x60 सेमी साईज नरम मिट्टी में।	1339	Pits	10.50	मा.दि. /सैकड़ा	140.55	46663.60
	4.1.2	Special Rate	पौधों का परिवहन (पॉलीथीन साईज 25x30 से.मी.)	1339	Plants	20.00	रूपये /पौधे		26772.00
	4.1.3	Local Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल. प्रति पौधा की मान से उपयोग	4.02	Ltr	1000.00	रूपये /लिटर		4015.80
	4.1.4	PCCF 4.10.2.3	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर खोदे गए 60x60 सेमी साईज के गड्ढों में शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों का रोपण	1339	Plants	3.55	मा.दि. /सैकड़ा	47.52	15776.74
								मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :–	**93228.14**
5	5.1		रासायनिक खाद एन.पी.के. का क्रय						
	5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	2007.9	Kg	30	रू./किलो		60237.00
	5.2.2		वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 200 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 03 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	8031.6	Kg	10	रू./किलो		80316.00
									140553.00
	5.2		निंदाई कार्य						
	5.2.1	Special Rate	1. प्रथम निंदाई/ गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी जिसके साथ मृत पौधों को बदलना, युरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकर थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	13386	Plants	2.00	मा.दि. /सैकड़ा	267.72	88883.04
	5.2.2	PCCF Norms 4.11.2.2	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	13386	Plants	2.00	मा.दि. /सैकड़ा	267.72	88883.04
	5.2.3	PCCF 4.11.3.2	3. तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी। (थाला बनवाया जावेगा)	13386	Plants	1.20	मा.दि. /सैकड़ा	160.63	53329.82
								निंदाई कार्य पर व्यय :–	**231095.90**

6	6.1	Local Rate	दो बार ट्रेक्टर से अंतर जुताई	8.0316	Hact.	4000	रूपये / हे.		32126.40
							रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय		497003.44
7			जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य						
	7.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत) कटूर ट्रेंच की दुरूस्तीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, ग्रवियन, बोल्डर बंड, आदि संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण कार्य।	13.386	Hact.	3300	रूपये / हे.		44173.80
							जल संवर्धन कार्य पर व्यय :–		44173.80
8			पानी सिंचाई कार्य						
	8.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलार पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 5 हे. 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3X3 मी. की अन्तराल पर लगभग 1 हे. में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भवं को पाया था तदानुसार प्रति 1000 पौधा में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
	8.1.1	Special Rate	माह अप्रेल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	9	Time	1.820	मा.दि./सैकड़ा	243.63	80883.57
	8.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 15 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10	Time	1.820	मा.दि./सैकड़ा	243.63	80883.57
	8.1.3	Special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	13.386	Hect	8000	प्रति हे.		80359.00
							सिंचाई पर कुल व्यय :–		242126.13
9			अन्य कल्चरल आपरेशन						
	9.1		Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र – वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिर्रो को खीचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (तृतीय वर्ष कार्य)	5	Hect	3	मा.दि./ हे.	16.0632	5332.98
	9.2		एकलीकरण कार्य						
	9.2.1	PCCF Norms1 .2.3	जीवित ठूंठो से निकल मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	13.386	Hact.	3	मा.दि./हे.	40.158	13332.46
							अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कॉपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :–		18665.44
10			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	10.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	10.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						
							सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल योगः–		207168.00
11			सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	11.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%					
							दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय		0.00
							योग व्यय :–		1135029.46
							प्रति. हैक्टेयर व्यय :–		84792.28

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा. दि.	कुल राशि
						मा.दि.	राशि/इकाई		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	13386	Plants	1.50	रूपये / पौधा		20079.00
							पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :–		**20079.00**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
		Special Rate	फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	83.53	Rm.	770	रूपये / र.मी.		**64317.05**
3	3.1		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
		Special Rate	रोपणी व्यय – औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी कार्य प्रथम वर्ष (पॉलीथीन साईज 20x30 से.मी.) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधा)	736	Plants	20	रूपये / पौधा		**14724.60**
4	4.1		रोपण क्षेत्र उपचार						
		PCCF Norms 1.5.1.2	औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु साधारण मिट्टी में गढढा खुदाई कार्य साईज – 45x45x45 cm	669	Nos.	5	मा.दि./सैकड़ा	33.5	**11110.38**
5	5.1		निदाई कार्य						
	5.1.1	Special Rate	1.प्रथम निंदाई/गुडाई एक मीटर व्यास में रोपित एवं अंगीकृत दोनों प्रकार के पौधों में की जावेगी जिसके साथ निर्धारित मात्रा में युरिया तथा जैविक खाद डाला जाऐगा। (अर्ध चन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहिंत)	13386	Plants	2	मा.दि./सैकडा	267.72	88883.04
	5.1.2	PCCF Norms 4.11.2.2	2.द्वितीय निंदाई/गुडाई एक मीटर चौडी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी। एवं थाला बनाया जावेगा (2मा. दि. प्रति सैकडा)	13386	Plants	2	मा.दि./सैकडा	267.72	88883.04
	5.1.1	Market Rate	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 250 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 500 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	6693	Kg	10	रूपये/किलो		66930.00
	5.2.2	Market Rate	रासायनिक खाद कय एन.पी.के बडे पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग	1339	Kg	30	रूपये/किलो		40158.00
							निंदाई कार्य पर कुल व्यय :–		**284854.08**
							रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :–		**395085.11**
6									
	6.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत) कण्टूर ट्रेंच की दुरूस्तीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, गेबियन, बोल्डर, बंड, आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य ।	13.386	Hect.	3300	रूपये / हे.		44173.80
			पानी सिंचाई कार्य						
	7.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा । इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा । हरियर छ.ग.कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकडो के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3ग3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था तदानुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी ।						

	7.1.1	Special Rate	माह अप्रेल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	9.00	Time	1.820	मा.दि. /सैकड़ा	243.6	80883.57
	7.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10.00	Time	1.820	मा.दि. /सैकड़ा	243.6	80883.57
	7.1.3		पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	13.386	Hect.	8000	प्रति/ हे.		92178.83
								पानी सिंचाई पर व्यय –	**298119.76**
			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	8.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	8.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**207168.00**
9			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	9.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	15%					
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**0.00**
								योग व्यय :–	**900372.9**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**67262.28**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	13386	Plants	1.50	रूपये / पौधा		20079.00
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**20079.00**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
		Special Rate	फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	84	Rm.	770	रूपये / र.मी.		49317.05
3			पानी सिंचाई कार्य						
	3.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा । इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा । हरियर छ.ग.कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकडो के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3ग3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था तदानुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी ।						
	3.1.1	Special Rate	माह अप्रेल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	6.00	Time	1.820	मा.दि. /सैकड़ा	243.6	80883.57
	3.1.2		पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	13.386	Hect.	8000	प्रति/ हे.		50295.82
								पानी सिंचाई पर व्यय –	**180496.44**
4	3.1		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
		Special Rate	रोपणी व्यय – औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी कार्य द्वितीय वर्ष (पॉलीथीन साईज 20x30 से.मी.) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधा)	736	Plants	10	रूपये / पौधा		7362.30
								रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :–	**7362.30**
4	4.1		रोपण क्षेत्र उपचार						
	4.1	Special Rate	रोपण हेतु औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों का परिवहन	669	Plants	6	रूपये/पौधा		4015.80
	4.1.1	Special Rate	औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों का रोपण खाद डलाई सहित	669	Plants	3	मा.दि./सैकड़ा	20.1	6666.23
	4.1.2	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग ।	2	Kg.	1000	रूपये / किलो		2007.90
	4.1.3	Special Rate	प्रथम निंदाई कार्य	669	Plants	2	मा.दि./सैकड़ा	13.4	4002.41
	4.1.4	PCCF Norms 4.11.2 .2	द्वितीय निंदाई कार्य	669	Plants	2	मा.दि./सैकड़ा	13.4	4002.41
	4.1.5	PCCF Norms 4.11.3 .2	तृतीय निंदाई कार्य	669	Plants	1.20	मा.दि./सैकड़ा	13.4	4002.41

	4.1.6	Market Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पौधा के मान से	100	Kg.	30.00	रूपये / किलो		3011.85
	4.1.7	Market Rate	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 200 ग्राम प्रति पौधा निदांई के समय 03 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	402	Kg.	10.00	रूपये / किलो		4015.80
								रोपण क्षेत्र उपचार :–	**31724.82**
5			जल संवर्धन						
	5.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	13.386	Hect.	2200	रूपये / हे.		19449.20
								जल संवर्धन कार्य पर व्यय :–	**19449.20**
6			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	6.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिशिचित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जायें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	6.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**207168.00**
7			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	7.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	20%					
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**0.00**
								योग व्यय :–	**466279.8**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**34833.39**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	13386	Plants	1.50	रूपये / पौधा		20079.00
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	20079.00
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	84	Rm.	770	रूपये / रमी.		14317.05
3			रोपण क्षेत्र उपचार						
	3.1		निंदाई						
	3.1.1	Special Rate	1.प्रथम निंदाई/गुडाई एक मीटर व्यास में रोपित पौधों में युरिया तथा जैविक खाद डाला जाऐगा। (अर्ध चन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	669	Plants	2	मा.दि./सैकडा	13.386	4444.15
	3.1.2	PCCF Norms 4.11.2.2	2.द्वितीय निंदाई/गुडाई एक मीटर चौडी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी। एवं थाला बनाया जावेगा (2मा. दि. प्रति सैकडा)	669	Plants	2	मा.दि./सैकडा	13.386	4444.15
	3.2		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
	3.2.1	Local Rate	एन.पी.के.का उपयोग निंदाई के समय औषधि प्रजाति के झाडी एवं बेला प्रजाति के पौधों में प्रति पौधा 25 ग्राम प्रति निंदाई उपयोग हेतु कुल 50 ग्राम के मान से क्रय	33	Kg.	30	रूपये / किलो		1003.95
	3.2.2	Market Rate	वर्मी काम्पोस्ट खाद क्रय 100 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 200 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	134	Kg.	10	रूपये / किलो		1338.60
								निंदाई पर व्यय	11230.85
4									
	4.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	13.386	Hect.	2200	रूपये / हे.		17987.20
5	5.1		कटाई सफाई कार्य						
	5.1.1	PCCF Rate 1.2.4	जीवित ठूंठों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	13.386	Hect.	3	मा.दि./हे०	40.158	13332.46
								अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत क्लिनिंग कार्य पर व्यय :–	31319.66
6			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	6.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	6.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव						0.00
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	207168.00
7			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	7.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	25%					0.00
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	0.00
								योग व्यय :–	284114.6
								प्रति हेक्टेयर व्यय	21224.75

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा. दि.	कुल राशि
						मा.दि.	राशि/इकाई		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	13386	Plants	1.50	रूपये / पौधा		20079.00
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**20079.00**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	84	Rm.	770	रूपये / र.मी.		21937.05
								फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :–	**21937.05**
3	3.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	13.386	Hect.	2200	रूपये / हे.		14449.20
								जल संवर्धन कार्य पर व्यय :–	**14449.20**
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर *पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन* प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**207168.00**
5			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	30%					
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**0.00**
								योग व्यय :–	**263633.3**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**19694.70**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा. दि.	कुल राशि
						मा.दि.	राशि/इकाई		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	13386	Plants	1.50	रूपये / पौधा		20079.00
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**20079.00**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	84	Rm.	770	रूपये / र.मी.		19317.05
3	3.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	13.386	Hect.	2200	रूपये / हे.		12812.72
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**207168.00**
5			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	35%					
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**0.00**
								योग व्यय :–	**259376.8**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**19376.72**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	13386	x	1.50	रूपये / पौधा		20079.00
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**20079.00**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	84	Rm.	770	रूपये / र.मी.		50682.50
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**50682.50**
3	3.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत)	13.386	Hect.	3300	रूपये / हे.		44173.80
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**44173.80**
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						0.00
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**207168.00**
5			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	40%					0.00
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**0.00**
								योग व्यय :–	**322103.3**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**24062.70**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	13386	Plants	1.50	रूपये / पौधा		20079.00
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**20079.00**
2	2.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (5 प्रतिशत)	13.386	Hect.	1100	रूपये / हे.		**14724.60**
3	3.1	Special Rate	दश वर्षीय थिनिंग कार्य :– रोपण के दसवें वर्ष में सागरिया फार्मुला के तहत् स्वस्थ पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत गोलाई के दस गुना अन्तराल पर स्वस्थ पौधों की कटाई की जावेगी । इससे पौधों को बढाने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा ।	13.386	Hect.	25	रूपये / हे.	334.65	86055.27
			अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत् रोपित पौधों में दस वर्षीय थिनिंग कार्य :–						**86055.27**
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						0.00
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**207168.00**
5			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	45%					
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**0.00**
								योग व्यय :–	**328026.9**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**24505.22**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

गोश्वारा				
क	वर्ष	रकबा (हे.)	प्रति हे. दर	राशि
1	प्रथम वर्ष (2023–24)	13.386	432764.98	5792992.02
2	द्वितीय वर्ष (2024–25)	13.386	238149.11	3187863.99
3	तृतीय वर्ष (2025–26)	13.386	84792.28	1135029.46
4	चतुर्थ वर्ष (2026–27)	13.386	67262.28	900372.88
5	पंचम वर्ष (2027–28)	13.386	34833.39	466279.76
6	षष्ठम वर्ष (2028–29)	13.386	21224.75	284114.56
7	सप्तम वर्ष (2029–30)	13.386	19694.70	263633.25
8	अष्ठम वर्ष (2030–31)	13.386	19376.72	259376.77
9	नवम वर्ष (2031–32)	13.386	24062.70	322103.30
10	दसम वर्ष (2032–33)	13.386	24505.22	328026.87
	योग –	**13.386**	**966666**	**12939792.87**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
गंडई परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
गंडई

वनमण्डलाधिकारी
खैरागढ़ वनमण्डल खैरागढ़

GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF COMPENSATORY AFFORESTATION (CA) FOREST LAND (AREA-47.884HA) AT KHAIRAGARH DIVISION FOR KUSMUNDA OCP, KUSMUNDA AREA, SECL

1.0 Introduction

A proposal for DGPS survey of 47.884 hectare compensatory afforestation (CA) forest land at Khairagarh division has been received in CMPDIL through e-office along with details of forest land allotted by forest department duly forwarded through General Manager, kusmunda Area, South Eastern Coalfields Limited (SECL) vide letter SECL/GM/KA/22-23/249 dated 15-12-2022. As per annual action plan for the year 2022-2023(CMPDI/RI-5/EXPL/2022-23/03 Dated 01-04-2022) DGPS survey of forest land is to be taken up by CMPDIL.

As per work order No. SECL/GM/KA/22-23/249 dated 15-12-2022 the CA land (Area-47.884Ha) for 43.942 Ha revenue forest land proposal of Kusmunda OCP has been identified at Khairagarh Forest Division.

Colliery authorities identified the patch on the ground with the help of forest officials.DGPS survey has been carried out at selected ground locations identified by forest personnel as per requirement.

DGPS report containing geo-referenced boundary map and shape files in projected and geographical coordinate system is submitted herewith. A geo-referenced boundary map in 1:25000 scale and corresponding KML files are also enclosed herewith in order to facilitate SECL to apply through online application portal PARIVESH.

Soft copies of the map and shape files are given in CD for further necessary action by SECL.
Relevant documents are given as annexures in this report.
The following table shows the land schedule of the proposed Compensatory Afforestation (CA) Forest Land.

Land Schedule of Compensatory Afforestation(CA) Forest Land					
SL. NO.	**Division**	**Sub_Division**	**Range**	**Comp**	**Area(HA)**
1	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	13.386
2	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	8.313
3	Khairagarh	Gandai	Salhewara	P135	26.185
				Total Area	**47.884**

2.0 Background

Electricity is a very important commodity that cannot be dispensed for the modern lifestyle of people and communities worldwide. India being a growing economy is not an exception. Electricity produced through thermal power stations meets about seventy percentage of total electricity requirement of our country. Coal plays a vital role in these thermal power stations. With growing concern for

increasing power production, the thrust is on increasing production on coal producing companies, such as SECL.

Coal demand for other industrial and domestic consumption has also increased over the years. Coal producing companies, in general, are always required to mine more coal through open cast and underground coal mines in order to meet the coal demand by thermal power stations.

Coal producing companies are left with only two options. Either they should open new coal mines or increase the capacity of existing mines. While it is not very easy to open up new coal mines, the only option left is to expand the existing mines in terms of its capacity or in terms of physical extent of the existing mine.

In most of the mining lease hold areas it is observed that the coal bearing area is falling in forest areas that has been left out for want of forestry clearance. These forest lands are categorized into the following three types:

- Reserved Forest
- Protected Forest
- Revenue Forest

In order to carry out mining activities in these forest lands, forest clearance is required to obtain from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEFCC).

To check irrational exploitation of forest and to maintain the ecological balance, Forest Conservation Act (FRA), 1980 has been enacted. Under this act, no forest land can be used for non-forestry purpose without prior approval from the ministry.

For getting forest clearance from MOEFCC the coal producing companies are required to apply through recently updated web portal called "Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-Window Hub (PARIVESH)" which is a web based, role-based workflow application that has been developed for online submission and monitoring of proposals submitted by the proponents for seeking environment, forest, wildlife, and CRZ clearances from central state and district level authorities.

It automates the entire tracking of proposals which includes online submission of a new proposal, editing/updating the details of proposals and displays status of the proposals at each stage of the workflow.

The procedure for forest clearance envisaged under the act mandates a two-stage approval process consisting of two stages:

- **Stage I**

Upon prima facie review the proposal is either accepted or rejected. If approved, the project authority is required to deposit an amount for compensation of the opportunity cost of the forest (NPV, compensatory afforestation, additional expenses towards mitigating probable environmental damage etc.)

- **Stage II**

Following the deposit of above-mentioned costs, the land is handed over to the project authorities provided they have obtained all other requisite clearances.

Reserve forest boundaries are generally marked on the ground with large forest pillars while the boundaries of protected forests are marked on the ground with trenches, fencing and other markings.

As per the circular of MOEFCC, one of the pre-requisites for getting forestry clearance is a geo-referenced boundary map in shape file format of the desired forest land.

3.0 Location

The salient points of CA forest land identified for this project are located at Gandai (P100) and Salhewara (P135), District-Khairagarh, Chhattisgarh.Nearest Township is Gandai.

4.0 Scope of Services

The scope of services of CMPDIL to provide Geo-referenced boundary map (in shape files and pdf format), Geo-referenced report and converted geographical coordinates of forest boundary after making DGPS observation at salient points and KML files etc.

5.0 Methodology

Static DGPS (Differential Global Positioning System) survey is appropriate for determining geographical co-ordinates of forest boundary.

The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based location, timing and navigation system in all weather conditions, anywhere on or near the Earth where there is an unobstructed line of sight to four or more GPS satellites. Presently, 30 orbiting satellites of GPS constellation of USA and 24 GLONASS (*Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema* or Global Navigation Satellite System) satellites of Russia are operational for the purpose of GPS survey.

In addition to these primary GPS constellation, European space agency and Chinese have their own constellation such as Galileo and BeiDou respectively.

India's prestigious GAGAN (GPS Aided Geo Augmented Navigation (GAGAN) system) navigation system is also presently operational providing vital positional information to civil aviation and other industries.

The Global Positioning System is a system of communication made up of three independent aspects such as:

- GPS satellites orbiting the Earth;
- Control and monitoring stations on Earth;

- GPS receivers owned by users.

GPS satellites transmit the satellites number, its position in space, and the exact time. These informations are sent through the transmitted signals at regular intervals by all the satellites are all times.

These signals are picked up by various types of GPS receivers on ground. With signals from three or more satellites, a GPS receiver can triangulate its location on the ground (i.e., longitude and latitude) from the known position of the satellites. With four or more satellites, a GPS receiver can determine a 3D position (i.e., latitude, longitude, and ellipsoidal height).Differential Global Positioning System (DGPS) refers to using two or more GPS receivers to achieve greater positional accuracy. There are three basic methods of doing DGPS survey.

- Static
- Rapid-Static
- Real-time Kinematic (RTK).

For doing DGPS survey of forest land, post-processed static survey is found to be most suitable where one GPS receiver is used as base station and other GPS receivers are used as rover stations. Base receiver is stationed at a point of known co-ordinates for longer duration and rover stations are kept at unknown stations for comparatively shorter duration. DGPS observation is done in each rover stations for compensatory afforestation.

Data from base and rovers are downloaded and then post-processed in GPS data processing software, Leica infinity to achieve sub-centimeter level accuracies.

ArcGIS 10.2 version software is used for preparation of shape files, KML file and geo-referenced map of the forest land in WGS-84 co-ordinates.

6.0 Survey Instrument

For providing geographical (spherical) co-ordinates of the stations along the boundary, Differential Global Positioning System (DGPS) consisting of one base receiver and a rover receiver were used. CMPDIL has the latest hardware and software of Leica make DGPS instrument which has dual-frequency GPS signal receivers that provide accurate results after post processing in relevant software. Brief specifications of DGPS are provided in the table below.

A	***DGPS Instrument:***	
	Make	Leica
	Model	GS25 & GS16
	Signal	GPS: L1, L2&L5 carrier, CA, L1P, L2P, L2C GLONASS: L1, L2&L5 carrier, L1CA, L2CA, L1P, L2P GALILEO: E2-L1-E1, E5, E6
	Channels	72
	Accuracy:	sub-centimeter
	Post Processed Static DGPS	3mm +0.5ppm horizontal, 5mm + 0.5ppm vertical
	Real Time RTK	10mm + 1 ppm horizontal, 15mm + 1 ppm vertical
	Power:	
	Internal Battery	2 Li-Ion, 3900mAh, 7.2V
	Communication:	
	Bluetooth	Bluetooth standard 1.2
	USB	1.1 Version
B	***DGPS Software***	Inbuilt Leica software for data recording
		Leica infinity for data processing

7.0 Details of Field Activity

DGPS survey has been carried out in ground locations identified by forest authorities in the presence of kusmunda colliery authority. The following table Showing Details of DGPS Survey Point (WGS84).

POINT_ID	INSTRUMENT	LATITUDE(WGS84)	LONGITUDE(WGS84)
P100/01	DGPS	21° 35' 14.876" N	80° 58' 58.688" E
P100/02	DGPS	21° 35' 10.796" N	80° 58' 54.446" E
P100/03	DGPS	21° 35' 11.642" N	80° 58' 51.281" E
P100/04	DGPS	21° 35' 14.048" N	80° 58' 46.342" E
P100/05	DGPS	21° 35' 18.504" N	80° 58' 49.263" E
P100/06	DGPS	21° 35' 20.748" N	80° 58' 47.559" E
P100/07	DGPS	21° 35' 19.219" N	80° 58' 41.890" E
P100/08	DGPS	21° 35' 18.036" N	80° 58' 38.707" E
P100/09	DGPS	21° 35' 20.227" N	80° 58' 37.647" E
P100/10	DGPS	21° 35' 21.952" N	80° 58' 46.307" E
P100/11	DGPS	21° 35' 25.172" N	80° 58' 47.245" E
P100/12	DGPS	21° 35' 27.969" N	80° 58' 46.514" E
P100/13	DGPS	21° 35' 28.197" N	80° 58' 44.949" E
P100/14	DGPS	21° 35' 30.148" N	80° 58' 42.584" E
P100/15	DGPS	21° 35' 32.717" N	80° 58' 41.784" E
P100/16	DGPS	21° 35' 33.465" N	80° 58' 40.358" E
P100/17	DGPS	21° 35' 36.035" N	80° 58' 43.279" E
P100/18	DGPS	21° 35' 37.401" N	80° 58' 40.357" E
P100/19	DGPS	21° 35' 39.417" N	80° 58' 39.870" E
P100/20	DGPS	21° 35' 43.353" N	80° 58' 40.113" E

POINT_ID	INSTRUMENT	LATITUDE(WGS84)	LONGITUDE(WGS84)
P100/21	DGPS	21° 35' 38.572" N	80° 58' 43.278" E
P100/22	DGPS	21° 35' 36.458" N	80° 58' 46.826" E
P100/23	DGPS	21° 35' 31.157" N	80° 58' 48.044" E
P100/24	DGPS	21° 35' 28.522" N	80° 58' 49.157" E
P100/25	DGPS	21° 35' 26.343" N	80° 58' 49.714" E
P100/26	DGPS	21° 35' 22.196" N	80° 58' 50.778" E
P100/27	DGPS	21° 35' 17.724" N	80° 58' 56.114" E
P100/28	DGPS	21° 35' 18.118" N	80° 58' 56.465" E
P100/29	DGPS	21° 35' 20.684" N	80° 58' 53.540" E
P100/30	DGPS	21° 35' 22.944" N	80° 58' 51.277" E
P100/31	DGPS	21° 35' 28.100" N	80° 58' 50.131" E
P100/32	DGPS	21° 35' 30.882" N	80° 58' 48.716" E
P100/33	DGPS	21° 35' 32.176" N	80° 58' 51.821" E
P100/34	DGPS	21° 35' 22.474" N	80° 58' 58.564" E
P135/01	DGPS	21° 43' 41.921" N	80° 47' 14.274" E
P135/02	DGPS	21° 43' 42.538" N	80° 47' 12.189" E
P135/03	DGPS	21° 43' 42.484" N	80° 47' 8.072" E
P135/04	DGPS	21° 43' 42.414" N	80° 47' 4.347" E
P135/05	DGPS	21° 43' 42.867" N	80° 47' 2.188" E
P135/06	DGPS	21° 43' 44.031" N	80° 46' 57.592" E
P135/07	DGPS	21° 43' 44.160" N	80° 46' 56.512" E
P135/08	DGPS	21° 43' 43.670" N	80° 46' 55.051" E
P135/09	DGPS	21° 43' 43.734" N	80° 46' 53.763" E
P135/10	DGPS	21° 43' 42.852" N	80° 46' 50.910" E
P135/11	DGPS	21° 43' 42.855" N	80° 46' 49.645" E
P135/12	DGPS	21° 43' 42.863" N	80° 46' 49.053" E
P135/13	DGPS	21° 43' 41.752" N	80° 46' 47.705" E
P135/14	DGPS	21° 43' 39.721" N	80° 46' 46.406" E
P135/15	DGPS	21° 43' 38.817" N	80° 46' 45.949" E
P135/16	DGPS	21° 43' 35.906" N	80° 46' 44.577" E
P135/17	DGPS	21° 43' 33.890" N	80° 46' 43.738" E
P135/18	DGPS	21° 43' 32.452" N	80° 46' 42.768" E
P135/19	DGPS	21° 43' 27.878" N	80° 46' 40.784" E
P135/20	DGPS	21° 43' 25.897" N	80° 46' 39.722" E
P135/21	DGPS	21° 43' 25.843" N	80° 46' 39.699" E
P135/22	DGPS	21° 43' 21.264" N	80° 46' 44.619" E
P135/23	DGPS	21° 43' 14.959" N	80° 46' 47.930" E
P135/24	DGPS	21° 43' 15.604" N	80° 46' 49.993" E
P135/25	DGPS	21° 43' 22.922" N	80° 46' 53.442" E

8.0 Computation

Data recorded is downloaded from both rover and base receivers of DGPS and processed in Leica infinity software to get post-processed WGS-84 co-ordinates. The geographical co-ordinates of the forest land (CA) are tabulated below.

TABLE-I
GEOGRAPHICAL COORDINATES (WGS-84)
47.884 HA FOREST LAND (CA)
KUSMUNDA OCP, KUSMUNDA AREA, SECL

FID	COMPARTMENT	DIVISION	SUB DIVISION	RANGE	Latitude(DMS)	Longitude(DMS)
0	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 35.040" N	80° 58' 43.709" E
1	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 36.164" N	80° 58' 43.916" E
2	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 36.499" N	80° 58' 46.727" E
3	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 34.298" N	80° 58' 47.061" E
4	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 31.090" N	80° 58' 47.939" E
5	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 28.476" N	80° 58' 49.073" E
6	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 26.311" N	80° 58' 49.729" E
7	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 22.165" N	80° 58' 50.708" E
8	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 18.897" N	80° 58' 54.518" E
9	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 17.513" N	80° 58' 56.081" E
10	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 14.876" N	80° 58' 58.688" E
11	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 10.796" N	80° 58' 54.446" E
12	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 11.642" N	80° 58' 51.281" E
13	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 14.048" N	80° 58' 46.342" E
14	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 18.504" N	80° 58' 49.263" E
15	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 20.748" N	80° 58' 47.559" E
16	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 19.219" N	80° 58' 41.890" E
17	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 18.036" N	80° 58' 38.707" E
18	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 20.227" N	80° 58' 37.647" E
19	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 20.232" N	80° 58' 37.640" E
20	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 21.085" N	80° 58' 42.955" E
21	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 21.952" N	80° 58' 46.307" E
22	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 25.172" N	80° 58' 47.245" E
23	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 27.969" N	80° 58' 46.514" E
24	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 28.197" N	80° 58' 44.949" E
25	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 30.252" N	80° 58' 43.093" E
26	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 33.565" N	80° 58' 42.366" E
27	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 35.040" N	80° 58' 43.709" E
28	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 32.784" N	80° 58' 53.042" E
29	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 28.253" N	80° 58' 56.711" E
30	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 22.538" N	80° 59' 1.460" E
31	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 17.708" N	80° 58' 57.071" E
32	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 18.118" N	80° 58' 56.465" E
33	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 20.684" N	80° 58' 53.540" E

FID	COMPARTMENT	DIVISION	SUB DIVISION	RANGE	Latitude(DMS)	Longitude(DMS)
34	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 22.944" N	80° 58' 51.277" E
35	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 28.100" N	80° 58' 50.131" E
36	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 30.882" N	80° 58' 48.716" E
37	P100	Khairagarh	Gandai	Gandai	21° 35' 32.784" N	80° 58' 53.042" E
0	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 36.547" N	80° 47' 6.402" E
1	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 32.075" N	80° 47' 1.360" E
2	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 27.365" N	80° 46' 56.758" E
3	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 22.997" N	80° 46' 53.328" E
4	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 19.290" N	80° 46' 51.386" E
5	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 15.659" N	80° 46' 49.984" E
6	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 14.992" N	80° 46' 47.943" E
7	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 21.102" N	80° 46' 44.704" E
8	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 33.922" N	80° 46' 51.188" E
9	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 39.626" N	80° 46' 57.093" E
10	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 40.317" N	80° 46' 52.313" E
11	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 39.628" N	80° 46' 46.648" E
12	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 41.589" N	80° 46' 47.866" E
13	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.865" N	80° 46' 49.196" E
14	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.822" N	80° 46' 49.676" E
15	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.841" N	80° 46' 50.910" E
16	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 43.581" N	80° 46' 53.780" E
17	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 43.540" N	80° 46' 55.047" E
18	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 43.766" N	80° 46' 56.617" E
19	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 43.801" N	80° 46' 57.576" E
20	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.515" N	80° 47' 2.098" E
21	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.261" N	80° 47' 4.322" E
22	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.231" N	80° 47' 8.099" E
23	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 42.540" N	80° 47' 12.189" E
24	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 41.944" N	80° 47' 14.186" E
25	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 39.919" N	80° 47' 11.220" E
26	P135	Khairagarh	Gandai	Salhewara	21° 43' 36.547" N	80° 47' 6.402" E

9.0 Documents Submitted

- Drawing Number: CMPDI/RI5/BSP/GEOM/2022/DGPS/89
- Soft copy of shape files & KML files in CD.

DISCLAIMER:

1. DGPS REPORT IS BASED ON SURVEY DATA.
2. DGPS REPORT IS FOR FOREST LAND (CA) APPLICATION ONLY & NOT VALID FOR ANY OTHER PURPOSE
3. CMPDIL IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY FUTURE DISPUTE WITH RESPECT TO FOREST LAND DETAILS.

वन मंडलाधिकारी
खैरागढ़ वनमंडल

पर्यावरण अधिकारी,
एम.सी.एल., कुसमुण्डा क्षेत्र

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र-गण्डई

80°58'15"E 80°58'30"E 80°58'45"E 80°59'0"E

21°35'30"N 21°35'15"N 21°35'0"N

FID	Division	Sub Division	Range	Comp	Patch	Area (Ha)	Latitude (WGS84)	Longitude (WGS84)
0	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 35.040" N	80° 58' 43.709" E
1	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 36.164" N	80° 58' 43.916" E
2	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 36.499" N	80° 58' 46.727" E
3	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 34.298" N	80° 58' 47.061" E
4	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 31.090" N	80° 58' 47.939" E
5	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 28.476" N	80° 58' 49.073" E
6	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 26.311" N	80° 58' 49.729" E
7	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 22.165" N	80° 58' 50.708" E
8	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 18.897" N	80° 58' 54.518" E
9	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 17.513" N	80° 58' 56.081" E
10	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 14.876" N	80° 58' 58.688" E
11	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 10.796" N	80° 58' 54.446" E
12	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 11.642" N	80° 58' 51.281" E
13	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 14.048" N	80° 58' 46.342" E
14	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 18.504" N	80° 58' 49.263" E
15	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 20.748" N	80° 58' 47.559" E
16	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 19.219" N	80° 58' 41.890" E
17	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 18.036" N	80° 58' 38.707" E
18	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 20.227" N	80° 58' 37.647" E
19	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 20.232" N	80° 58' 37.640" E
20	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 21.085" N	80° 58' 42.955" E
21	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 21.952" N	80° 58' 46.307" E
22	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 25.172" N	80° 58' 47.245" E
23	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 27.969" N	80° 58' 46.514" E
24	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 28.197" N	80° 58' 44.949" E
25	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 30.252" N	80° 58' 43.093" E
26	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 33.565" N	80° 58' 42.366" E
27	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386	21° 35' 35.040" N	80° 58' 43.709" E
28	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 32.784" N	80° 58' 53.042" E
29	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 28.253" N	80° 58' 56.711" E
30	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 22.538" N	80° 59' 1.460" E
31	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 17.708" N	80° 58' 57.071" E
32	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 18.118" N	80° 58' 56.465" E
33	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 20.684" N	80° 58' 53.540" E
34	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 22.944" N	80° 58' 51.277" E
35	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 28.100" N	80° 58' 50.131" E
36	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 30.882" N	80° 58' 48.716" E
37	Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313	21° 35' 32.784" N	80° 58' 53.042" E

Land Schedule of Compartment-P100

Division	Sub Division	Range	Compartment	Patch	Area (Ha)
Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	1	13.386
Khairagarh	Gandai	Gandai	P100	2	8.313
				Total Area	21.699

GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF CA(COMPENSATORY AFFORESTATION)FOREST LAND AT KHAIRAGARH DIVISION
COMPARTMENT NO-P100 (Area-21.699Ha)

N

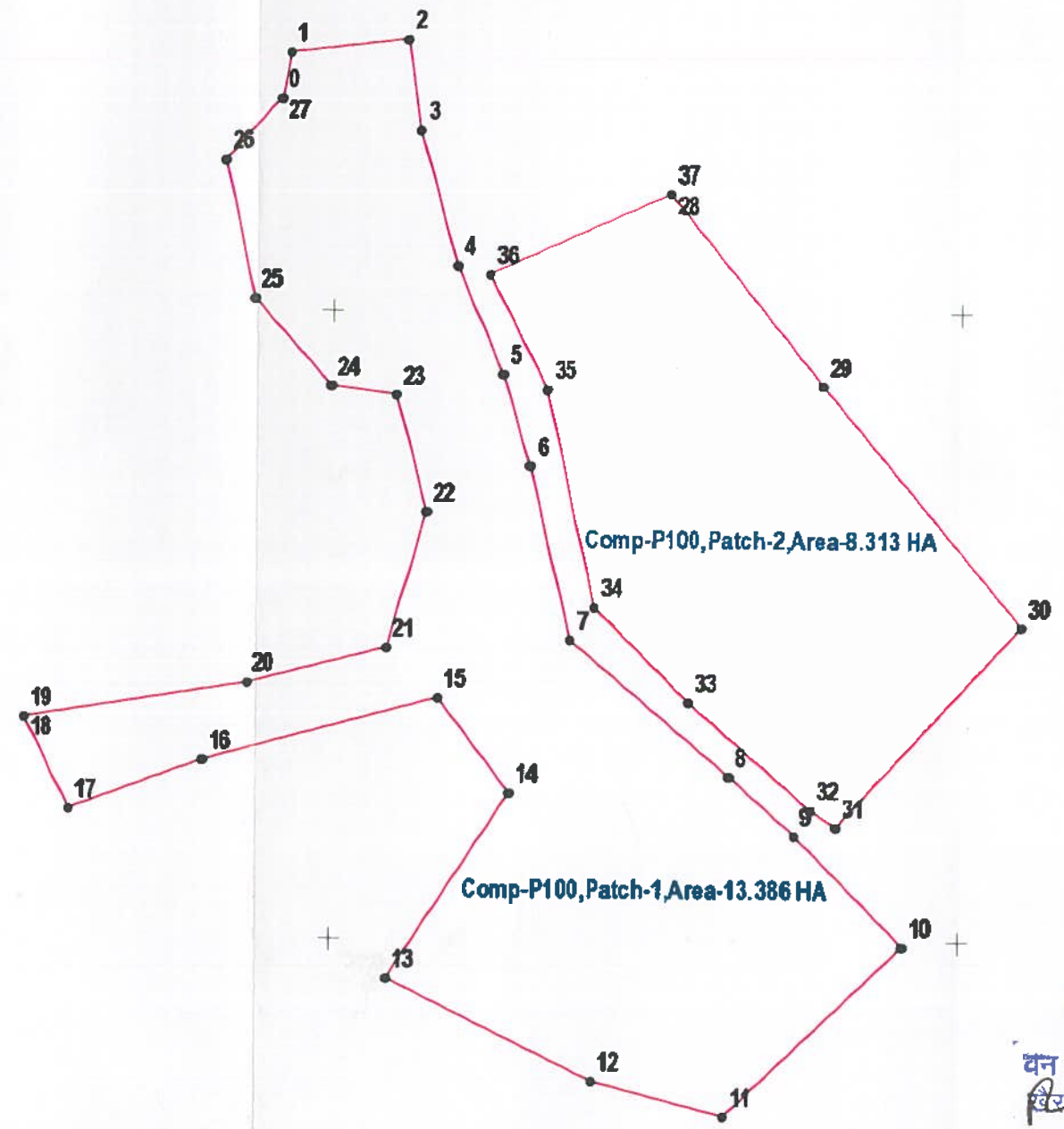

वन मंडलाधिकारी
खैरागढ़ वनमंडल

मोडल अधिकारी(प्र
एस.ई.सी.एल.,कुसमुण्डा

उप वनमण्डलाधिकारी,गण्डई
खैरागढ़ वनमण्डल (छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र–गण्डई

Customer	SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED				
Project	GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF CA (COMPENSATORY AFFORESTATION)FOREST LAND AT KHAIRAGARH DIVISION			Job Number	502306
Subject	PLAN SHOWING OF CA (COMPENSATORY AFFORESTATION) FOREST LAND COMPARTMENT NO-P100 (AREA-21.699 HA) AGAINST 43.842 HA REVENUE FOREST LAND OF KUSMUNDA OCP, KUSMUNDA AREA(SECL)	Activity	Name	Designation	Signature / Date
		Surveyed	Madhusudan Banik	Sr.Surveyor (C)	
		Surveyed	Striker Paul	Surveyor (M)	
		Approved	Sudhanshu Mishra	H.O.D (Geomatics)	
cmpdi		Scale	0 30 60 120 M 1:5,000	Sheet	1
		Dwg	CMPDI/RI5/BSP/GEOM/2023/DGPS/89	Rev No.	0

80°45'0"E 80°50'0"E 80°55'0"E 81°0'0"E

COMPENSATORY AFFORESTATION(CA) FOREST LAND OF KHAIRAGARH DIVISION SHOWN ON TOPOSHEET AGAINST 43.942 HA REVENUE FOREST LAND OF KUSMUNDA OCP,KUSMUNDA AREA,SECL

Division-Khairagarh, Sub_Division-Gandai,Range-Gandai,Compartment-P100(Area-21.699 Ha)
AND
Division-Khairagarh, Sub_Division-Gandai,Range-Salhewara,Compartment-P135(Area-26.185 Ha)

N

21°50'0"N 21°45'0"N 21°40'0"N 21°35'0"N 21°30'0"N 21°25'0"N

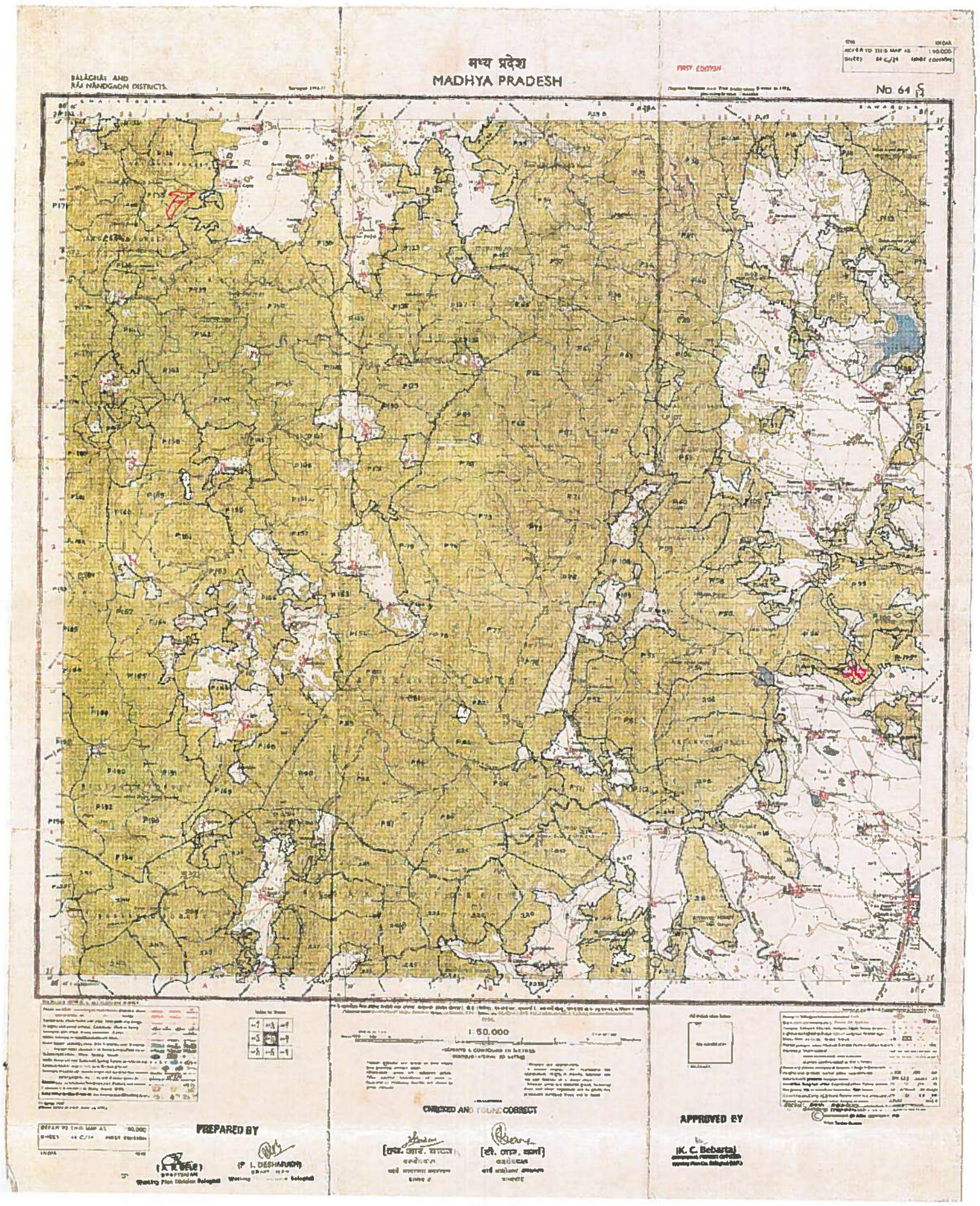

0 1 2 4 6 8 Kilometers 1:50,000

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र-गण्डई

उप वनमण्डलाधिकारी, गण्डई
खैरागढ़ वनमण्डल (छ.ग.)

वन मंडलाधिकारी
खैरागढ़ वनमंडल

80°45'0"E 80°50'0"E 80°55'0"E 81°0'0"E

उपचार मानचित्र

सिंचित (वैकल्पिक) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य

क्रमांक – पी/100 प्रस्तावित रकबा– 13.386 हे.

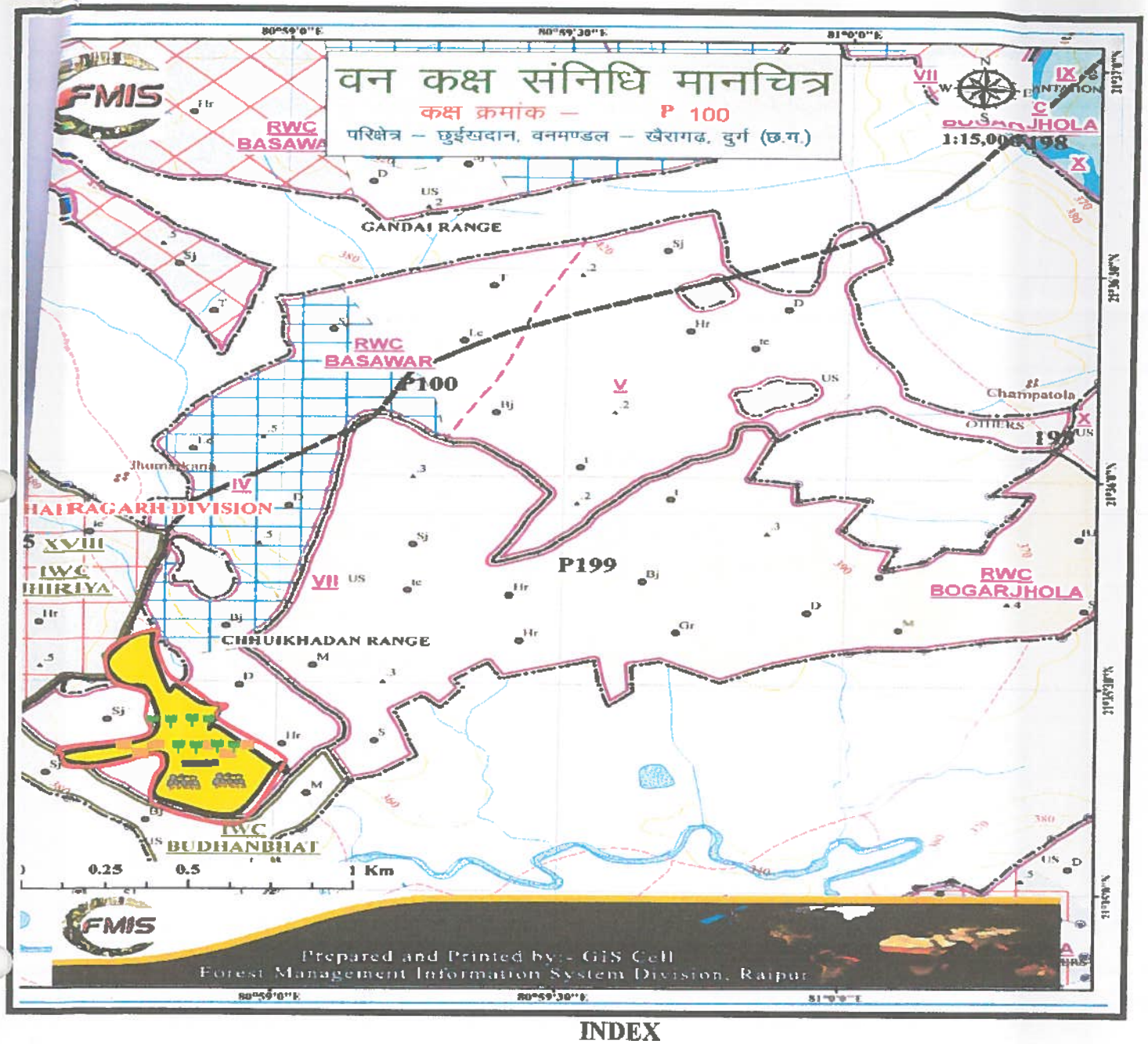

INDEX

1	क्षेत्र सीमांकन, सर्वेक्षण कार्य	
3	नदी नाला	
4	**भू–जल संरक्षण कार्य**	
5	कन्टूर ट्रेंच खुदाई कार्य	
6	बोल्डर चेकडेम	
7	सी.बी.ओ. कार्य	
8	सी.सी.टी कार्य	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र गंडई

Project File 2016-17-3

पुनरीक्षित मानचित्र

सिंचित (वैकल्पिक) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य

क्रमांक – पी/100 प्रस्तावित रकबा– 13.386 हे.

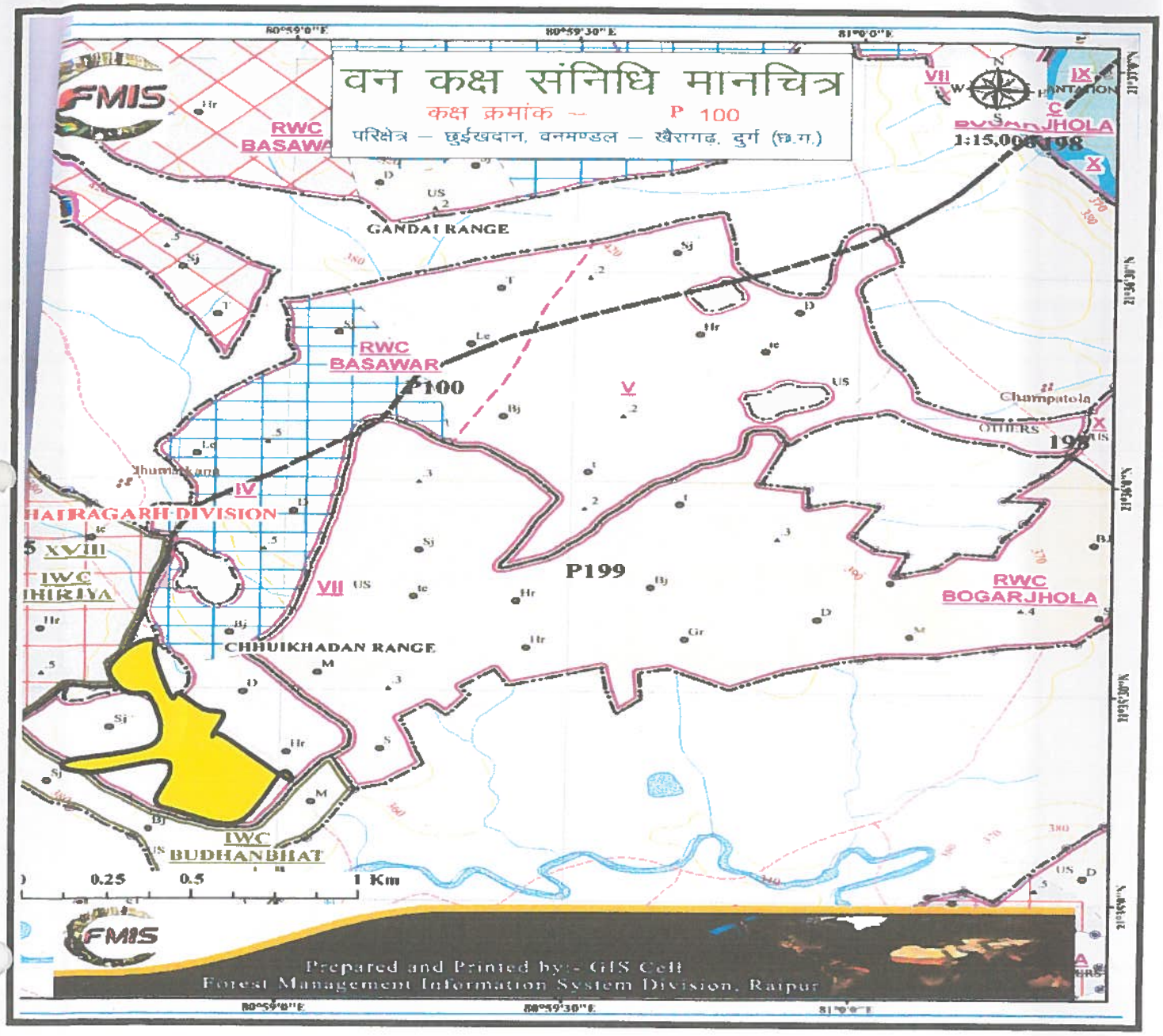

INDEX

1	कक्ष सीमा	
2	कूप सीमा	
3	नदी नाला	
4	मुनारा	
5	उपचारित क्षेत्र	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र गंडई

Project File 2016-17- 4

गूगल मानचित्र

सिंचित (वैकल्पिक) मिश्रित वृक्षारोपण कार्य

क्रमांक – पी/100–1 प्रस्तावित रकबा– 13.386 हे.

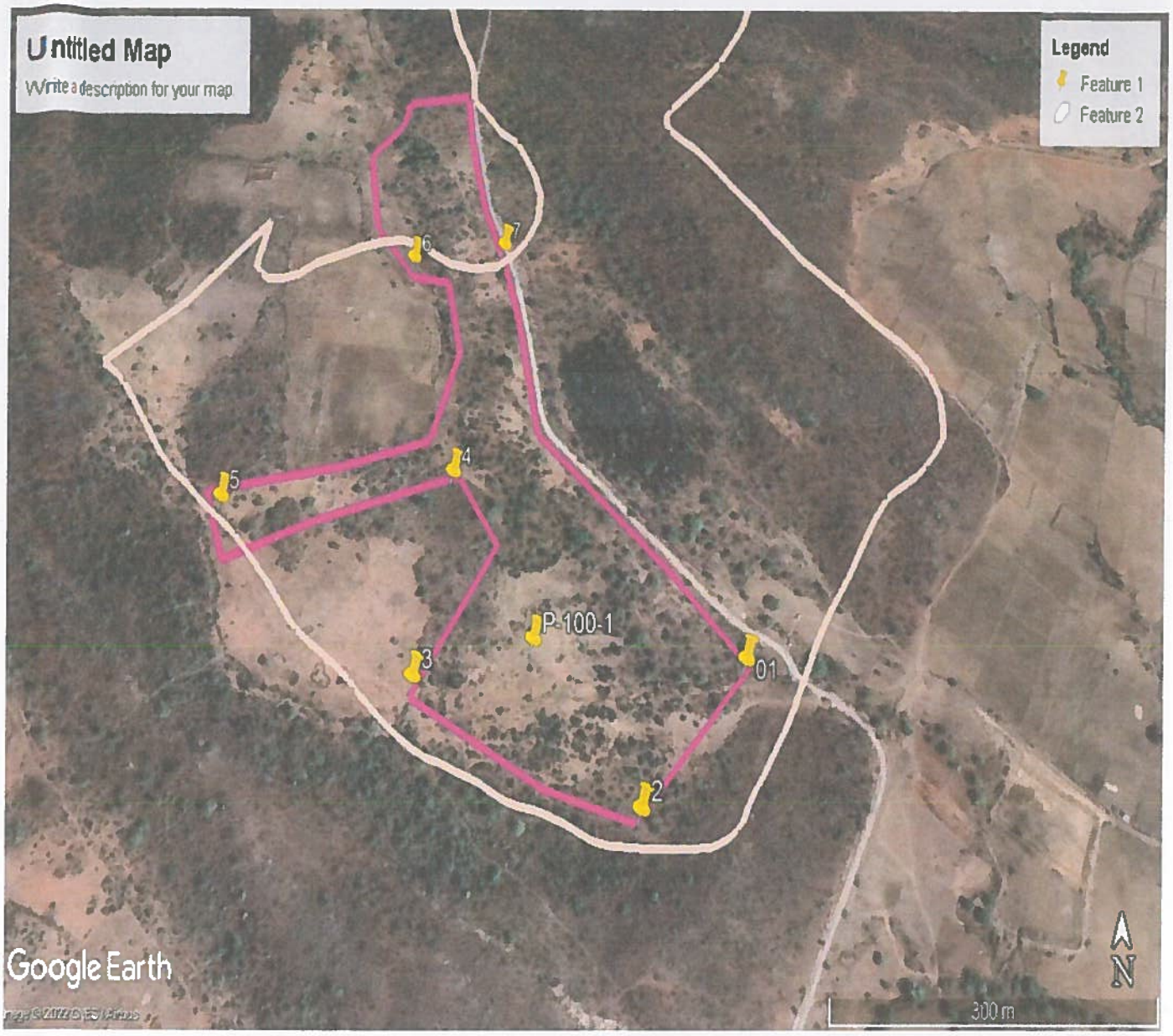

21°35'14.62"N	80°58'58.40"E	21°35'10.69"N	80°58'54.49"E
21°35'14.13"N	80°58'46.31"E	21°35'20.36"N	80°58'47.24"E
21°35'19.54"N	80°58'38.20"E	21°35'28.44"N	80°58'44.81"E
21°35'28.97"N	80°58'48.79"E		

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र गंडई

Project File 2016-17- 9

GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF CA(COMPENSATORY AFFORESTATION)FOREST LAND AT KHAIRAGARH DIVISION

COMPARTMENT-P100

1:25,000

मंडल अधिकारी (पया. / वन)
एसईसीएल.कुसमुण्डा क्षेत्र
पो कुसमुण्डा.जिला–कोरबा
495 454 (छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र–गण्डई

उप वनमण्डलाधिकारी, गण्डई
खैरागढ वनमण्डल (छ.ग.)

वन मंडलाधिकारी
खैरागढ वनमंडल

कार्यालय मुख्यं वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf.durg@gmail.com, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/व्ययलेखा/4202 दुर्ग, दिनांक 14/06/2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा
बिलासपुर वृत्त (छ.ग.)

विषय :— **Diversion of Additaional 43.942 ha.Revenue Forest land for Expansion of Kusmunda Opencast COAL Mine of M/s. South Eastern Coalfields Limited for Coal Mining in Korba district of Chhattisgarh.**
(पंजीयन क्रमांक—FP/CG/MIN/4160/2019 Dt. 18-10-2019)

संदर्भ :— 1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. का पत्र क्र./भू—प्रबंध/खनिज/331—271/1253 दिनांक 23.05.2023.

2) आपका कार्या. पत्र क्र./तक.अधि./2023/3237—3238 दि. 29.5.2023.

3) इस कार्यालय का पत्र क्र./व्ययलेखा/616 दिनांक 25.01.2023.

3) व.म.अ. कवर्धा का पत्र क्र./तक.अधि./1372 दिनांक 12.06.2023.

***

विषयांतर्गत महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला—कोरबा (छ.ग.) वनमण्डल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्य हेतु 43.942 हे. राजस्व वनभूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत कवर्धा वनमण्डल के परिक्षेत्र स./लोहारा के कक्ष क्र. पी.एफ. 265 रकबा 40.000 हे. का 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2022—23 की दर से राशि 878787/— प्रति हेक्टेयर से तैयार कर प्रेषित किया गया था, जिसमें वरिष्ठ कार्यालय के संदर्भित पत्र (1) द्वारा की गई आपत्ति का निराकरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2023—24 में लागू दर रूपये 9,66,666/— प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का निम्नानुसार प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा द्वारा प्रेषित किया गया है :—

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	कार्य का विवरण	कक्ष क्र.	रकबा (हे.में)	प्राक्कलन राशि
1.	कवर्धा	स.लोहारा	10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	पी.एफ. 265	40.000	3,86,66,645/—

अतः उपरोक्तानुसार प्राक्कलन की दो प्रति प्रति मूलतः आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/व्ययलेखा/4203 दुर्ग, दिनांक 14 /06/2023

प्रतिलिपि :— वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

—:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल कवर्धा (छ.ग.) ::—

Tel No.: 232230 E-mail : dfokabirdham@gmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / ..... 1372 कवर्धा, दिनांक :— 12 / 06 / 2023

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :— **Diversion of Additional 43.942 ha. Revenue Forest land for Expansion of Kusmunda Opencast COAL Mine of M/s South Eastern Coalfields Limited for Coal Mining in Korba district of Chhattisgarh.**
(पंजीयन क्र. / FP/CG/MIN/41604/2019 Date- 18.10.2019)

संदर्भ :— 1 अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू—प्रबंध / व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर का पत्र. क्र. / भू—प्रबंध / खनिज / 331—271 / 1253 दिनांक 23.05.2023 ।
2. मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर का पत्र क्र. / तक / 1582 दि. 05.06.2023 ।
3. वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमंडल का पृ.क्र. / तक.अधि. / 2023 / 3238 दि. 29.05.2023

——✡✡✡——

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत निवेदन है कि मेसर्स महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा (छ0ग0) वनमंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु 43.942 हे. राजस्व वनभूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत कवर्धा वनमंडल, परिक्षेत्र स.लोहारा के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 265 रकबा 40.000 हे. का 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2022—23 की दर से राशि 878787 / — प्रति हेक्टेयर से तैयार कर प्रेषित किया गया था, जिसमें संदर्भित पत्र क्र. 01 के द्वारा आपत्ति की जाकर वित्तीय वर्ष 2023—24 में लागू दर रूपये 9,66,666 / —प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण प्रस्ताव प्रेषित करने निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रकरण में परिक्षेत्राधिकारी स.लोहारा द्वारा उपवनमंडलाधिकारी स.लोहारा के अनुशंसा सहित 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2023—24 की दर राशि 9,66,666 / —रू.प्रति हेक्टेयर के अनुसार वृक्षारोपण कार्य करने हेतु प्रस्ताव मय प्राक्कलन सहित तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, विवरण निम्नानुार है :—

क्र.	वनमंडल	परिक्षेत्र	कार्य का विवरण	कक्ष क्र.	रकबा (हे.में)	प्राक्कलन राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	कवर्धा	स.लोहारा	10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	पी.एफ. 265	40.000	38666645/-

अतः प्राक्कलन की दो प्रति मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

सहपत्र :— प्राक्कलन मूलतः 02 प्रति में।

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

पृ.क्र./तक.अधि./1373

कवर्धा,दिनांक :—12/06/2023

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर का पत्र क्र./तक/1582 दि. 05.06.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमंडल का पृ.क्र./तक.अधि./2023/3238 दिनांक 29.05.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा के अंतर्गत सिंचित मिश्रित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

1.	उपवनमण्डल का नाम	–	सहसपुर लोहारा
2.	परिक्षेत्र का नाम	–	सहसपुर लोहारा
3.	उप परिक्षेत्र का नाम	–	मोहनपुर
4.	परिसर का नाम	–	मोहनपुर उत्तर
5.	कक्ष क्रमांक	–	265
6.	कक्ष का कुल रकबा	–	179.770 हे.
7.	प्रस्तावित रकबा	–	40.000 हे.
8.	पौधा संख्या	–	40000
9.	प्रस्तावित राशि	–	38666645/-

परिक्षेत्र–सहसपुर लोहारा

कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा के अंतर्गत सिंचित मिश्रित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

- कार्य का नाम – सिंचित मिश्रित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
- कक्ष क्रमांक – 265
- कक्ष का कुल रकबा – 179.770 हे.
- कार्य हेतु प्रस्तावित रकबा – 40.000 हे.
- परिसर – मोहनपुर उत्तर
- उप परिक्षेत्र – मोहनपुर
- प्रस्तावित राशि – 38666645/-
- परियोजना अवधि – 2023-24 to 2032-33
- परिक्षेत्र का नाम – सहसपुर लोहारा
- उपवनमण्डल का नाम – सहसपुर लोहारा
- वनमण्डल का नाम – कवर्धा
- विकासखण्ड का नाम – बोड़ला
- तहसील – बोड़ला
- जिला – कबीरधाम
- विधानसभा का नाम – कवर्धा
- संसदीय क्षेत्र – राजनांदगांव
- परिक्षेत्र सहायक का नाम – श्रीमति संगीता लकड़ा, वनपाल
- परिसर रक्षक का नाम –
- सबंधित वन प्रबंधन समिति का नाम – पालक
- कार्य का उद्देश्य – हरियाली प्रसार एवं वन आवरण बढाना भूनिमार्ण और भूमि सुधार
- प्रतिफल – वृक्षारोपण किए जाने से हरियाली प्रसार में वृद्वि होगी एवं आसपास के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।
- जी.पी.एस.लोकेशन – 1. N 21°52′ 23.44'' E 81° 0′ 9.95"
  2. N 21°52′ 12.09'' E 81° 0′ 34.91"
  3. N 21°52′ 0.85'' E 80° 59′ 56.24"
  4. N 21°51′ 58.02'' E 81° 0′ 28.97"

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सहसपुर लोहारा

परियोजना लागत

राज्य कैम्पा निधि से सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव

रोपण अंतराल – 3x3 | गडडे का आकार 60x60x60

पौधा की संख्या :– 40000 | रोपण हेतु कार्य योग्य कुल रकबा 40.000

रोपण स्थल–कक्ष क्रमांक पी. 265 मोहनपुर उ. | मजदूरी दर 332 प्रति दिवस

प्रथम वर्ष 2023 – 2024

क्र.		कार्य दर क्रं.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
						मा.दि.	राशि / इकाई		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	1.1	PCCF Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन – 3 मी. चौड़ी लाईन कटाइ सफाई करना, जी.पी.एस. से सर्वे कर के.एम.एल. फाईल तैयार करते हुए, सीमा में खुँटा लगाना।	40.000	Hact	0.85	मा.दिवस/हे.	34.00	11288.00
	1.2	PCCF Rate 1.1.2	वन संनिधि उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना।	40.000	Hact	0.25	मा.दिवस/हे.	10.00	3320.00
							सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :–		14608.00
2			फेंसिंग कार्य						
	2.1		एंगल आयरन पोल एवं चैनलिंक फेंसिंग कार्य क्षेत्र की फेंसिंग हेतु जी.पी.एस.ट्रेकिंग से प्राप्त सीमालाईन (पेरीमीटर) के आधार पर फेंसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा इस हेतु मैपसोर्स (Map source) साफ्टवेयर से जी.पी.एस. ट्रेकिंग मैप जिसमें Length of perimeter के साथ Area दर्शित हो लगाया जाना सुनिश्चिम किया जावे ।						
	2.1.1	RES SOR 307	एंगल आयरन पोल गाडने हेतु कड़ी मिट्टी /कठोर मुरूम में गढढा खुदाई						
			साईज – 0.40x0.40x0.40 = 0.064 Cmt.	66.56	Cmt	247.70	Rs/Cmt.		16486.91
	2.1.2	RES SOR 413 (c)	एंगल आयरन पोल गाडने हेतु खोदे गये गढढों में 1:4:8 सी.सी. का मिश्रण डालना एवं तराई (उपयोग 40 एम.एम. गिट्टी)						
			साईज –2600x0.40x0.40x0.10=41.60 cmt.	5.84	Cmt	3430.40	Rs/Cmt.		20033.54
	2.1.3	PWD SOR 9.45	सीमेंट कांक्रीट ब्लॉक में एंगल आयरन पोल निर्धारित साईज का लगाना :– (एंगल आयरन पोल का Bottom Split हो एवं Right angle में मुडा होना चाहिये तथा 10mm diameter का प्रत्येक 30 से.मी. में छेद होना चाहिये तथा agele iron pole में Red Oxide Zine Chromate primer की एक लेयर लगी हो)	11232.00	kg.	69.50	Rs/kg		780624.00
			साईज – 50x50x6mm						
			लम्बाई – 2.40 मीटर						
			985x2.40=2364 रनिंग मीटर						
			@4.50 kg. प्रति रनिंग मीटर						
	2.1.4	RES SOR 413, 416 (a)	एंगल आयरन पोल गाडने हेतु खोदे गये गढढों में 1:2:4 सी.सी. द्वारा एंगल आयरन पोल फिक्सिंग कार्य तराई सहित (उपयोग 20 एन.एम. गिट्टी)						
			2600x0.40x0.40x0.30=124.80 Cmt.						
			(-) एंगल आयरन पोल साइज 2600x0.30x0.06x0.06=2.808Cmt.						
			Net-	48.80	Cmt.	4550.90	Rs/Cmt.		222065.72
	2.1.5	PWD SOR 9.43.1	निर्धारित साइज की 50x50mm छेद वाली 4mm diameter वाली जी.आई. तार से निर्मित चैनलिंक लोहे की जाली एंगल आयरन पोल में 2mm diameter वाली जी. आई. तार / जी.आई. स्टेपल / जी.आई. यू नेल्स / स्टील पिन की सहायक से बांधकर टाईट करना ।	5460.00	Sqm.	331.00	Rs/Sqm.		1807260.00
	2.1.6	RES SOR 1335 (a)	एंगल आयरन पोल में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना 2600x2.10x0.20 = 1092 Sqm.	437	Sqm.	163.30	Rs/Sqm.		71329.44

	2.1.7	RES SOR 1335 (a)	लोहे की चैनलिंक जाली में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना 6500x2.10x2 = 27300/10= 2730Sqm.	1092	Sqm.	163.30	Rs/Sqm.		178323.60
	2.1.8	Special Rate	ट्रकेवल प्वाइंट से चैनलिंक जाली / एंगल आयरन पोल सीमेंट / ईंट / गिट्टी कार्यस्थल तक परिवहन – सामग्री मूल्य का 2 प्रतिशत						315784.40
	2.1.9		अन्य आकस्मिक व्यय						65389.00
							फेंसिंग कार्य पर व्यय :–		3477296.60
							प्रति रनींग मीटर फेंसिंग कार्य पर व्यय :–		1470.94
							प्रति हैक्टेयर व्यय :–		86932.42
3			जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य						
	3.1	Special Rate	ठूंठ ड्रेसिंग–20 से.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के कॉपीस प्रजाति के जीवित ठूंठ एवं पोलार्ड का प्रतिकर्तन एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)	40.000	Hact	5	मा.दि./हे.	200	66400.00
	3.2	PCCF 1.2.2	क्षेत्र की सफाई 20 से.मी. गोलाई तक की अनुपयोगी कापिस देने वाली प्रजाति की आडी–टेढी विकृत अग्रिम पौध की कटाई एवं ठूंठों की ड्रेसिंग तथा सफाई	20	Hact	5	मा.दि./हे.	100	33200.00
	3.3	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र – वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिर्रो को खीचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (प्रथम वर्ष कार्य)	16	Hact	30	मा.दि./हे.	480	159360.00
	3.4	Special Rate CAMPA	क्षेत्र में स्थित अनुपयोगी झाड़ियों एवं अनुपयोगी ठूंठो को खोदकर कार्य स्थल से बाहर हटाना।	4	Hact	50	मा.दि./हे.	200	66400.00
							जड़भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :–		325360.00
4			रोपणी में पौधा तैयारी :–						
	4.1	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहिंत)	44000	Plants	66	रू./पौधे		2904000.00
							नर्सरी में पौध तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय		2904000.00
5			रोपण क्षेत्र का उपचार						
	5.1	Special Rate	<u>रिक्त कडी भूमि में गहरी जोताई कार्य –</u> एम.बी.प्लाऊ से 2 बार गहरी जुताई कर अवांछित प्रजाति के जड़ों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुए मेढ़ बनाना–खुला क्षेत्र 60 प्रतिशत टीपः– रोपण हेतु चयनित क्षेत्र अंतर्गत 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र में ही ट्रेक्टर से गहरी जोताई किया जावेगा इस हेतु कुल चयनित क्षेत्र का 60 प्रतिशत में जोताई प्रवाधानित किया गया है। परन्तु जहां 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र अधिक हो वहां पर जोताई क्षेत्र अधिक हो सकता है तदानुसार जोताई क्षेत्र का रकबा निर्धारित किया जावे। जहां 10 प्रतिशत से अधिक ढलान हों वहां पर कन्टूर ट्रेंच आदि संरचनाओं का निर्माण किया जावेगा।	24.00	Hact.	10000	रू./हे.		240000.00
	5.2		स्टेकिंग कार्य :–						
	5.2.1	PCCF 1.4.2	3X2 मी. अंतराल में मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु	40000	Pits	3.5	मा.दि./हजार	140	46480.00
							स्टेंकिंग कार्य पर व्यय :–		286480.00
	5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					10000.00
	5.4		गड्ढों की खुदाई						
	5.4.1	PCCF 1.5.2.3	मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु 3x3 मीटर की अंतराल में 60x60x60 से.मी. साईज के कड़ी मिट्टी में गढढा खुदाई कार्य (क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% नरम मुरूमी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया)	40000	Pits	12	मा.दि. /सैकड़ा	4800	1593600.00
	5.4.2	Market Rate	गढढों की 50 प्रतिशत मिट्टी परिवर्तन हेतु उपजाऊ मिट्टी परिवहन – 60x60x60 = 0.216 Cmt.x41908=9052 Cmt/2	4320	Cum	500	रूपये/घ.मी.		2160000.00
							गड्ढे खुदाई कार्य पर व्यय :–		3763600.00
							रोपण उपचार पर व्यय :–		4050080.00

6			भू–जल संरक्षण कार्य – (25 प्रतिशत)						
	6.1		कण्टूर ट्रेंच टी का निर्माण						
	6.1.1	PCCF Rate 4.15.1	सी.सी.टी. खुदाई के लिए A फ्रेम की सहायता से कंटूर लाईन डालना एवं ट्रेच खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (20m.int/h.x100m@500m/Hact) टीप :– स्थल की भौगोलिक संरचना के अनुरूप सी.सी.टी. की लम्बाई का निर्धारण किया जावेगा।	5000	mt	0.15	मा.दि. / से.मी.	3	996.00
	6.1.2	Special Rate PCCF rate 4.15.2 (0.16)	कड़ी मिट्टी में सतत खंती 45 से.मी. x 45 से.मी. माप का खुदाई कर प्राप्त मिट्टी को फैलाना एवं मेढ़ बनाना। (30 से.मी.x 30 से.मी आकार के लिए स्वीकृत दर 0.16 मा.दिवस का डेढ़ गुना दर = 0.25 मा.दि. का दर आकलन किया गया है।	5000	mt	0.12	मा.दि. / मी.	600.0	199200.00
	6.2	PCCF Norms & RES/ PWD SOR	नालों का उपचार यथा लुज बोल्डर चेक डेम, मिट्टी बांध, गेबियन एवं पक्का स्थाई चेकडेम संरचनाओं का निमाण (नालों में ऊपर से नीचे तक का उपचार) नीचे दर्शित संरचनाओं में से जो भी संरचना उपयुक्त हों क्षेत्र के अनुसार बनवाई जावे – लूज बोल्डर चेकडेम, गैबियन संरचना, मिट्टी का बांध पक्का स्थायी चेकडेम डबरी निर्माण						480000.00
			टीप :– क्षेत्र सवेक्षण के दौरान यह निर्णय लिया जावेगा, कि उपरोक्त संरचनाओं में से कौन सी संरचना स्थल विशेष हेकतु उपयुक्त होगा, तदानुसार ही संरचनाओं का चयन कर निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।						
							भू–जल संरक्षण कार्य पर व्यय :–		680196.00
7			सिंचाई सुविधा का विकास प्रति 5 हेक्टर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप की मान से						
	7.1	Special Rate	भू–तल में पानी की जांच हेतु वाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट कराना	8		5000	प्रतिबोर		40000.00
	7.2	Special Rate	बोरवेल खुदाई कार्य कम्पलीट फेंसिंग सहित	8		137500	प्रतिबोर		1100000.00
	7.3	Special Rate	सोलर पंप अथवा विद्युत चलित पंप या डीजल पंप की सपिना मय समस्त उपकरण व पाईप आदि	8		440000	प्रतिपंप		3520000.00
							सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :–		4660000.00
8			क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य						
	8.1		अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनों पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि वानिकी, एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	40.000	Hect.	9960	रूपये / हे.		398400.00
	8.2		आस्था मूलक कार्य – संयुक्त वन प्रबंधन समिति के प्रस्ताव अनुसार	40.000	Hect.	11000	रूपये / हे.		440000.00
	8.3		अग्नि सुरक्षा						
	8.3.1	PCCF rate 5.4.5 & 5.4.6	सम्पूर्ण क्षेत्र को 25–25 है. की सैक्टर में विभाजित कर 3 मी. चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्धारण करना। (80 मी. / हे. की मान से)	3200	Mtr	2.5	मा.दि. / कि.मी.	1	2544.00
	8.4		अन्य व्यय						
	8.4.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोड, गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण / चौकीदार हट का निर्माण	LS					338114.60
	8.4.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	LS					20000.00
							अन्य आकस्मिक व्यय का योगः–		1199058.60
							कुल योगः–		17310599.20
							प्रति हैक्टेयर व्यय :–		432764.98

वन परिक्षेत्र अधिकारी
स.लोहारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
सहसपुर लोहारा

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

क्र.		कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर		कुल मा. दि.	कुल राशि
						मा.दि.	राशि/इकाई		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊचांई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेख तैयार करना ।	40000	No.	1.00	रूपये / नग		40000.00
	1.2	Special Rate	अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनो पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि वानिकी, एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	40.000	Hect	9960.00	रूपये / हे.		398400.00
							पौधें की वृद्धि मापन पर व्यय :–		**438400.00**
2			फेंसिंग कार्य						
	2.1		फेंन्सिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	124.80	Rm.	770.00	रूपये/र.मी.		96096.00
3			जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार						
	3.1		घास उत्पादन एवं उपचार						
	3.1.1	Special Rate	ट्रेक्टर द्वारा अन्तर जोताई दो बार	24	Hact.	4000	रू./हे.		96000.00
	3.1.2	Special Rate	घास बीज बोवाई :– स्थानीय प्रजाति के उपयोगी घास बीज संग्रहण एवं बोवाई कार्य (60 प्रतिशत क्षेत्र)	24	Hact.	5000	रू./हे.		120000.00
	3.1.3	Special Rate	खरपतवार निंदाई :– घास बीज के साथ अनुपयोगी खरपतवार का निंदाई 02 बार (20 मानव दिवस प्रति हेक्टेयर)	24	Hact.	20	मा.दि./हे.	480	159360.00
							जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार अंतर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :–		**471456.00**
4			रोपणी में पौधा तैयार कार्य पर व्यय						
	4.1	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	46000	Plants	22	रू./पौधे		1012000.00
	4.2	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी प्रथम वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	4000	Plants	66	रू./पौधे		264000.00
							रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष व्यय		**1276000.00**
5			रोपण क्षेत्र का उपचार						
	5.1		पौधा परिवहन						
	5.1.1	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों का नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढे तक पहंचाना	46000	Plants	22	रू./पौधे		1012000.00
							पौधा परिवहन पर व्यय :–		**1012000.00**
	5.2		पौधा रोपण						
	5.2.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में (खाद एवं मिट्टी भराई सहित) 3.55 रोपण + 0.45 गड्ढा भराई प्रति मानव दिवस	40000	Plants	4.4	मा.दि. /सैकड़ा	1760	584320.00
							रोपण कार्य पर व्यय :–		**584320.00**
	5.3		रोपण एवं निंदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
	5.3.1		गोबर खाद्य/समिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद्य						
	5.3.1.1	Local Rate	60^3 से.मी. आकार के गड्ढो में मिश्रित एवं फलदार पौधा रोपण हेतु गोबरखाद का क्रय परिवहन सहित(1/4 भाग भरना) 0.60x0.60x0.60=0.216 M^3 का (1/4) = 0.054 M^3	200000	cum	11	रू./घ.मी.		2200000.00

	5.3.2		डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
	5.3.2.1	Local Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में 50 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) के मान से रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय ।	2000	kg	33	रू./किलो		66000.00
	5.3.3		नीम खली का क्रय						
	5.3.3.1	Local Rate	60x60x60 से.मी. आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मान से पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	6000	Kg	44	रू./किलो		264000.00
	5.3.4	Local Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल. प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग।	120	Ltr	1100	रू./लि.		132000.00
	5.3.5		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
	5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय सागौन, मिश्रित एवं फलदार पौधों में प्रति पौधा 50 ग्राम प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर पर क्रय।	6000	Kg	32	रू./किलो		192000.00
	5.3.6	Special Rate	पौधों की अच्छी बढ़त के लिए मिट्टी परीक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाईजर, हार्मोन एवं एन्जाईम का उपयोग।	40000	Plants	10	रू./पौधे		400000.00
							खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :–		**3254000.00**
	5.4		निंदाई कार्य						
	5.4.1	Special Rate	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित	40000	Plants	2	मा.दि. /सैकड़ा	800	265600.00
	5.4.2	Special Rate	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में रापण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	40000	Plants	2	मा.दि. /सैकड़ा	800	265600.00
	5.4.3	PCCF 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रापण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित (तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर भू सतह पर बने केपिलरी टूटने से भूमि सतह की नमी लम्बे समय तक बनी रहीत है इसलिए तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है)	40000	Plants	1.2	मा.दि. /सैकड़ा	480	159360.00
							निंदाई कार्य पर व्यय :–		**690560.00**
							रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :–		**6816880.00**
6			पानी सिंचाई कार्य						
	6.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलार पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 5 हे. 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3X3 मी. की अन्तराल पर लगभग 1 हे. में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भवं को पाया था तदानुसार प्रति पौधा एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
	6.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10	Time	1.820	मा.दि./सैकड़ा	728	241696.00
	6.1.2	Special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	40.000	Hect	8800.000	प्रति.हे0		352000.00
							सिंचाई पर कुल व्यय :–		**593696.00**
7			अन्य कल्चरल आपरेशन						
	7.1	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र – वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिर्रो को खीचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (द्वितीय वर्ष कार्य)	16	Hect	10	मा.दि./ हे.	160	**53120.00**

8			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	8.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	8.2	Special Rate	आस्था मूलक कार्य – संयुक्त वन प्रबंधन समिति के प्रस्ताव अनुसार	40.000	Hect	11000	मा.दि./हे.		440000.00
	8.3		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						126726.40
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल योगः–	**773894.40**
9			सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	9.1		मजदूरी / सामाग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					**378518.00**
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल योगः–	**378518.00**
								योग व्यय :–	**9525964.40**
								प्रति. हैक्टेयर व्यय :–	**238149.11**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
स.लोहारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
स.लोहारा उपवनमण्डल

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

क्र.		कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण, वनों पर निर्भरता कम करने के उपाय कृषि वानिकी, एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	40.000	Hact.	1100	रूपये / हे.		44000.00
	1.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊचांई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना। एवं अभिलेख तैयार करना	40000	Plants	1.50	रूपये / हे.		60000.00
							पौधें की वृद्धि मापन पर व्यय :–		**104000.00**
2			फेंसिंग कार्य						
	2.1	Special Rate	फेन्सिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	249.60	Rm	770	रूपये/र.मी.		192192.00
							फेन्सिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :–		**192192.00**
3			रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
	3.1	Special Rate	30x45 से.मी पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी एवं रखरखाव हेतु द्वितीय वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	4000	Plants	20	रू./पौधे		80000.00
							रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय		**80000.00**
4			रोपण क्षेत्र का उपचार						
	4.1		मृतप्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)						
	4.1.1	PCCF 1.5.2.2	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों के रोपण हेतु गढढा खोदाई 60x60x60 सेमी साईज नरम मिट्टी में।	4000	Pits	10.50	मा.दि. /सैकड़ा	420	139440.00
	4.1.2	Special Rate	पौधों का परिवहन (पॉलीथीन साईज 25x30 से.मी.)	4000	Plants	20.00	रूपये /पौधे		80000.00
	4.1.3	Local Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल. प्रति पौधा की मान से उपयोग	12.00	Ltr	1000.00	रूपये /लिटर		12000.00
	4.1.4	PCCF 4.10.2.3	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर खोदे गए 60x60 सेमी साईज के गड्ढो में शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों का रोपण	4000	Plants	3.55	मा.दि. /सैकड़ा	142	47144.00
							मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :–		**278584.00**
5	5.1		रासायनिक खाद एन.पी.के. का क्रय						
	5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	6000	Kg	30	रू./किलो		180000.00
	5.2.2		वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 200 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 03 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	24000	Kg	10	रू./किलो		240000.00
									420000.00
	5.2		निंदाई कार्य						
	5.2.1	Special Rate	1. प्रथम निंदाई/ गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी जिसके साथ मृत पौधों को बदलना, युरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकर थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहिंत)	40000	Plants	2.00	मा.दि. /सैकड़ा	800	265600.00
	5.2.2	PCCF Norms 4.11.2.2	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	40000	Plants	2.00	मा.दि. /सैकड़ा	800	265600.00
	5.2.3	PCCF 4.11.3.2	3. तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी। (थाला बनवाया जावेगा)	40000	Plants	1.20	मा.दि. /सैकड़ा	480	159360.00
							निंदाई कार्य पर व्यय :–		**690560.00**

6	6.1	Local Rate	दो बार ट्रेक्टर से अंतर जुताई	24	Hact.	4000	रूपये / हे.		96000.00
							रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय		**1485144.00**
7			जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य						
	7.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत) कटूर ट्रेंच की दुरूस्तीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, ग्रबियन, बोल्डर बंड, आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य।	40.000	Hact.	3300	रूपये / हे.		132000.00
							जल संवर्धन कार्य पर व्यय :–		**132000.00**
8			पानी सिंचाई कार्य						
	8.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलार पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 5 हे. 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3X3 मी. की अन्तराल पर लगभग 1 हे. में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भवं को पाया था तदानुसार प्रति 1000 पौधा में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
	8.1.1	Special Rate	माह अप्रेल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	9	Time	1.820	मा.दि./सैकड़ा	728	241696.00
	8.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 15 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10	Time	1.820	मा.दि./सैकड़ा	728	241696.00
	8.1.3	Special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	40.000	Hect	8000	प्रति हे.		320000.00
							सिंचाई पर कुल व्यय :–		**803392.00**
9			अन्य कल्चरल आपरेशन						
	9.1		Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र – वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिर्रो को खीचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (तृतीय वर्ष कार्य)	16	Hect	3	मा.दि./ हे.	48	15936.00
	9.2		एकलीकरण कार्य						
	9.2.1	PCCF Norms1 .2.3	जीवित ठूंठो से निकल मल्टीपल शूटों मे से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	40.000	Hact.	3	मा.दि./हे.	120	39840.00
							अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कॉपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :–		**55776.00**
10			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	10.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	10.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						99377.20
							सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल योगः–		**306545.20**
11			सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	11.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%					232642.00
							दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय		**232642.00**
							योग व्यय :–		**3391691.20**
							प्रति. हैक्टेयर व्यय :–		**84792.28**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
स.लोहारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
स.लोहारा उपवनमण्डल

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा. दि.	कुल राशि
						मा.दि.	राशि/इकाई		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	40000	Plants	1.50	रूपये / पौधा		60000.00
							पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :–		**60000.00**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
		Special Rate	फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	249.60	Rm.	770	रूपये / र.मी.		**192192.00**
3	3.1		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
		Special Rate	रोपणी व्यय – औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी कार्य प्रथम वर्ष (पॉलीथीन साईज 20x30 से.मी.) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधा)	2200	Plants	20	रूपये / पौधा		**44000.00**
4	4.1		रोपण क्षेत्र उपचार						
		PCCF Norms 1.5.1.2	औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु साधारण मिट्टी में गढढा खुदाई कार्य साईज – 45x45x45 cm	2000	Nos.	5	मा.दि./सैकड़ा	100.0	**33200.00**
5	5.1		निंदाई कार्य						
	5.1.1	Special Rate	1.प्रथम निंदाई/गुडाई एक मीटर व्यास में रोपित एवं अंगीकृत दोनों प्रकार के पौधों में की जावेगी जिसके साथ निर्धारित मात्रा में युरिया तथा जैविक खाद डाला जाऐगा। (अर्ध चन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहिंत)	40000	Plants	2	मा.दि./सैकडा	800	265600.00
	5.1.2	PCCF Norms 4.11.2.2	2.द्वितीय निंदाई/गुडाई एक मीटर चौडी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी। एवं थाला बनाया जावेगा (2मा. दि. प्रति सैकडा)	40000	Plants	2	मा.दि./सैकडा	800	265600.00
	5.1.1	Market Rate	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 250 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 500 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	20000	Kg	10	रूप्ये/किलो		200000.00
	5.2.2	Market Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के बडे पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग	4000	Kg	30	रूप्ये/किलो		120000.00
							निंदाई कार्य पर कुल व्यय :–		**851200.00**
							रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :–		**1180592.00**
6									
	6.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत) कण्टूर ट्रेंच की दुरूस्तीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, गेबियन, बोल्डर, बंड, आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य ।	40.000	Hect.	3300	रूपये / हे.		132000.00
			पानी सिंचाई कार्य						
	7.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा । इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा । हरियर छ.ग.कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकडो के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3ग3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था तदानुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी ।						

	7.1.1	Special Rate	माह अप्रेल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	9.00	Time	1.820	मा.दि. /सैकड़ा	728.0	241696.00
	7.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	10.00	Time	1.820	मा.दि. /सैकड़ा	728.0	241696.00
	7.1.3		पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	40.000	Hect.	8000	प्रति/ हे.		320000.00
								पानी सिंचाई पर व्यय –	**935392.00**
			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	8.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिशिचित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	8.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						99710.40
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**306878.40**
9			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	9.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	15%					267628.80
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**267628.80**
								योग व्यय :–	**2690491.2**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**67262.28**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
स.लोहारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
स.लोहारा उपवनमण्डल

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	40000	Plants	1.50	रूपये / पौधा		60000.00
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**60000.00**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
		Special Rate	फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	250	Rm.	770	रूपये / र.मी.		192192.00
3			पानी सिंचाई कार्य						
	3.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा । इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा । हरियर छ.ग.कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकडो के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3ग3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था तदानुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी ।						
	3.1.1	Special Rate	माह अप्रेल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	6.00	Time	1.820	मा.दि. /सैकड़ा	728.0	241696.00
	3.1.2		पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	40.000	Hect.	8000	प्रति/ हे.		320000.00
								पानी सिंचाई पर व्यय –	**753888.00**
4	3.1		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
		Special Rate	रोपणी व्यय – औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी कार्य द्वितीय वर्ष (पॉलीथीन साईज 20x30 से.मी.) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधा)	2200	Plants	10	रूपये / पौधा		22000.00
								रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :–	**22000.00**
4	4.1		रोपण क्षेत्र उपचार						
	4.1	Special Rate	रोपण हेतु औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों का परिवहन	2000	Plants	6	रूपये/पौधा		12000.00
	4.1.1	Special Rate	औषधि प्रजाति के झाड़ी एवं बेला प्रजाति के पौधों का रोपण खाद डलाई सहिंत	2000	Plants	3	मा.दि./सैकड़ा	60.0	19920.00
	4.1.2	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग ।	6	Kg.	1000	रूपये / किलो		6000.00
	4.1.3	Special Rate	प्रथम निंदाई कार्य	2000	Plants	2	मा.दि./सैकड़ा	40.0	11960.00
	4.1.4	PCCF Norms 4.11.2.2	द्वितीय निंदाई कार्य	2000	Plants	2	मा.दि./सैकड़ा	40.0	11960.00
	4.1.5	PCCF Norms 4.11.3.2	तृतीय निंदाई कार्य	2000	Plants	1.20	मा.दि./सैकड़ा	40.0	11960.00
	4.1.6	Market Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पौधा के मान से	300	Kg.	30.00	रूपये / किलो		9000.00

	4.1.7	Market Rate	वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 200 ग्राम प्रति पौधा निदांई के समय 03 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	1200	Kg.	10.00	रूपये / किलो		12000.00
								रोपण क्षेत्र उपचार :–	**94800.00**
5			जल संवर्धन						
	5.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	40.000	Hect.	2200	रूपये / हे.		88000.00
								जल संवर्धन कार्य पर व्यय :–	**88000.00**
6			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	6.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि. / माह	624	207168.00
	6.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत / निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						65572.40
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**272740.40**
7			सामाग्री / मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	7.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	20%					101907.22
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**101907.22**
								योग व्यय :–	**1393335.6**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**34833.39**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
स.लोहारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
स.लोहारा उपवनमण्डल

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	40000	Plants	1.50	रूपये / पौधा		60000.00
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**60000.00**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	250	Rm.	770	रूपये / रमी.		192192.00
3			रोपण क्षेत्र उपचार						
	3.1		निंदाई						
	3.1.1	Special Rate	1.प्रथम निंदाई/गुडाई एक मीटर व्यास में रोपित पौधों में युरिया तथा जैविक खाद डाला जाऐगा। (अर्ध चन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहिंत)	2000	Plants	2	मा.दि./सैकडा	40	13280.00
	3.1.2	PCCF Norms 4.11.2.2	2.द्वितीय निंदाई/गुडाई एक मीटर चौडी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी। एवं थाला बनाया जावेगा (2मा. दि. प्रति सैकडा)	2000	Plants	2	मा.दि./सैकडा	40	13280.00
	3.2		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
	3.2.1	Local Rate	एन.पी.के.का उपयोग निंदाई के समय औषधि प्रजाति के झाडी एवं बेला प्रजाति के पौधों में प्रति पौधा 25 ग्राम प्रति निंदाई उपयोग हेतु कुल 50 ग्राम के मान से क्रय	100	Kg.	30	रूपये / किलो		3000.00
	3.2.2	Market Rate	वर्मी काम्पोस्ट खाद क्रय 100 ग्राम प्रति पौघा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 200 ग्राम प्रति पौघा के मान से क्रय	400	Kg.	10	रूपये / किलो		4000.00
								निंदाई पर व्यय	**33560.00**
4									
	4.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	40.000	Hect.	2200	रूपये / हे.		88000.00
5	5.1		कटाई सफाई कार्य						
	5.1.1	PCCF Rate 1.2.4	जीवित ठूंठों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	40.000	Hect.	3	मा.दि./हे0	120	39840.00
								अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत क्लिनिंग कार्य पर व्यय :–	**127840.00**
6			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	6.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिशिचित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	6.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						65290.70
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**272458.70**
7			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	7.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	25%					162938.10
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**162938.10**
								योग व्यय :–	**848988.8**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**21224.72**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
स.लोहारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
स.लोहारा उपवनमण्डल

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा. दि.	कुल राशि
						मा.दि.	राशि / इकाई		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	40000	Plants	1.50	रूपये / पौधा		60000.00
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**60000.00**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	250	Rm.	770	रूपये / र.मी.		192192.00
								फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :–	**192192.00**
3	3.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	40.000	Hect.	2200	रूपये / हे.		88000.00
								जल संवर्धन कार्य पर व्यय :–	**88000.00**
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि. / माह	624	207168.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत / निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						66041.30
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**273209.30**
5			सामाग्री / मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	30%					174387.50
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**174387.50**
								योग व्यय :–	**787788.8**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**19694.72**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
स.लोहारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
स.लोहारा उपवनमण्डल

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	40000	Plants	1.50	रूपये / पौधा		60000.00
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**60000.00**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	250	Rm.	770	रूपये / र.मी.		192192.00
3	3.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (10 प्रतिशत)	40.000	Hect.	2200	रूपये / हे.		88000.00
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						64293.80
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**271461.80**
5			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	35%					163415.00
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**163415.00**
								योग व्यय :–	**775068.8**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**19376.72**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
स.लोहारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
स.लोहारा उपवनमण्डल

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	40000	x	1.50	रूपये / पौधा		60000.00
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**60000.00**
2	2.1		फेंसिंग कार्य						
			फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	250	Rm.	770	रूपये / र.मी.		192192.00
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**192192.00**
3	3.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत)	40.000	Hect.	3300	रूपये / हे.		132000.00
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**132000.00**
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						84231.00
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**291399.00**
5			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	40%					286917.00
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**286917.00**
								योग व्यय :–	**962508.0**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**24062.70**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
स.लोहारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
स.लोहारा उपवनमण्डल

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

क्र.		कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल मा. दि.	कुल राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1			अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण						
	1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :– रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जन. अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	40000	Plants	1.50	रूपये / पौधा		60000.00
								अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर व्यय :–	**60000.00**
2	2.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (5 प्रतिशत)	40.000	Hect.	1100	रूपये / हे.		**44000.00**
3	3.1	Special Rate	दश वर्षीय थिनिंग कार्य :– रोपण के दसवें वर्ष में सागरिया फार्मुला के तहत् स्वस्थ पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौघों की गणना कर औसत गोलाई के दस गुना अन्तराल पर स्वस्थ पौधों की कटाई की जावेगी । इससे पौघों को बढाने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा ।	40.000	Hect.	25	रूपये / हे.	1000	332000.00
								अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत् रोपित पौधों में दस वर्षीय थिनिंग कार्य :–	**332000.00**
4			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 02 श्रमिक प्रति माह ..... नोट :– सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वार लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावें। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	2	12	26	मा.दि./माह	624	207168.00
	4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						58766.40
								सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :–	**265934.40**
5			सामाग्री/मजदूरी दारों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	45%					278274.40
								दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :–	**278274.40**
								योग व्यय :–	**980208.8**
								प्रति हेक्टेयर व्यय	**24505.22**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
स.लोहारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
स.लोहारा उपवनमण्डल

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

गोश्वारा				
क	वर्ष	रकबा (हे.)	प्रति हे. दर	राशि
1	प्रथम वर्ष (2023–24)	40	432764.98	17310599.20
2	द्वितीय वर्ष (2024–25)	40	238149.11	9525964.40
3	तृतीय वर्ष (2025–26)	40	84792.28	3391691.20
4	चतुर्थ वर्ष (2026–27)	40	67262.28	2690491.20
5	पंचम वर्ष (2027–28)	40	34833.39	1393335.62
6	षष्ठम वर्ष (2028–29)	40	21224.72	848988.80
7	सप्तम वर्ष (2029–30)	40	19694.72	787788.80
8	अष्ठम वर्ष (2030–31)	40	19376.72	775068.80
9	नवम वर्ष (2031–32)	40	24062.70	962508.00
10	दसम वर्ष (2032–33)	40	24505.22	980208.80
	योग –	**40**	**966666**	**38666644.82**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
स.लोहारा परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी
स.लोहारा उपवनमण्डल

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

वन प्रबंधन समिति का प्रस्ताव

आज दिनांक..... को संयुक्त वन प्रबंधन समिति तेलीटोला की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ए.पी.ओ. वर्ष 2023–24 में कक्ष क्रमांक 265 रकबा 40.00 हेक्टेयर क्षेत्र में राज्य कैम्पा मद अंतर्गत क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण किये जाने हेतु राशि **38666645/-** की स्वीकृति प्राप्त होने की जानकारी प्रदान की गई उक्त प्रस्तावित स्थल पर वृक्षारोपण कार्य कराये जाने पर समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समिति सदस्यों को किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

क्र.	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समिति सदस्यों का नाम	हस्ताक्षर
1	श्री रामकुमार साहू बल गजराज - तेलीटोला	रामकुमार साहू
2	सौखीराम साहू व. रमेसर	सौखीराम
3	सोनलाल व- रामदयाल	सोनलाल
4	नारायण साहू व. जरहूराम	नारायण साहू
5	दानूराम व. प्रेमलाल साहू	दानूराम
6	प्रताप साहू व. सुन्दर	प्रताप साहू
7	नरेश साहू व- जरहूराम	नरेश साहू
8	मंगल व- डुरहू साहू	मंगल
9	बालकरन व. रामलाल	बालकरन
10	नरबाऊ साहू व. रामलाल	[illegible]
11	जगेसर व. डेरहाराम वर्मा	जगेसर
12		

परिसर रक्षक
मोहनपुर उत्तर

सहायक परियोजना अधिकारी
मोहनपुर

परिक्षेत्र सहायक एवं परिसर रक्षक का प्रमाण पत्र

कक्ष क्रमांक **265** कक्ष का कुल रकबा **179.770** हे. प्रस्तावित रकबा **40.000** हे. परिसर मोहनपुर उत्तर में क्षतिपूर्ति अंतर्गत सिंचित वृक्षारोपण का कार्य किया जाना है उक्त प्रस्तावित कक्ष में प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में कोई वृक्षारोपण का कार्य नही कराया गया है
2. उक्त प्रस्तावित क्षेत्र किसी अन्य योजना में प्रस्तावित नही किया गया है।
3. उक्त प्रस्तावित क्षेत्र सामुदायिक/व्यक्गित वन अधिकार/सामुदायिक वन संसाधन पत्र हेतु प्रदाय नही किया गया है।
4. उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है।

सहायक परिक्षेत्र अधिकारी,
मोहनपुर

परिसर रक्षक
मोहनपुर उत्तर

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण–पत्र

मैं **अनुराग वर्मा** परिक्षेत्र अधिकारी **–सहसपुर लोहारा** परिक्षेत्र–**सहसपुर लोहारा** वनमण्डल– **कवर्धा वनमण्डल कवर्धा** प्रमाणित करता हूं कि **राज्य कैम्पा मद अंतर्गत सिंचित मिश्रित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण** कक्ष क्रमांक **265** प्रस्तावित रकबा **40.000** हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये तथ्यो का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यो का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी/वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूं।

हस्ताक्षर

नाम – अनुराग वर्मा
परिक्षेत्र अधिकारी सहसपुर लोहारा

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण–पत्र

मैं **अनिल कुमार साहू** उपवनमण्डलाधिकारी **–सहसपुर लोहारा** उपवनमण्डल –**सहसपुर लोहारा** वनमण्डल– **कवर्धा वनमण्डल कवर्धा** प्रमाणित करता हूं कि **राज्य कैम्पा मद अंतर्गत सिंचित मिश्रित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण** कक्ष क्रमांक **265** प्रस्तावित रकबा **40.000** हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये तथ्यो का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यो का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी/वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूं।

हस्ताक्षर

नाम – अनिल कुमार साहू
उपवनमण्डलाधिकारी सहसपुर लोहारा

परियोजना का उद्देश्य

वन परिक्षेत्र सहसपुर लोहारा अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक वृत्त मोहनपुर के वन परिसर मोहनपुर उत्तर के कक्ष क्रमांक **265** का कुल रकबा **179.770** हे. में से **40.000** हे. क्षेत्र में राज्य कैम्पा मद अंतर्गत क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है उक्त क्षेत्र में मिश्रित एवं बहुमुल्य प्रजाति के छोटे पौधो का संरक्षण किया जावेगा। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य हरियाली प्रसार एवं वन आवरण को बढ़ाना भूनिमार्ण, भूमिसुधार, भू–क्षरण का रोकथाम एवं पर्यावरण सुधार, जलस्तर में वृद्धि, पुनरोत्पादन में वृद्धि एवं ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सहसपुर लोहारा

क्षतिपूर्ति अंतर्गत सिंचित वृक्षारोपण कार्य का प्रतिफल

वन परिक्षेत्र सहसपुर लोहारा अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक वृत्त मोहनपुर के वन परिसर मोहनपुर उत्तर के कक्ष क्रमांक **265** का कुल रकबा **179.770** हे. में से **40.000** हे. क्षेत्र में राज्य कैम्पा मद अंतर्गत क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण किए जाने से हरियाली प्रसार में वृद्धि होगी एवं आसपास से लोगों को स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा साथ ही आसपास के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सहसपुर लोहारा

स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खदान हेतु प्रभावित हो रही 43.942 हेक्टेयर वनभूमि के विरूद्व कवर्धा वनमंडल के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण (सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण) कार्य के लिये निम्नानुसार बिगड़े वनभूमि उपयुक्त पाया गया है :–

वृत्त का नाम	दुर्ग वृत्त दुर्ग
वनमंडल का नाम	कवर्धा
उप वनमंडल का नाम	सहसपुर लोहारा
परिक्षेत्र का नाम	सहसपुर लोहारा
उप परिक्षेत्र का नाम	मोहनपुर
परिसर का नाम	मोहनपुर उत्तर
वनखण्ड	तेलीपारा
पातन श्रेणी	धामिनडीह
कक्ष क्रमांक	265
कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	179.770 हे.
उपचारित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	40.00 हे.
स्थल गुण श्रेणी	चतुर्थ अ
स्थल के मान से वन का घनत्व	0.1 से 0.2
प्रस्तावित कार्य का प्रकार	क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण कार्य

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित की जाने वाली वनभूमि/राजस्व वनभूमि के विरूद्व उक्त वनकक्षों की बिगड़े वनभूमि जिसका घनत्व 0.4 से कम है, क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये उपयुक्त है। यह कार्य से कार्य आयोजना के प्रावधानों का उल्लघंन नही होगा। तथा वनक्षेत्र को अतिक्रमण से बचाया जा सकता हैं

परिक्षेत्र अधिकारी
सहसपुर लोहारा

उपवनमण्डलाधिकारी
सहसपुर लोहारा

GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF COMPENSATORY AFFORESTATION (CA) FOREST LAND (AREA-40.000 HA) AT KAWARDHA DIVISION FOR KUSMUNDA OCP, KUSMUNDA AREA, SECL

1.0 Introduction

A proposal for DGPS survey of 40.000-hectare compensatory afforestation (CA) forest land at Kawardha division has been received in CMPDIL through e-office along with details of forest land allotted by forest department duly forwarded through General Manager, kusmunda Area, South Eastern Coalfields Limited (SECL) vide letter SECL/GM/KA/22-23/249 dated 15-12-2022. As per annual action plan for the year 2022-2023(CMPDI/RI-5/EXPL/2022-23/03 Dated 01-04-2022) DGPS survey of forest land is to be taken up by CMPDIL.

As per work order No.SECL/GM/KA/22-23/249 dated 15-12-2022 the CA land (Area-40.000 Ha) for 43.942 Ha revenue forest land proposal of Kusmunda OCP has been identified at Sahaspur Lohara Range, Kawardha Forest Division.

Colliery authorities identified the patch on the ground with the help of forest officials.DGPS survey has been carried out at selected ground locations identified by forest personnel as per requirement.

DGPS report containing geo-referenced boundary map and shape files in projected and geographical coordinate system is submitted herewith. A geo-referenced boundary map in 1:5000 scale and corresponding KML files are also enclosed herewith in order to facilitate SECL to apply through online application portal PARIVESH.

Soft copies of the map and shape files are given in CD for further necessary action by SECL.Relevant documents are given as annexures in this report.
The following table shows the land schedule of the proposed Compensatory Afforestation (CA) Forest Land.

Land Schedule of Compensatory Afforestation(CA) Forest Land					
SL. NO.	Division	Sub _Division	Range	Comp	Area(HA)
1	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	P265	40.000
				Total Area	40.000

2.0 Background

Electricity is a very important commodity that cannot be dispensed for the modern lifestyle of people and communities worldwide. India being a growing economy is not an exception. Electricity produced through thermal power stations meets about seventy percentage of total electricity requirement of our country. Coal plays a vital role in these thermal power stations. With growing concern for increasing power production, the thrust is on increasing production on coal producing companies, such as SECL.

Coal demand for other industrial and domestic consumption has also increased over the years. Coal producing companies, in general, are always required to mine more coal through open cast and underground coal mines in order to meet the coal demand by thermal power stations.

Coal producing companies are left with only two options. Either they should open new coal mines or increase the capacity of existing mines. While it is not very easy to open up new coal mines, the only option left is to expand the existing mines in terms of its capacity or in terms of physical extent of the existing mine.

In most of the mining lease hold areas it is observed that the coal bearing area is falling in forest areas that has been left out for want of forestry clearance. These forest lands are categorized into the following three types:

- Reserved Forest
- Protected Forest
- Revenue Forest

In order to carry out mining activities in these forest lands, forest clearance is required to obtain from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEFCC).

To check irrational exploitation of forest and to maintain the ecological balance, Forest Conservation Act (FRA), 1980 has been enacted. Under this act, no forest land can be used for non-forestry purpose without prior approval from the ministry.

For getting forest clearance from MOEFCC the coal producing companies are required to apply through recently updated web portal called "Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-Window Hub (PARIVESH)" which is a web based, role-based workflow application that has been developed for online submission and monitoring of proposals submitted by the proponents for seeking environment, forest, wildlife, and CRZ clearances from central state and district level authorities.

It automates the entire tracking of proposals which includes online submission of a new proposal, editing/updating the details of proposals and displays status of the proposals at each stage of the workflow.

The procedure for forest clearance envisaged under the act mandates a two-stage approval process consisting of two stages:

- **Stage I**

Upon prima facie review the proposal is either accepted or rejected. If approved, the project authority is required to deposit an amount for compensation of the opportunity cost of the forest (NPV, compensatory afforestation, additional expenses towards mitigating probable environmental damage etc.)

- **Stage II**

Following the deposit of above-mentioned costs, the land is handed over to the project authorities provided they have obtained all other requisite clearances.

Reserve forest boundaries are generally marked on the ground with large forest pillars while the boundaries of protected forests are marked on the ground with trenches, fencing and other markings.

As per the circular of MOEFCC, one of the pre-requisites for getting forestry clearance is a geo-referenced boundary map in shape file format of the desired forest land.

3.0 Location

The salient points of CA forest land identified for this project are located in Sahaspur-Lohara, District-Kawardha, Chhattisgarh.Nearest Township is Lohara.

4.0 Scope of Services

The scope of services of CMPDIL to provide Geo-referenced boundary map (in shape files and pdf format), converted geographical coordinates of forest boundary after making DGPS observation at salient points and KML files etc.

5.0 Methodology

Static DGPS (Differential Global Positioning System) survey is appropriate for determining geographical co-ordinates of forest boundary.

The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based location, timing and navigation system in all weather conditions, anywhere on or near the Earth where there is an unobstructed line of sight to four or more GPS satellites. Presently, 30 orbiting satellites of GPS constellation of USA and 24 GLONASS (*Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema* or Global Navigation Satellite System) satellites of Russia are operational for the purpose of GPS survey.

In addition to these primary GPS constellation, European space agency and Chinese have their own constellation such as Galileo and BeiDou respectively.

India's prestigious GAGAN (GPS Aided Geo Augmented Navigation (GAGAN) system) navigation system is also presently operational providing vital positional information to civil aviation and other industries.

The Global Positioning System is a system of communication made up of three independent aspects such as:

- GPS satellites orbiting the Earth;
- Control and monitoring stations on Earth;
- GPS receivers owned by users.

GPS satellites transmit the satellites number, its position in space, and the exact time. These informations are sent through the transmitted signals at regular intervals by all the satellites are all times.

These signals are picked up by various types of GPS receivers on ground. With signals from three or more satellites, a GPS receiver can triangulate its location on the ground (i.e., longitude and latitude) from the known position of the satellites. With four or more satellites, a GPS receiver can determine a 3D position (i.e., latitude, longitude, and ellipsoidal height).Differential Global Positioning System (DGPS) refers to using two or more GPS receivers to achieve greater positional accuracy. There are three basic methods of doing DGPS survey.

- Static
- Rapid-Static
- Real-time Kinematic (RTK).

For doing DGPS survey of forest land, post-processed static survey is found to be most suitable where one GPS receiver is used as base station and other GPS receivers are used as rover stations. Base receiver is stationed at a point of known co-ordinates for longer duration and rover stations are kept at unknown stations for comparatively shorter duration. DGPS observation is done in each rover stations for compensatory afforestation.

Data from base and rovers are downloaded and then post-processed in GPS data processing software, Leica infinity to achieve sub-centimeter level accuracies.

ArcGIS 10.2 version software is used for preparation of shape files, KML file and geo-referenced map of the forest land in WGS-84 co-ordinates.

6.0 Survey Instrument

For providing geographical (spherical) co-ordinates of the stations along the boundary, Differential Global Positioning System (DGPS) consisting of one base receiver and a rover receiver were used. CMPDIL has the latest hardware and software of Leica make DGPS instrument which has dual-frequency GPS signal receivers that provide accurate results after post processing in relevant software. Brief specifications of DGPS are provided in the table below.

A	***DGPS Instrument:***	
	Make	Leica
	Model	GS25 & GS16
	Signal	GPS: L1, L2&L5 carrier, CA, L1P, L2P, L2C GLONASS: L1, L2&L5 carrier, L1CA, L2CA, L1P, L2P GALILEO: E2-L1-E1, E5, E6
	Channels	72
	Accuracy:	sub-centimeter
	Post Processed Static DGPS	3mm +0.5ppm horizontal, 5mm + 0.5ppm vertical
	Real Time RTK	10mm + 1 ppm horizontal, 15mm + 1 ppm vertical
	Power:	
	Internal Battery	2 Li-Ion, 3900mAh, 7.2V
	Communication:	
	Bluetooth	Bluetooth standard 1.2
	USB	1.1 Version
B	***DGPS Software***	Inbuilt Leica software for data recording
		Leica infinity for data processing

7.0 Details of Field Activity

DGPS survey has been carried out in ground locations identified by forest authorities in the presence of kusmunda colliery authority. The following table Showing Details of DGPS Survey Point (WGS84).

Point Id	Instrument	Latitude(DMS)	Longitude(DMS)
P265/01	DGPS	21° 52' 3.326" N	81° 0' 29.688" E
P265/02	DGPS	21° 52' 3.556" N	81° 0' 25.673" E
P265/03	DGPS	21° 52' 8.051" N	81° 0' 30.641" E
P265/04	DGPS	21° 52' 12.171" N	81° 0' 34.925" E
P265/05	DGPS	21° 52' 23.423" N	81° 0' 9.961" E
P265/06	DGPS	21° 52' 3.180" N	81° 0' 9.824" E
P265/07	DGPS	21° 51' 58.025" N	81° 0' 28.976" E
P265/08	DGPS	21° 52' 0.424" N	81° 0' 29.199" E
P265/09	DGPS	21° 52' 1.468" N	81° 0' 29.559" E

8.0 Computation

Data recorded is downloaded from both rover and base receivers of DGPS and processed in Leica infinity software to get post-processed WGS-84 co-ordinates. The geographical co-ordinates of the forest land (CA) are tabulated below.

TABLE-I
GEOGRAPHICAL COORDINATES (WGS-84)
40.000 HA FOREST LAND (CA)
KUSMUNDA OCP, KUSMUNDA AREA, SECL

FID	Comp	Division	Sub Division	Range	Latitude (WGS84)	Longitude (WGS84)
0	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 8.911" N	81° 0' 26.792" E
1	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 6.096" N	81° 0' 26.104" E
2	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 3.571" N	81° 0' 25.656" E
3	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 3.341" N	81° 0' 29.671" E
4	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 1.483" N	81° 0' 29.542" E
5	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 0.438" N	81° 0' 29.182" E
6	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 51' 58.040" N	81° 0' 28.958" E
7	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 3.195" N	81° 0' 9.807" E
8	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 4.138" N	81° 0' 4.075" E
9	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 51' 59.249" N	81° 0' 2.293" E
10	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 51' 58.161" N	81° 0' 0.877" E
11	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 0.905" N	80° 59' 56.230" E
12	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 8.938" N	80° 59' 56.928" E
13	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 9.852" N	80° 59' 57.012" E
14	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 8.207" N	81° 0' 5.768" E
15	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 7.611" N	81° 0' 8.518" E
16	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 6.385" N	81° 0' 8.486" E
17	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 4.768" N	81° 0' 12.423" E
18	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 15.895" N	81° 0' 12.691" E
19	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 16.643" N	81° 0' 10.117" E

FID	Comp	Division	Sub Division	Range	Latitude (WGS84)	Longitude (WGS84)
20	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 23.437" N	81° 0' 9.944" E
21	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 19.260" N	81° 0' 19.213" E
22	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 21.656" N	81° 0' 22.380" E
23	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 21.732" N	81° 0' 23.235" E
24	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 21.595" N	81° 0' 24.121" E
25	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 12.186" N	81° 0' 34.908" E
26	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 9.534" N	81° 0' 27.076" E
27	P265	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	21° 52' 8.911" N	81° 0' 26.792" E

9.0 Documents Submitted

- Drawing Number: CMPDI/RI5/BSP/GEOM/2022/DGPS/89
- Soft copy of shape files & KML files in CD.

DISCLAIMER:

1. DGPS REPORT IS BASED ON SURVEY DATA.
2. DGPS REPORT IS FOR FOREST LAND (CA) APPLICATION ONLY & NOT VALID FOR ANY OTHER PURPOSE
3. CMPDIL IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY FUTURE DISPUTE WITH RESPECT TO FOREST LAND DETAILS.

****

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सहसपुर लोहारा

उप वनमंडल अधिकारी
स.लोहारा

Divisional Forest Officer
Kawardha Division

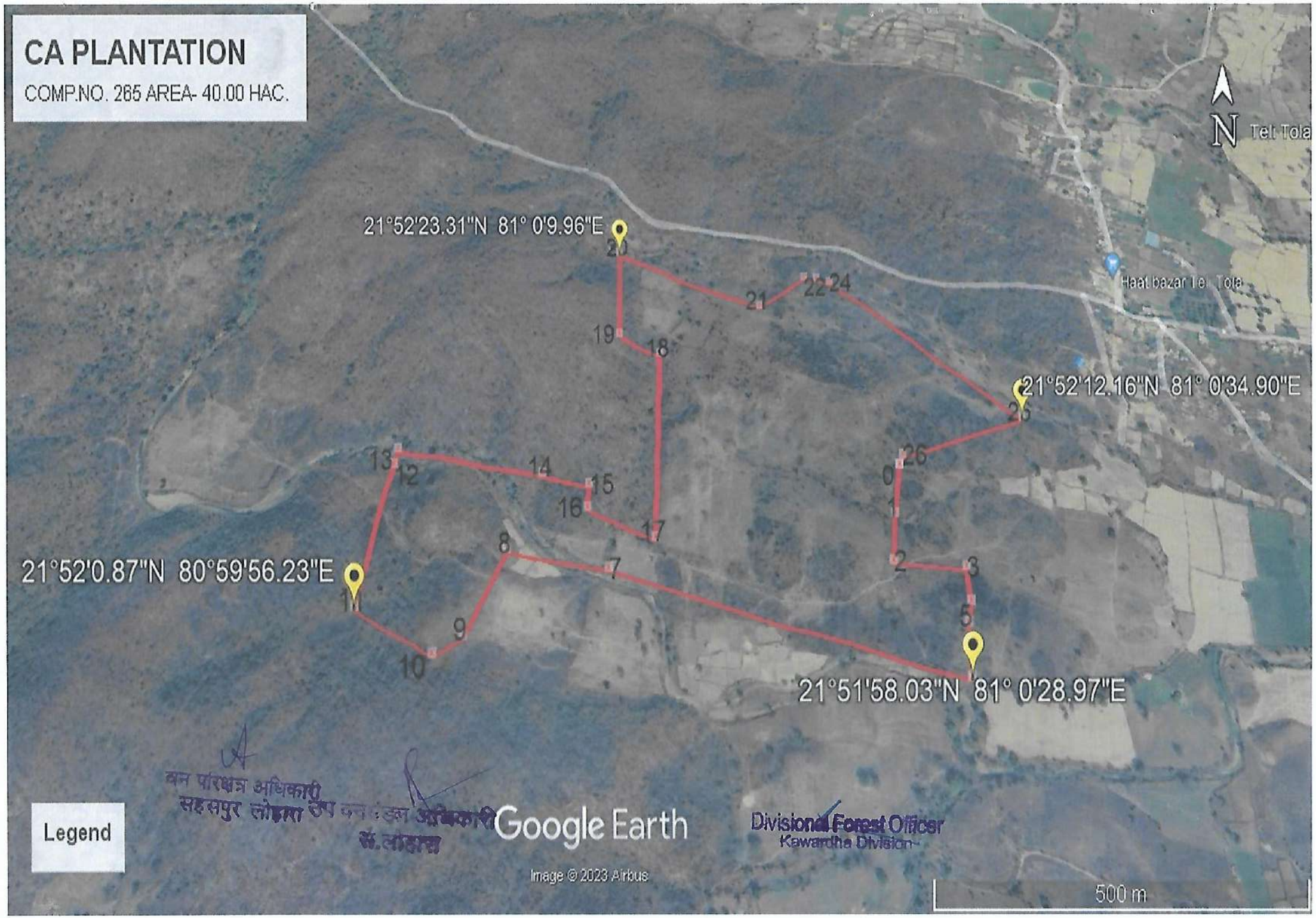

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सहसपुर लोहारा उप वन मंडल अधिकारी
सं.लोहारा

Divisional Forest Officer
Kawardha Division

GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF CA (COMPENSATORY AFFORESTATION)
FOREST LAND AT KAWARDHA FOREST DIVISION
COMPARTMENT – P265 (40.000 Ha)

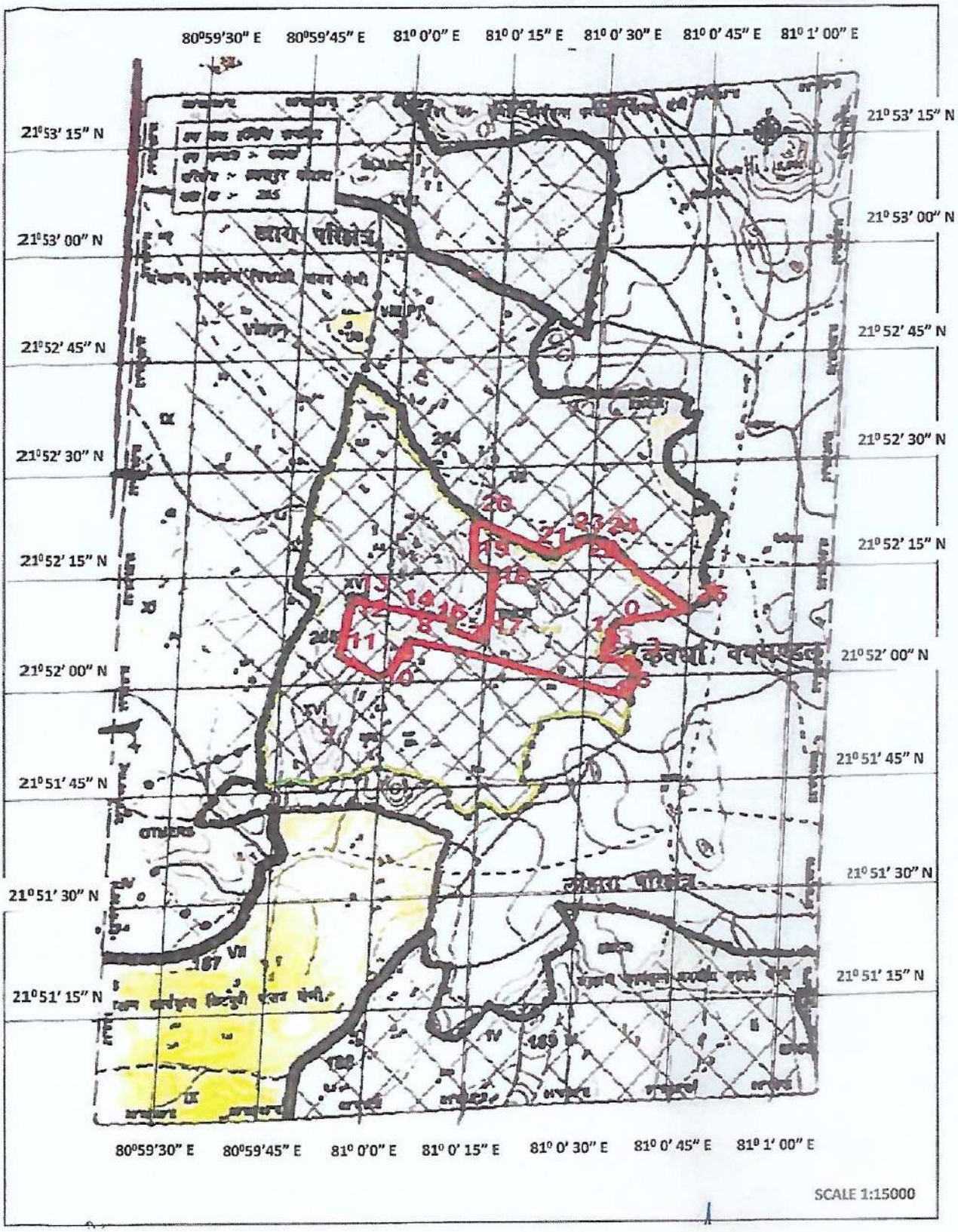

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सहसपुर लोहारा

उप वनमंडल अधिकारी
स.लोहारा

Divisional Forest Officer
Kawardha Division

80°59'45"E 81°0'0"E 81°0'15"E 81°0'30"E

GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF CA(COMPENSATORY AFFORESTATION)FOREST LAND AT KAWARDHA DIVISION (COMPARTMENT NO-P265(Area-40.000Ha)

21°52'15"N

21°52'0"N

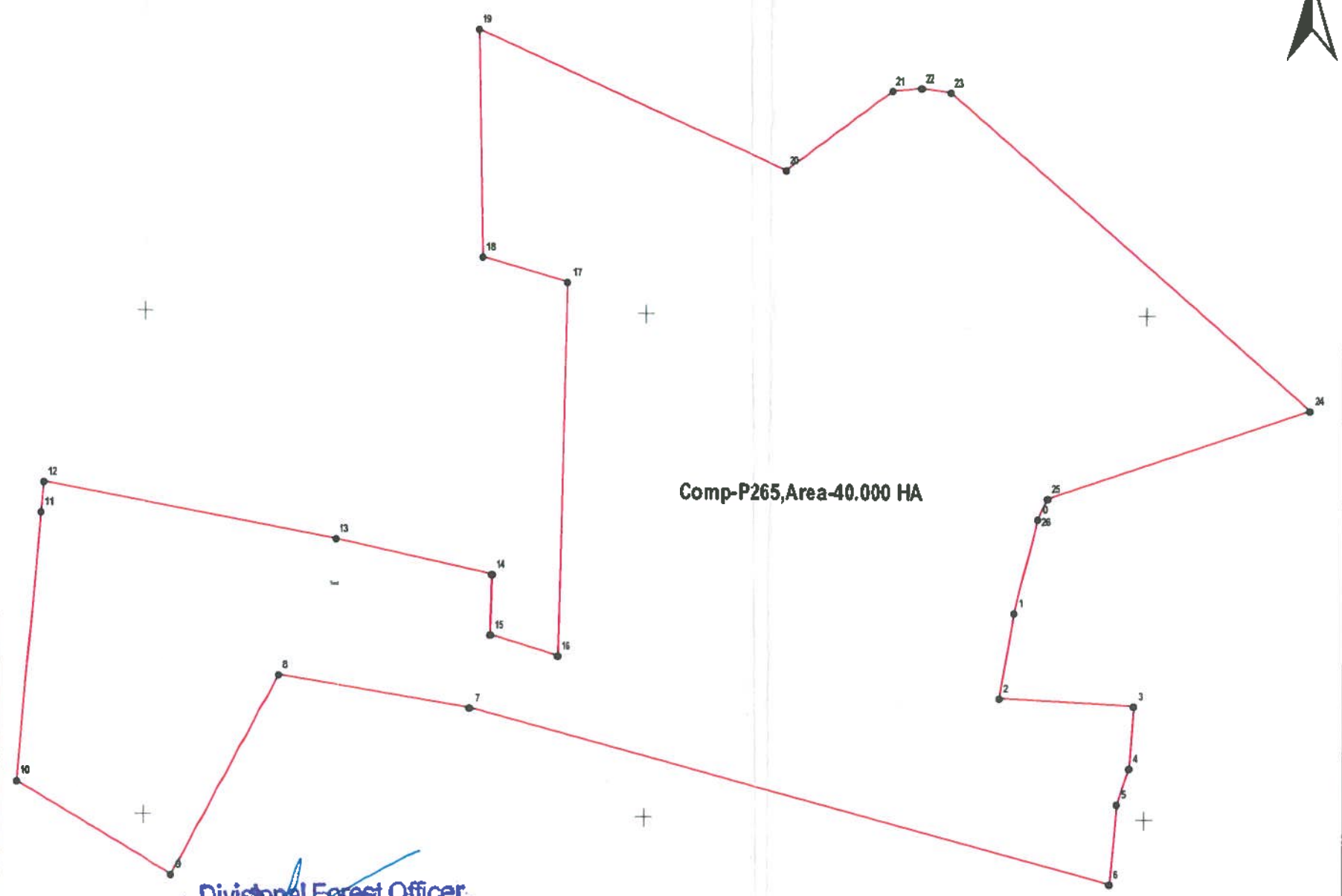

FID	Division	Sub_Division	Range	Area (HA)	Compartment	Latitude (WGS84)	Longitude (WGS84)
0	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 8.911" N	81° 0' 26.792" E
1	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 6.096" N	81° 0' 26.104" E
2	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 3.571" N	81° 0' 25.656" E
3	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 3.341" N	81° 0' 29.671" E
4	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 1.483" N	81° 0' 29.542" E
5	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 0.438" N	81° 0' 29.182" E
6	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 51' 58.040" N	81° 0' 28.958" E
7	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 3.195" N	81° 0' 9.807" E
8	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 4.138" N	81° 0' 4.075" E
9	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 51' 58.161" N	81° 0' 0.877" E
10	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 0.905" N	80° 59' 56.230" E
11	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 8.938" N	80° 59' 56.928" E
12	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 9.852" N	80° 59' 57.012" E
13	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 8.207" N	81° 0' 5.768" E
14	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 7.196" N	81° 0' 10.438" E
15	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 5.351" N	81° 0' 10.406" E
16	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 4.768" N	81° 0' 12.423" E
17	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 15.895" N	81° 0' 12.691" E
18	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 16.643" N	81° 0' 10.117" E
19	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 23.437" N	81° 0' 9.944" E
20	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 19.260" N	81° 0' 19.213" E
21	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 21.656" N	81° 0' 22.380" E
22	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 21.732" N	81° 0' 23.235" E
23	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 21.595" N	81° 0' 24.121" E
24	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 12.186" N	81° 0' 34.908" E
25	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 9.534" N	81° 0' 27.076" E
26	Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	40.000	P265	21° 52' 8.911" N	81° 0' 26.792" E

Land Schedule of Compartment No P-265

Division	Sub_Division	Range	Comp	Area(HA)
Kawardha	Sahaspur Lohara	Sahaspur Lohara	P265	40.000
				40.000

Divisional Forest Officer
Kawardha Division Kawardha

उप वनमंडलाधिकारी
स./लोहारा

उप परिक्षेत्र अधिकारी
स./लोहारा

पर्यवेक्षण अधिकारी
एस.ई.सी.एल., कुसमुण्डा क्षेत्र,

Coordinate System: GCS WGS 1984
Datum: WGS 1984
Units: Degree

Customer	SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED				
Project	GEO-REFERENCED BOUNDARY MAP (IN SHAPE FILE) OF CA (COMPENSATORY AFFORESTATION)FOREST LAND AT KAWARDHA DIVISION			Job Number	502306
Subject	Activity	Name	Designation	Signature	Date
PLAN SHOWING OF CA (COMPENSATORY AFFORESTATION) FOREST LAND COMPARTMENT NO-P265 (AREA-40.000 HA) AGAINST 43.942 HA REVEN JE FOREST LAND FOR KUSMUNDA OCP OF KUSMUNDA AREA(SECL)	Surveyed	Madhusudan Banik	Sr.Surveyor (C)		
	Approved	Sudhanshu Mishra	Chief Manager (Mining)		
cmpdi	Scale 0 25 50 100 M	1:5,000		Sheet	1
	Dwg CMPDI/R15/BSP/GEOM/2023/DGPS/89			Rev No.	0

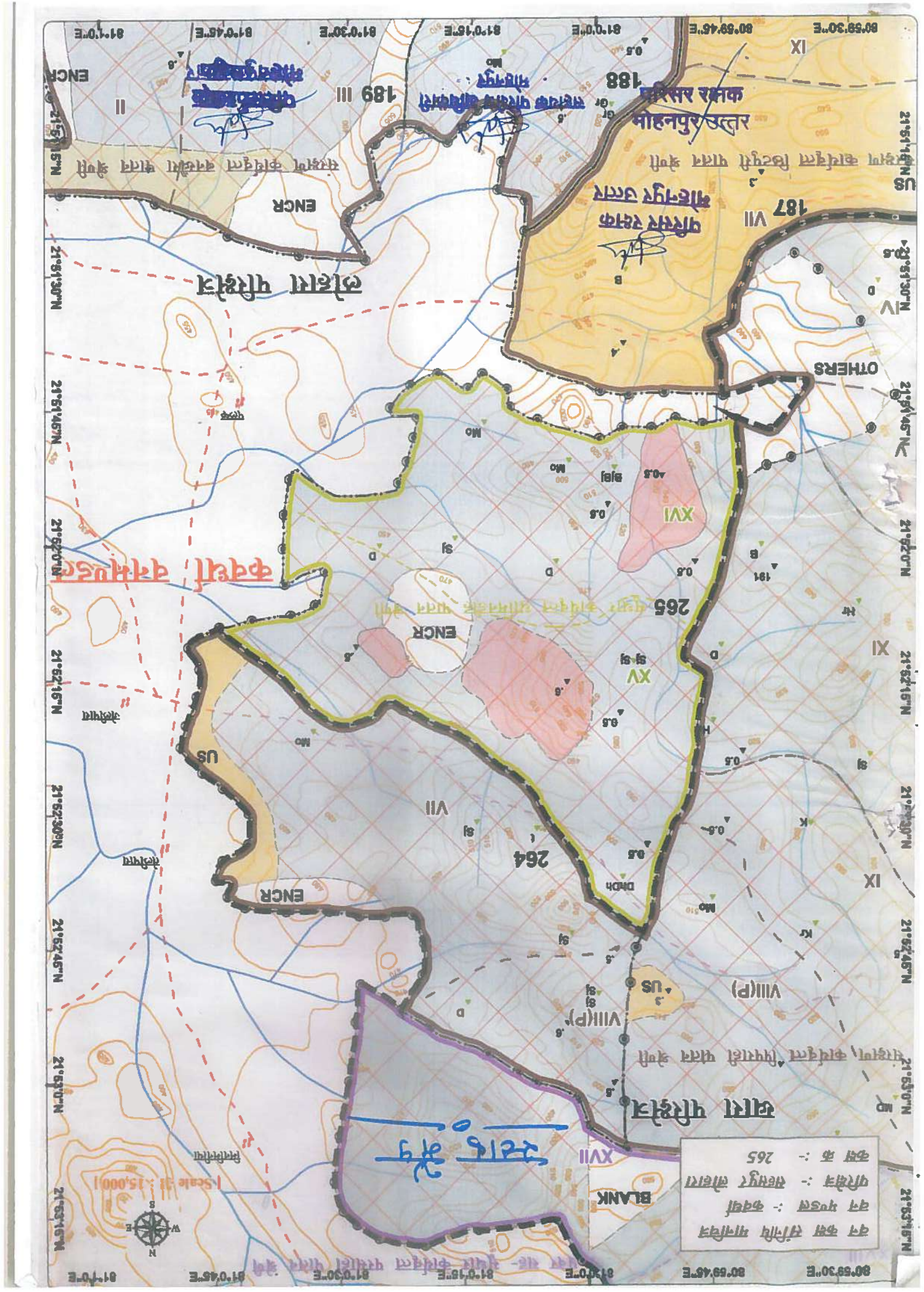
वन कक्ष वीरभि भानेवार
वन मण्डल :- कवर्धा
परिक्षेत्र :- सेहपुर लोहारा
कक्ष क्र :- 265
XVII
BLANK
सेहरा परिक्षेत्र
सेहरा परिक्षेत्र कार्यालय पास स्थली
Scale 1:15,000
Bindhrigh
VIII(P)
US
VIII
IX
264
DHDh
ENCR
Kr
Mo
XV
265
XI
कवर्धा परिक्षेत्र
OTHERS
IV
187
परिसर रक्षक
मोहनपुर उत्तर
सेहरा कार्यालय पास स्थली
मोहनपुर उत्तर
कक्ष रक्षक
188
189 III
II
81°0'45"E
81°0'30"E
81°0'15"E
81°0'0"E
80°59'45"E
80°59'30"E
21°53'15"N
21°53'0"N
21°52'45"N
21°52'30"N
21°52'15"N
21°52'0"N
21°51'45"N
21°51'30"N
21°51'15"N

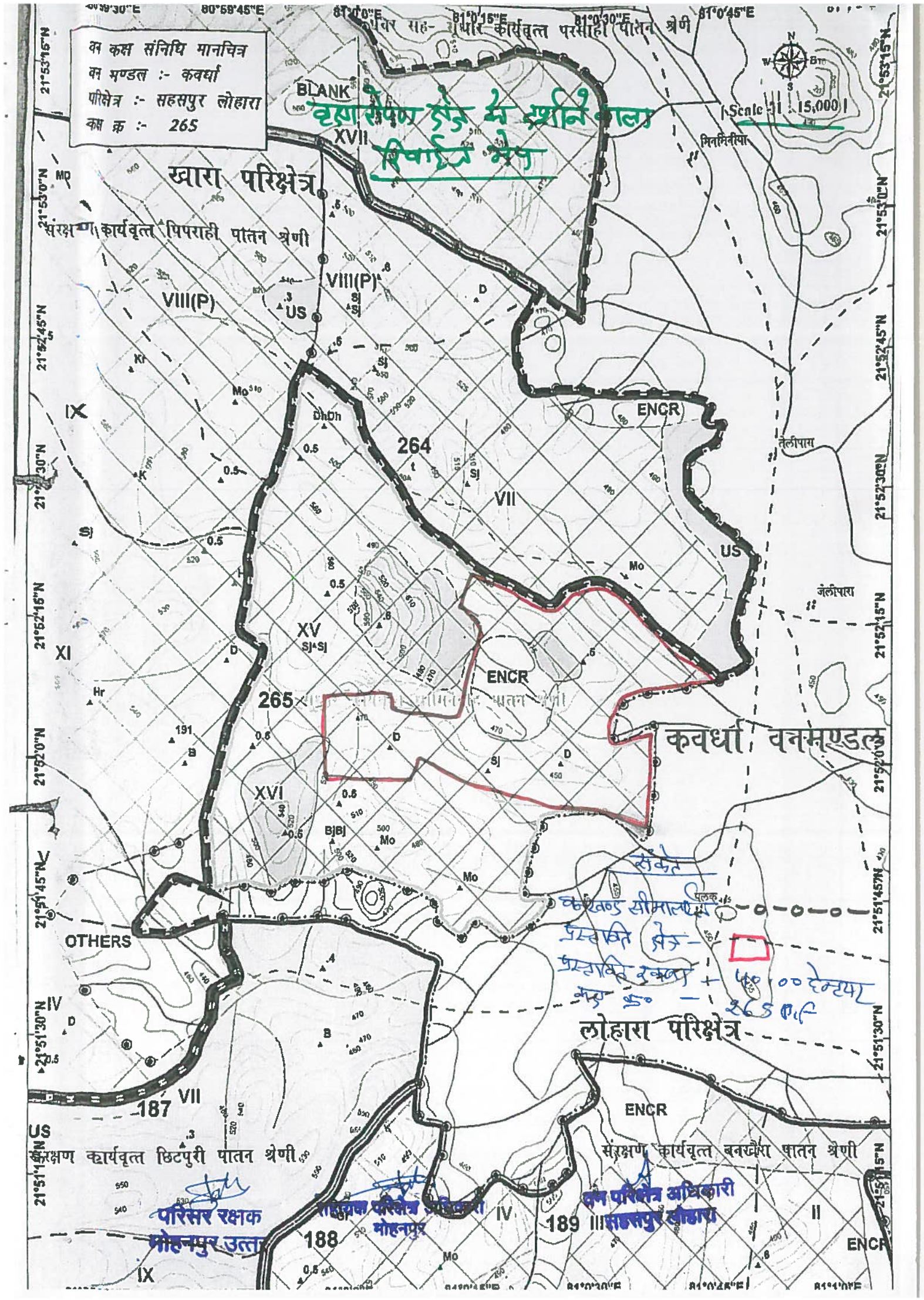
वन कक्ष संनिधि मानचित्र
वन मण्डल :- कवर्धा
परिक्षेत्र :- सहसपुर लोहारा
कक्ष क्र :- 265
BLANK
वृक्ष रोपण ट्रेंच में ग्रीनिंग वाला
स्थाई ट्रेंच भेज
Scale 1 : 15,000
खारा परिक्षेत्र
संरक्षण कार्यवृत्त पिपराही पातन श्रेणी
264
265
ENCR
कवर्धा वनमण्डल
लोहारा परिक्षेत्र
OTHERS
187
188
189
संरक्षण कार्यवृत्त छिटपुरी पातन श्रेणी
संरक्षण कार्यवृत्त बनखोरा पातन श्रेणी
परिसर रक्षक
मोहनपुर उत्तर
सहायक परिक्षेत्र अधिकारी
मोहनपुर
वन परिक्षेत्र अधिकारी
सहसपुर लोहारा

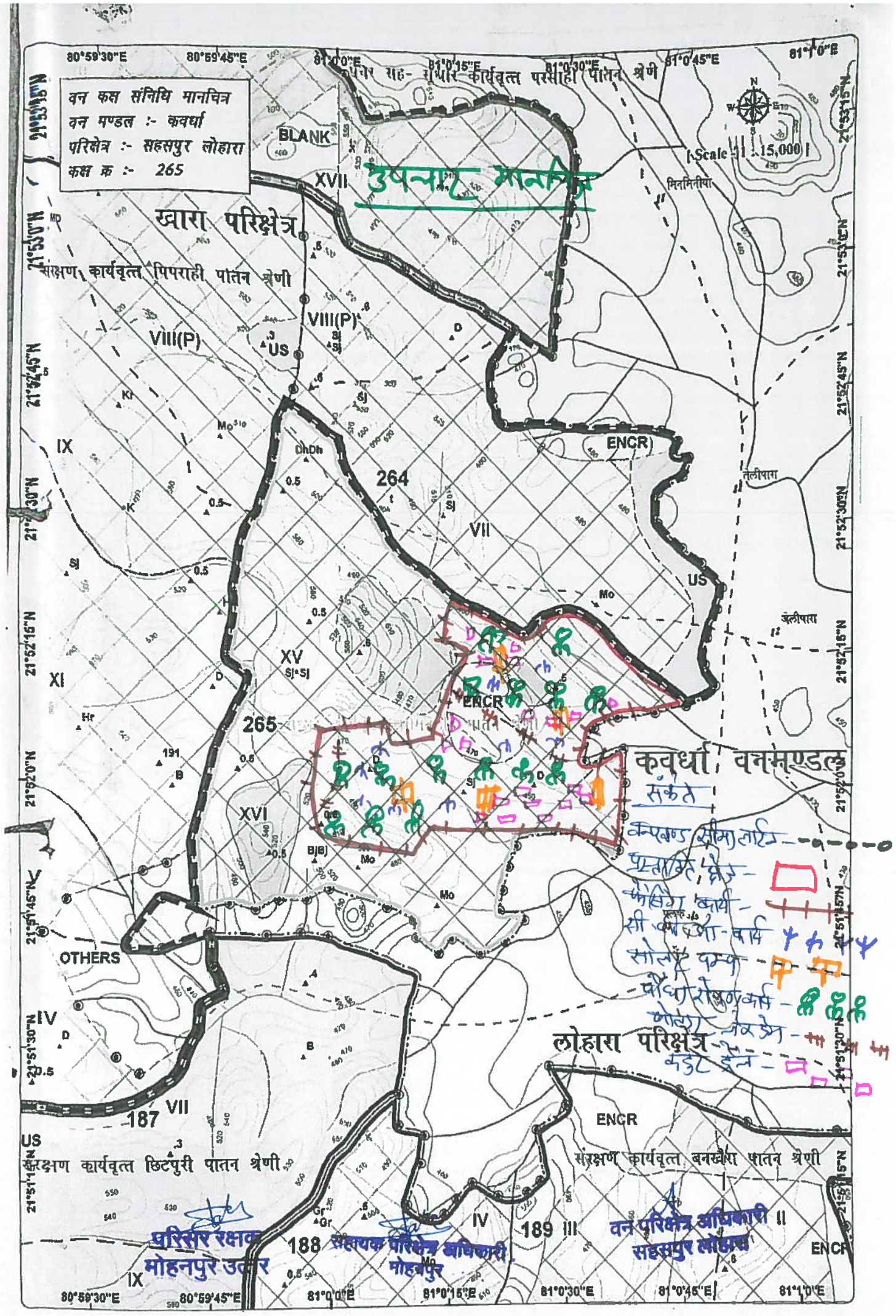

18. संनिधि मानचित्रकर्ता का नाम : श्री कृमालाल वर्मा
19. संनिधि मानचित्रकर्ता का पद : वनरक्षक
20. संनिधि मानचित्रकर्ता का दिनांक :
21. निरीक्षण कर्ता का नाम : श्री मनहरण लाल वर्मा
22. निरीक्षण कर्ता का पद : वनपाल
23. निरीक्षण कर्ता का दिनांक :
24. कक्ष की आबादी से दूरी : 2 कि. मी. तक
25. पुरातत्व / इको पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल यदि हो तो विवरण

स्थल का लोकल नाम	महत्व	समीपस्थ रेस्ट हाउस	समीपस्थ रेस्ट हाउस से दूरी
सतियापाठ	जलाशय	सतियापाठ	10

26. जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल

जैव विविधता किसकी है	महत्वपूर्ण स्थल	प्रजातियां

27. वन मार्ग का विवरण

वन मार्ग का नाम	कक्ष में वनमार्ग की	वनमार्ग की स्थिति	पक्के रपटों की	पक्के रपटों की	पुल की आवश्यकता	पुलिया की आवश्यकता	रिटेनिंग वॉल की

28. वाटर शेड का विवरण

मिली वाटरशेड का नाम	मिली वाटरशेड का प्रकार

प्राकृतिक जल संसाधन जो कक्ष से होकर बहते हैं :
नदी/नालों का प्रकार :
प्राकृतिक जल स्थल पर स्टॉप डैम/तालाब आदि हेतु उपयुक्त स्थल यदि हो तो विवरण :

कक्ष इतिहास

(क) सामान्य विवरण

01 कक्ष क्रमांक नया : 265
कक्ष क्रमांक पुराना : P 265
02. वनमंडल : कवर्धा
03. उपवनमंडल का नाम : सहसपुर लोहारा
04. परिक्षेत्र का नाम : सहसपुर लोहारा
05. वनखण्ड : तेलीपारा
06. परिसर : मोहनटोला
07. वैधानिक स्थिति : संरक्षित वन
08. अधिसूचना का विवरण : 888-76-42-X-68 Date 30-10-68
09. टोपोशीट का विवरण

TopoSheetNo	Area	Scale
64 G/1	179.770	

10. सीमा विवरण
उत्तर : एक नाला जो कक्ष क्रमांक 265 एवं 264 की उभय सीमा बनाता है।
पूर्व : मुनारो से निर्मित संरक्षित वनखण्ड रेखा जो ग्राम पालन के क्षेत्रों को स्पर्श करती है।
दक्षिण : संरक्षित वनखण्ड सीमा कक्ष क्रमांक 265 एवं 182 की उभय सीमा बनाती है।
पश्चिम : संरक्षित वनखण्ड सीमा जो कक्ष क्रमांक 190, 265 एवं 191 तथा पुनः 265 एवं 192 की उभय सीमा बनाती है।

11. स्थायी चिन्ह :

12. समुद्र सतह से उंचाई मी. में : न्यूनतम 450 अधिकतम 510
13. ढ़लान की दिशा : पूर्वी–पश्चिमी

14. ढ़ाल	क्षेत्रफल हे. में
10 प्रति. से कम	56.550
11 से 30 प्रति. तक	100.000
31 से 40 प्रति. तक	23.220
40 प्रति. से अधिक	0.000
योग :-	179.770

15. समाकृति : समतल
16. भौमिकी : आरकियन
17. मृदा : रेतीली दूमट

(ख) जैविक दबाव में परिवर्तन

29. भू-क्षरण

भू-क्षरण की स्थिति में बदलाव	:	नगण्य
भू-क्षरण की स्थिति	:	यथावत

30. मृदा में जल उपलब्धता

जल धारण उपलब्धता में बदलाव	:	यथावत
वर्तमान उपलब्धता		
पहाड़ी क्षेत्र	:	31 से 50 से.मी.
समतल क्षेत्र	:	10 से.मी. से कम

31. अवैध कटाई हेतु संवेदनशीलता

अवैध कटाई की स्थिति में बदलाव	:	मध्यम
वर्तमान संवेदनशीलता	:	यथावत

32. प्राकृतिक पुनरुत्पादन पर चराई का प्रभाव

चराई की स्थिति में बदलाव	:	मध्यम
वर्तमान स्थिति	:	यथावत

33. अग्नि हेतु संवेदनशीलता

अग्नि की स्थिति में बदलाव	:	मध्यम
वर्तमान की स्थिति	:	यथावत
अग्नि घटना के कारण	:	

34. अतिक्रमण हेतु संवेदनशीलता

अतिक्रमण की स्थिति में सुधार	:	मध्यम
वर्तमान स्थिति	:	यथावत

35. अवैध उत्खनन हेतु संवेदनशीलता

उत्खनन की स्थिति में बदलाव	:	मध्यम
वर्तमान स्थिति	:	यथावत
उत्खनित सामग्री का नाम	:	

(ग) वन्य प्राणी विवरण

36. वन्य प्राणी संरक्षण की दृष्टि से जल स्त्रोतों का विकास

पूर्व से निर्मित जल स्त्रोत (वाटरहोल/तालाब/स्टॉप डैम/बांध आदि)

6 माह तक पानी वाले	:	0
9 माह तक पानी वाले	:	0
वर्ष भर पानी वाले	:	0

कार्य आयोजना के दौरान निर्मित जल स्त्रोत

6 माह तक पानी वाले	:	0
9 माह तक पानी वाले	:	0
वर्ष भर पानी वाले	:	0
कृत्रिम वाटरहोल की स्थिति	:	यथावत
अतिरिक्त वाटरहोल की आवश्यकता	:	हां
हां तो संख्या	:	5

37. प्राकृतिक निवास स्थल गुफाओं की स्थिति : खराब

38. दलदली स्थान : नहीं

39. पक्षी कोटर : है

40. प्रत्यक्ष देखे गए वन्य पशु :

वन्य पशु का नाम	नर	मादा	बच्चे	योग
लंगूर	25	35	20	80
कोटरी	3	3	2	8

41. अप्रत्यक्ष प्रमाण

जन्तु मल

ताजा	:	नहीं
पुराना	:	हां

पद चिन्ह : नहीं

अन्य चिन्ह विवरण दें :

42. प्राकृतिक नमकीन भू-भाग (स्थिति) :

43. विचरण स्थल

घास का मैदान	:	40000
विचरण स्थल में परिवर्तन	:	यथावत
विचरण स्थल का पोटेन्शियल	:	यथावत

44. वन्य प्राणियों की स्थिति

मांसाहारी	:	कम हुआ
शाकाहारी	:	कम हुआ

45. कक्ष की क्षमता के आधार पर क्षेत्र किन वन्य प्राणियों हेतु उपयुक्त है। :

(घ) संनिधि का विवरण

46. सामान्य विवरण : इस कक्ष में चतुर्थ अ श्रेणी का सघन मिश्रित वन है जो मुख्यतः युवा आयु वर्ग का है एवं जिसका घनत्व 0.5 से 0.6 है। इस कक्ष में पुनरूत्पादन पर्याप्त है। उक्त क्षेत्र समतल एवं पहाड़ी है।

47. संरचना :

वृक्षों के प्रकार	प्रजाति	प्रजाति में परिवर्तन
घास प्रजातियां (चारे योग्य) (निम्न रोह)		
	दूब	As it is
	मनहर, मैनफल, मदन	As it is
घास प्रजातियां (अखाद्य) (निम्न रोह)		
	शुक्ला घांस	As it is
झाड़ियां (निम्न रोह)		
	मरोरफली	As it is
	धवई	As it is
बांस (निम्न रोह)		
	धावड़ा	As it is
	आंवला	As it is
	करों	As it is
शीर्ष स्तरीय वन		
	मोदे	As it is
	धोबन	As it is
	सलाई	As it is
शाक (निम्न रोह)		
	मरोरफली	As it is
	धवई	As it is
औषधीय / मुख्य लघु वनोपज		
	तेंदू	As it is
लताएं (निम्न रोह)		
	केवटी	As it is
	माहुल	As it is
	बोदा	As it is

48. घास उपलब्धता : अनुपस्थित

49. लेन्टाना

लेन्टाना प्रकोप में परिवर्तन : यथावत

वर्तमान स्थिति : नगण्य

भाग तीन

वन संनिधि मानचित्रीकरण प्रस्तावित वन प्रबंधन

सेम्पल प्लॉट का विवरण (प्रत्येक प्लॉट हेतु भिन्न)

प्लॉट क्रमांक : 1 प्लॉट का क्षेत्रफल : 0.040

घनत्व : 0.5 से 0.6 स्थल गुण श्रेणी : चतुर्थ अ

पुनरुत्पादन की स्थिति

प्राकृतिक : अपर्याप्त

कापिस : अपर्याप्त

बिखरी प्रजातियां : आंवला, कर्रा

दुर्लभ प्रजातियां : बीजा

औषधी प्रजातियां : बनतुलसी, चरोटा, चिरायता

प्लॉट का विवरण

प्रजाति	गोलाई	उंचाई	कन्डीशन
मोदे	100	20	Un Sound
कर्रा	80	12	Un Sound
मोदे	76	15	Un Sound
महुआ	50	8	Un Sound
कर्रा	60	15	Un Sound
कर्रा	40	9	Un Sound
सलाई	194	20	Un Sound
कर्रा	64	10	Un Sound
कर्रा	54	5	Un Sound
सलाई	140	18	Half Sound
तेंदू	86	8	Un Sound
धावड़ा	46	9	Un Sound
सलाई	86	20	Un Sound
सलाई	142	22	Un Sound

वन संनिधि (काष्ठ) मानचित्रीकरण का परिणाम

कक्ष का प्लानीमीटर्ड क्षेत्रफल : 0.000

संनिधि (घनत्व)	वन प्रकार	स्थल गुण श्रेणी	आयु	क्षेत्रफल
Enchrochment				8.544
Stocked	Mixed	IVa	Matured	25.269
Stocked	Mixed	IVa	Middle	145.959

वन संनिधि (बांस) मानचित्रीकरण का परिणाम

वन संनिधि	घनत्व	स्थल गुण श्रेणी	क्षेत्रफल

सलई (अतिच्छादी)	:	0.000
खैर (अतिच्छादी)	:	0.000
अन्य	:	0.000
वन विहीन/रिक्त वन से एकत्रित मृदा का विश्लेषण	:	0

प्रपत्र दो
कार्य आयोजना अवधि में तथा इसके पूर्व वृक्षारोपण का विवरण

रोपण वर्ष	रोपण का क्षेत्रफल (हे. में)	रोपण योजना का प्रकार	रोपित पौधें की संख्या	अंतराल

प्रपत्र तीन
कार्य आयोजना अवधि में तथा इसके पूर्व वृक्षारोपण का विवरण

रोपण वर्ष
जीवित प्रतिशत

रोपित पौधों की संख्या
रोपण क्षेत्रफल

सेम्पल प्लॉट क्रमांक	प्रजाति	रोपित संख्या	जीवित संख्या	औसत उंचाई (मी.)	औसत गोलाई (मी.)	सफलता/असफलता का कारण सहित विवरण

सागौन वृक्षारोपण के विरलन की आवश्यकता									
6 वीं वर्ष का विरलन		11 वें वर्ष का विरलन		21 वें वर्ष का विरलन		35 वें वर्ष का विरलन		51 वें वर्ष का विरलन	
निर्धारित वर्ष	प्रकार	निर्धारित वर्ष	प्रकार	निर्धारित वर्ष	प्रकार	निर्धारित वर्ष	प्रकार	निर्धारित वर्ष	प्रकार
यदि विरलन हेतु उपयुक्त न हो तो विवरण									

प्रपत्र चार
7 से 11 वर्ष पुराने बांस रोपण क्षेत्र का सर्वेक्षण

रोपण वर्ष
जीवित प्रतिशत

रोपित पौधों की संख्या
रोपण क्षेत्रफल

क्रमांक	भिर्रा साइज	आयु के अनुसार बासों की संख्या				हालत के अनुसार बासों की संख्या				औसत लंबाई (मी.)	अन्य विवरण
		करला	महिला	पकिया	योग	क्षतिग्रस्त	सुखे / सड़े	स्वस्थ	योग		

वृक्षारोपण में निर्धारित वर्ष एवं प्रस्तावित कार्य
यदि दोहन हेतु प्रयुक्त न हो तो विवरण

भाग 5

कार्य वृत्त सुधार प्रबंधन वृत्त
पातन श्रेणी धामिनडीह
कूप का विवरण

कूप क्रमांक	निर्धारित वर्ष	क्षेत्रफल
XV	2028-29	96.210
XVI	2029-30	83.550

कार्य वृत्त एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन (अतिव्यापी) कार्यवृत्त
पातन श्रेणी बेरला
कूप का विवरण

कूप क्रमांक	निर्धारित वर्ष	क्षेत्रफल
XII	2025-26	179.770

प्रस्तावित वन प्रबंधन (बांस अतिच्छादी)	:	
पातन श्रेणी	:	5
उपचार श्रेणी	:	14
रिक्त क्षेत्र में आवश्यक कार्य	:	
रिक्त क्षेत्र (हे. में)	:	0.000
रोपण क्षेत्र (हे. में)	:	0.000
अन्डर स्टॉक क्षेत्र में आवश्यक कार्य	:	
जहां वृक्षारोपण कार्य आवश्यक हो	:	0.000
जहां सी. बी. ओ. आवश्यक हो	:	0.000
प्रजाति जो रोपण हेतु उपयुक्त हो	:	
वाटर शेड प्रबंधन हेतु उपयुक्त क्षेत्र	:	
नये फायरलाइन की आवश्यकता	:	
ओव्हरलोडिंग वर्किंग सर्किल का विवरण	:	
नये मुनारों की आवश्यकता	:	
वृक्षारोपण रखरखाव कार्य वृत्त यदि प्रस्तावित हो तो किस वर्ष का विरलन किया जाना है	:	
बांस वृक्षारोपण यदि दोहन योग्य है तो प्रस्तावित प्रबंधन का विवरण	:	

Divisional Forest Officer,
Working Plan Division, Durg